सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

कार्यालय

मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

(मैनुअल संख्या–04)

मैनुअल संख्या–4

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम :–

राजस्व विभाग के अन्तर्गत कृत्यों के निर्वहन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित मानक/नियम स्थापित किये गये है:–

1. अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में जांच हेतु सीमा तीन माह अन्तर्गत नियत की गई है। आरोप पत्र जारी करने, जॉच अधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की अवधि बिषयक शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेशों में निर्दिष्ट मानक/अवधि के अन्तर्गत की जाती है। अन्य प्रशासनिक एवं नैत्यिक कार्यों के शीध्र निस्तारण हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आदेश निर्गत किये जाते हैं राजस्व विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को भी विभागीय कार्यवाही में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार नियत समय अन्दर विभागीय कार्यवाही के मामलों का निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रचलित **शासनादेशों की प्रति संलग्न है।**

2. राजस्व संग्रह मैनुअल के अनुसार एंव समय–समय पर जारी शासनादेशों के तहत राजस्व वसूली हेतु संग्रह अमीनों के लिये मानक निर्धारित किये गये है। संग्रह अमीनों के पद सृजन बिषयक शासनादेश में निर्धारित मानकों का उल्लेख किया गया है। **शासनादेश की प्रति संलग्न है।**

3. अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में राजस्व वादों के निस्तारण हेतु मानक निर्धारित है। पीठासीन अधिकारियों द्वारा राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा इस स्तर पर नियमित रूप से की जाती है तथा मानकों के अनुसार राजस्व वादों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित पीठासीन अधिकारियों को समय–समय पर निर्देश जारी किये जाते है।

4. राजस्व विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमावलियॉ यथा तहसीलदार, नायब तहसीलदार/पेशकार, राजस्व निरीक्षक, रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, सहायक भूलेख अधिकारी (सदर कानूनगो), लेखपाल, कलेक्शन अमीन, पटवारी, आयुक्त कार्यालय मिनिस्ट्रीयल स्टाफ, कलक्ट्रेट मिनिस्ट्रीयल स्टाफ, वाहन चालक उपं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवानियमावलियां जिनमें कि कार्मिकों के भर्ती/नियुक्ति से सम्बन्धित नियम/मानकों का उल्लेख है की छायाप्रतियां संलग्न हैं।

———————0000——————

शासकीय कार्य संचालन सम्बन्धी प्रक्रिया विधि द्वारा निर्मित अधिनियमों/नियमों/उपनियमों एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए परिपत्रों के अधीन सम्पादित होते हैं। शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी शासकीय नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं । राजस्व विभाग जो शासन की रीढ़ कही जाती है, का संचालन मुख्य रूप से जनपद में जिलाधिकारी कार्यालय से सम्पादित होता है । जिलाधिकारी के निर्देशानुसार तहसील में उप जिलाधिकारी कार्यालय/न्यायालय एवं तहसील कार्यालय से कार्यों का सम्पादन किया जाता है ।

राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्य रूप से तहसील में राजस्व नियम संग्रह एवं भू–लेख नियमावली के अन्तर्गत दी गई व्यस्थाओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं । राजस्व विभाग में कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मापमान/नियमों का उल्लेख निम्नवत है ।

भवन :–

1. भवनों के रखरखाव/मरम्मत/नवनिर्माण हेतु प्राप्त धन का विवरण रखना, भूमि एवं भवन पंजिका का रखरखाव ।
2. कम्पाउण्ड़ से होने वाली आय तथा उसके संग्रह की स्थिति का विवरण ।
3. भवन की सुरक्षा हेतु व्यवस्था, अग्नि शमन यंत्रों की सफाई/स्वच्छता की व्यवस्था ।

सन्दर्भ पुस्तिका

1. वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड़ **V – Vol – I**
2. राजस्व नियम संग्रह

स्टाफ :–

1. कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाऐं, अवकाश लेखा, जी0पी0एफ0 लेखा, पासबुक एवं चरित्र पंजिकाऐं अध्यावधिक रखना ।
2. कर्मचारियों की उपस्थित पंजिका में प्रतिदिन उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करना ।
3. भ्रष्ट, अयोग्य एवं दुष्चरित्र अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ।
4. आकस्मिक अवकाश पंजिका में स्वीकृत अवकाश दर्ज करना ।
5. कर्मचारियों से ली गई प्रतिभूति लेखा रखना ।

सन्दर्भ पुस्तिका

1. राजस्व नियम संग्रह
2. भू–लेख नियमावली
3. सेवा नियमावली
4. सामान्य भविष्य निधि नियमावली
5. एम0जी0ओ0
6. सिविल सेवा (सी0सी0ए0) नियमावली 1930

कार्य विभाजन :–

तहसील कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन किया गया है।

नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व पुलिस क्षेत्रों में समस्त पुलिस कार्य, संग्रह से संबंधित कार्य एवं संग्रह अमीनों तथा सरकारी बकाया वसूली के कार्य का पर्यवेक्षण करना, रजिस्ट्रार कानूनगो के कार्यालय तथा तहसील के भू–अभिलेख

का प्रभार करना, तहसीलदार की अनुपस्थिति में तहसीलदार के कार्यों का सम्पादन ।

नायब नाजिर द्वारा विभिन्न मदों का आहरण वितरण निर्धारित पंजिकाओं में किया जाता है । (पंजिका संख्या 1 से 8 तक) तथा तहसील से सम्बधित आवासीय एवं अनावासीय भवनों का रखरखाव/मरम्मत, कार्यालय व्यय, लेखन सामाग्री, वाहनों के ईधन सम्बधी रखरखाव मालखाना, आदि कार्यों का निर्वहन नाजिर द्वारा किया जाता है ।

संदर्भ सहायक (टंकण लिपिक) द्वारा डाक प्रेषण, टंकण कार्य, प्रमाण पत्रों को निर्गत करने एवं विभिन्न पंजिकाओं का रख–रखाव किया जाता है ।
संग्रह अधिष्ठान के अर्न्तगत राजस्व लेखाकार द्वारा समस्त बकाया एवं वसूली की गई धनराशि का मदवार विवरण संरक्षित किये जाते हैं, तथा समय समय पर मदवार देयों को अध्यावधिक किया जाता है । वसूली से सम्बधित सभी पंजिकाओं का रखरखाव किया जाता है ।

भू–लेख अधिष्ठान के अर्न्तगत भू–लेख कार्यों का सम्पादन रजिस्ट्रार कानूनगो एवं सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त निर्वाचन कार्य सामान्य संगणनाऐं, दैवीय आपदा से सम्बन्धित राहत वितरण कार्यों तथा तत्सम्बन्धी अभिलेखों को संरक्षित एवं संचय सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन तथा पटवारियों के वेतन और अन्य भत्तों की परिवर्तन के सम्बन्ध में तथा उपस्थित विषयक ब्यौरा के कार्यों का सम्पादन किया जाता है ।

सन्दर्भो का निस्तारण :–

सन्दर्भ पुस्तिका राजस्व नियम संग्रह

1. सामयिक परिलेखों की पंजिका/चार्ट बनाकर परिलेखों को सामयिक रूप से प्रेषित करना ।
2. सन्दर्भो की पंजिका तैयार करवाकर सन्दर्भो का पंजीकरण तथा सामयिक निस्तारण ।

3. विधायी कार्यों से संबंधित जैसे विधान सभा, विधान परिषद्, लोक सभा, राज्य सभा के प्रश्नों के उत्तर, नोटिसों का जबाब, आश्वासनों की पूर्ति आदि महत्वपूर्ण सन्दर्भों में समय से आख्या का भेजा जाना ।
4. शासनादेश, परिषदादेश तथा स्थानीय आदेशों से संबंधित गार्ड फाइल अध्यावधिक रखना ।

न्यायिक कार्य :–

राजस्व प्रशासन का काफी महत्वपूर्ण तथा एकीकृत भाग जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमों का शीघ्रता से निपटारा किया जाना है, जिसके लिए निम्नवत मानक निर्धारित हैं ।

राजस्व परिषद् उ0 प्र0 का अर्द्ध शा0 प0सं0 79/कंप्यूटर सेल/99 दि0 16.12.99

1. निर्विवाद दाखिल खारिज के मामले 35 दिन अन्दर निर्णित किया जाना ।
2. दाखिल खारिज तथा दुरस्ती कागजात के मुकदमें में तीन माह अन्दर निर्णित करना ।
3. नियमित वाद, प्रार्थना पत्र तथा कार्यवाहियों के अन्तर्गत राजस्व अधिकारियों को प्रतिदिन सात मुकदमों के निस्तारण का मानक निर्धारित है ।
4. 6माह से अधिक पुराने वादों के निस्तारण हेतु प्राथमिकता देना ।
5. पीठासीन अधिकारी द्वारा दायरे की अपेक्षा अधिक वादों का निस्तारण किया जाना ।
6. पीठासीन अधिकारियों द्वारा स्वयं अपने न्यायालय का त्रैमासिक निरीक्षण किया जाना ।

संग्रह अनुभाग :–

1. संग्रह मैनुअल के अनुसार नहर कर जमाबंदी समय अन्दर प्राप्त करना तथा वसूली सुनिश्चित करना।
2. नये वित्तीय वर्ष के लिए विविध देयों की मांग का रजिस्टर 15 अप्रैल तक अध्यावधिक करना ।
3. विविध देयों की प्राप्त होने वाली मांग का क्रेन्द्रीय वार्षिक मांग रजिस्टर बनाना तथा विभागीय स्तर पर मांग का सत्यापन करवाना ।
4. वसूली प्रमाण पत्र जिला कार्यालय से प्राप्त होने पर वसूली सुनिश्चित करना ।
5. आड़िट आपत्तियों के अन्तर्गत वसूल की जानी वाली धनराशि तथा उसकी वसूली की समीक्षा करना ।
6. भू–राजस्व मांग निर्धारित कर एल0आर0– I एवं V जिलाधिकारी को प्रेषित करना ।

संदर्भ पुस्तिका राजस्व नियम संग्रह

भू–लेख अनुभाग :–

1. भू–अभिलेखों का शुद्ध रूप से रखरखाव राजस्व विभाग की शीर्ष प्राथमिकता एवं दायित्व है । यह कार्य तहसीलों में वार्षिक एवं नियत कालिक अभिलेखों की तैयारी तथा पुराने अभिलेखों के अनुरक्षण के माध्यम से सम्पादित होता है । भू–अभिलेखों की पूर्ण विश्वसनीयता के कारण ही माननीय उच्चतम न्यायालय तक राजस्व विभाग के सबसे नीचे तक के कर्मचारी पटवारी/लेखपाल के हस्ताक्षर के अन्तर्गत तैयार अभिलेखों को यथावत स्वीकार किया जाता

है । तहसीलदार/नायब तहसीलदार अभिलेखों की तैयारी एवं उसके रखरखाव के लिए पूर्ण जिम्मेदारी होते है तथा क्षेत्रों में राजस्व निरीक्षक/पटवारी के अभिलेखों का निरीक्षण/ सत्यापन सुनिश्चित किया जाता है ।

2. रैवन्यू मैनुअल में दी गई व्यवस्था के अनुसार तहसील कार्यालय में राजस्व अभिलेखागार में अभिलेखों के रखरखाव, उनकी स्वच्छता सुनिश्चित कराना ।
3. रैवन्यू मैनुअल में दी गई व्यवस्था के अनुसार नकल, तलाशी तथा सूचना रजिस्टरों का रखरखाव तथा समयान्दर नकल जारी कराना ।
4. भू–लेख जेड़0ए0 तथा आर0ड़ी0 फार्म की मांग/आपूर्ति सुनिश्चित करना ।
5. षटवार्षिक खतौनियों का संचय कार्य ।
6. पंचवर्षीय कृषि गणना, पशुगणना कार्य ।

नजारत अनुभाग :–

1. रैवन्यू मैनुअल के अध्याय 5 प्रस्तर 107 से 123 तक के अन्तर्गत नजारत लेखा पंजी रजिस्टर नं0 1 से 8 का रखरखाव तथा उसमें लम्बित धनराशि का यथा समय निस्तारण करना ।
2. नाजिर लेखे के अन्तर्गत रजिस्टर नं0 4, महत्वपूर्ण रजिस्टर है । रैवन्यू मैनुअल के अनुसार प्रत्येक त्रैमास के अन्त में जाँच/सत्यापन सुनिश्चित करना ।

दैवी आपदा :–

तहसील अन्तर्गत बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, बादल फटना तथा भूकम्प आदि दैवी आपदाओं से निपटने के लिए तहसीलदार को आपदा से पूर्व तथा पश्चात की तैयारी करनी होती है, जिसके लिए तहसील स्तर पर निम्नवत तैयारी की गई है ।

1. क्षेत्रों में राजस्व निरीक्षक/पटवारी को आवश्यक दिशा निर्देश एवं क्षेत्रीय जनता में इस कार्य हेतु आपसी समन्वय बनाये रखने एवं दैवी आपदा घटित होने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही एवं व्यवस्था बनाये रखना ।
2. तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्ध समिति दिशा निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित एवं कार्य करवाना ।
3. वर्षाकाल के लिए तहसील कार्यालय में दैवी आपदा कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसका टेलीफोन नंबर 01363 244209 है । 15 जून से प्रतिदिन कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है ।

राजस्व विभाग के संगठन और उसके दायित्वों के सम्बन्ध में यद्यपि राजस्व नियम संग्रह एवं भू–लेख नियमावली में व्यापक व्यवस्था है, तथापि तहसील स्तर पर अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के साथ–साथ राजकीय आचरण सेवा नियमावली में दी गई व्यवस्थाओं की परिधि में रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं ।

उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक/पटवारियों को तद्नुसार क्षेत्रों में निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए दिशानिर्देश तथा समय–समय पर बैठकों में मार्गदर्शन कराया जाता है कि शासन/प्रशासन की कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करवाऐं । इसके अलावा तहसील स्तर पर स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं

समाज के प्रबुद्ध वर्ग से अपेक्षा के अनुरूप उनके अनुभवों के आधार पर उन्हें राजकीय समारोह में आमंत्रित एवं सम्मानित कर उनसे सहयोग प्राप्त किया जाता है ।

कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन किए जाते हैं, जिनके आधार पर यह आंकलन किया जाता है कि तहसील स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का किस सीमा तक निर्वहन किया जा रहा है ।

☆ ☆ ☆

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

कार्यालय

मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

(मैनुअल संख्या–06)

मैनुअल संख्या–6

ऐसे दस्तावेजों के ,जो उसके द्वारा घारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण :–

मुख्य राजस्व आयुक्त, कार्यालय/न्यायालय में कार्यरत अधीक्षक, स्टाफ आफिसर,सम्बन्धित सहायकों, पेशकार, अहलमद, वैयक्तिक सहायक, सहायक/लेखाकारों, अपर सॉख्यिकीय अधिकारियों, द्वारा अनुरक्षित की जा रही पत्रावलियॉ एंव पॅजिकाओं का विवरण निम्नवत हैः–

1.अधीक्षकः–

अधीक्षक द्वारा मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय के कार्मिकों का पर्यवेक्षण के अतिरिक्त निम्नलिखित अभिलेखों/पत्रावलियों को संरक्षित किया जाता हैः–

(1) मुख्य राजस्व आयुक्त, कार्यालय के कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की पॅजिकायें।

(2) नायब तहसीलदार/तहसीलदार की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों की पॅजिकायें।

(3) अन्य महत्वपूर्ण पत्रावलियों का अनुरक्षण।

(4) कर्मचारियों को कार्य सम्पादन हेतु समय–समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों की पॅजिका।

(5) कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन की पत्रावली।

2.स्टाफ आफिसरः–

मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा समय–समय पर सौपें गये कार्यो का निस्तारण एंव तत्सम्बन्धी पत्रावलियों का अनुरक्षण।

3.पेशकारः–

(1) न्यायालय मुख्य राजस्व आयुक्त/अपर मुख्य राजस्व आयुक्त की वाद दैनन्दिनी का रख–रखाव।

(2) निर्णयन हेतु लम्बित वाद पत्रावलियों का रख–रखाव।

(3) सम्बन्धित अधिनियम पुस्तकों का रख–रखाव।

(4) न्यायालय मुख्य राजस्व आयुक्त/अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून के निर्णयों के बिरूद्व योजित रिट यचिकाओं की पत्रावलियों का रखरखाव।

(5) न्यायालय तथा विधि सम्बन्धी शासन को संदर्भित किये जाने वाले संदर्भो की पत्रावलियों का रख–रखाव।

4.वैयक्तिक सहायकः–

(1) विभिन्न शिकायतों के निस्तारण हेतु पत्रों का प्रेषण एंव उनसे सम्बन्धित पत्रावलियों का रख–रखाव।

(2) मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों एंव उप–जिलाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों से सम्बन्धित विभिन्न पत्रावलियों का रख–रखाव।

(3) विभिन्न जॉच से सम्बन्धित पत्रावलियों का रख–रखाव।

(4) अधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों से सम्बन्धित पत्रावलियों का रख–रखाव।

5.प्रवर वर्ग सहायक–प्रथमः–

(1) नायब तसीलदार एंव तहसीलदार अधिष्ठान से सम्बन्धित पत्रावलियॉ।

(2) तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर प्रोन्नति से सम्बन्धित पत्रावली।

(3) कलक्ट्रेट एंव आयुक्त अधिष्ठान कुमॉऊ मण्डल से सम्बन्धित पत्रावलियॉ।

(4) राजस्व ग्राम घोषित करने सम्बन्धी पत्रावलियॉ।

6.प्रवर वर्ग सहायक–द्वितीयः–

(1) कलक्ट्रेट एंव आयुक्त अधिष्ठान, गढवाल मण्डल से सम्बन्धित पत्रावलियॉ।

(2) भूमि अध्याप्ति एंव भू–सर्वेक्षण से सम्बन्धित पत्रावलियॉ ।

(3) मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय अधिष्ठान से सम्बन्धित पत्रावलियों का रखाव।

(4) संग्रह अधिष्ठान से सम्बन्धित पत्रावलियॉ।

7.प्रवर वर्ग सहायक–तृतीयः–

(1) मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन भत्ते, जी0पी0एफ0 एंव सेवापुस्तिकाओं के रख–रखाव से सम्बन्धित पत्रावलियॉ/पॅजिकायें।

(2) कार्यालय सम्बन्धी स्टेशनरी, स्थानीय कय, टेलीफोन, वाहन सम्बन्धी अभिलेखों का रख–रखाव एंव भण्डारण सम्बन्धी पत्रावली।

(3) पुस्तकालय से सम्बन्धित पॅजिकायें।

(4) आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा एंव उपार्जित अवकाश के निस्तारण का कार्य।

(5) भूमि सुधार परिषद से सम्बन्धित पत्रावलियॉ।

8.प्रवर वर्ग सहायक–चतुर्थः–

(1) चकबन्दी अधिष्ठान व चकबन्दी प्रकिया से सम्बन्धित पत्रावलियों का रख–रखाव।

(2) भूलेख संवर्ग, पटवारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, रजिस्ट्रार कानूनगो अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्य।

(3) राजस्व विभाग के विभिन्न अधिष्ठानो की रिट याचिकाओं से सम्बन्धित पत्रावलियॉ।

(4) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति से सम्बन्धित पत्रावलियॉ।

(5) भूमि हस्तान्तरण एंव भूमि कय प्रकिया से सम्बन्धित पत्रावलियॉ।

9.अहलमदः–

(1) जनपदवार वर्षवार वाद पॅजिकाओं का रख–रखाव।

(2) अभियाचित / प्रतिप्रेषित की जाने वाली अवर न्यायालय की पत्रावलियों का रख–रखाव।

(3) न्यायालय अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, सर्किट कोट पौडी की वाद पॅजिका, वाद दैनन्दिनी , वाद पत्रावलियों एंव कैबिएट पॅजिका रख–रखाव।

(4) निरीक्षण पॅजिका का रखरखाव।

(5) प्रतिलिपि पॅजिका का रखरखाव।

(6) निर्जीत / संचयन हेतु पत्रावलियों का रखरखाव।

(7) लम्बित / बिचाराधीन वाद पत्रावलियों का रखरखाव।

(8) राजस्व वादों के विवरण पत्रों की पत्रावलियों का रखरखाव।

10.प्रेषण सहायकः–

(1) पत्र प्रेषण एंव डाक प्राप्ति की पॅजिकाओं का रख–रखाव।

(2) विधान सभा, राज्य सभा एंव लोक सभा के प्रश्नों की पत्रावलियॉ।

(3) संग्रह के मासिक विवरण पत्रों से सम्बन्धित पत्रावलियॉ।

11.वरिष्ठ सहायक राजस्व पुलिस संगठनः—

(1) मुख्य संचालक, राजस्व पुलिस कार्यालय से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियों का अनुरक्षण एंव रखरखाव।

(2) बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति से सम्बन्धित पत्रावली।

(3) सूचना का अधिकार सम्बन्धी कार्य।

(4) मंत्री, सांसदो, विधायकों से सम्बन्धित पत्राचार की पत्रावली।

12. डाटा इन्ट्री आपरेटर, राजस्व पुलिस संगठनः—

(1) राजस्व पुलिस से सम्बन्धित डाटाइन्ट्री के कार्य की पत्रावली।

13. नायब तहसीलदार राजस्व पुलिस संगठनः—

(1) राजस्व पुलिस क्षेत्रान्तर्गत घटित अपराधों की समीक्षा से सम्बन्धित पत्राविलयॉ।

(2) राजस्व पुलिस कर्मियों/अधिकारियों को दिये गये निर्देश की पॅजिका।

(3) राजस्व पुलिस क्षेत्रान्तर्गत घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर की जाने वाली कार्यवाही से सम्बन्धित पत्रावली।

14. लेखाकार—प्रथमः—

(1) जनपद नैनीताल, हरिद्वार एवं रूद्रप्रयाग तथा सम्बन्धित जनपदों के समस्त तहसीलों की सम्प्रेक्षण पत्रावलियों का रखरखाव व आडिट आपत्तियों की अनुपालन पत्रावलियों का रखरखाव।

(2) विशेष भूमि अध्याप्ति बांध प्रथम एवं द्वितीय की विशेष जांच पत्रवलियॉ।

(3) मण्डलीय बैठकों के आयोजन विषयक पत्रावलियां।

(4) वेतन विसंगति, समयमान वेतनमान, वेतन निर्धारण से सम्बन्धित पत्रावलियों का रख रखाव।

15. लेखाकार–द्वितीयः–

(1) जनपद अल्मोड़ा, उधमसिंहनिगर, चमोली, बागेश्वर एवं टिहरी तथा सम्बन्धित जनपदों के समस्त तहसीलों की सम्प्रेक्षण पत्रावलियों का रखरखाव आडिट आपत्तियों के अनुपालन से सम्बन्धित पत्रावलियां।

(2) महालेखाकार की आडिट आपत्तियों का अनुपालन विषयक पत्रावलियां।

(3) पेशंन सम्बन्धी कार्य की पत्रावलियां।

16. लेखाकार तृतीयः–

(1) जनपद देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी एवं चम्पावत तथा सम्बन्धित जनपदों की समस्त तहसीलों की सम्प्रेक्षण पत्रावलियों का रखरखाव एवं आडिट आपत्तियों के अनुपालन से सम्बन्धित पत्रावलियां।

(2) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सम्बन्धी कार्य की पत्रावली।

(3) लेखादलों का भ्रमण कार्यक्रम अनुमोदन विषयक पत्रावलियां।

(4) अपर आयुक्त (वित्त), राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की श्रीनगर गढ़वाल से प्राप्त पुस्तक पंजी, रोकड़ बही तथा भण्डार पंजिका का रखरखाव।

17. सहायक लेखाकारः–

(1) जनपद पिथौरागढ़ एवं पिथौरागढ़ की समस्त तहसीलों की सम्प्रेक्षण पत्रावलियों व आडिट आपत्तियों के अनुपालन पत्रावलियां।

(2) जनपदों से प्राप्त सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत भुगतान सम्बन्धी प्रकरणों की पत्रावलियां।

(3) जनपदों से प्राप्त सामान्य भविष्य निधि से सम्बद्व बीमा योजना की भुगतान विषयक पत्रावली।

(4) जनपदों से प्राप्त समस्त प्री–आडिट बिलों की जांच सम्बन्धी पंजिका / पत्रावली।

(5) लेखा अनुभाग से सम्बन्धित अन्य सौंपे गये कार्यो की पत्रावलियां।

18. लेखा सहायकः–

(1) कुमाऊं मण्डल से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, हल्द्वानी की पुरानी पत्रावलियों का अनुरक्षण।

(2) अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, सर्किट कोर्ट, नैनीताल के न्यायालय / कार्यालय से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियों का रखरखाव।

19. लेखाकार (बजट):–

(1) राजस्व विभाग के समस्त अधिष्ठानों को प्राप्त एवं आवंटित बजट पत्रावलियां / पंजिकाओं का रखरखाव।

(2) राजस्व विभाग के आवासीय एवं अनावासीय तथा अनुरक्षण से सम्बन्धित प्रस्तावों की स्वीकृति एवं बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं पंजिकायें।

20. अपर सांख्यिकीय अधिकारी–प्रथमः–

(1) कृषि गणना से सम्बन्धित एवं तकनीकी पत्राचार की पत्रावलियां

(2) भूमि उपयोगिता के कार्य सम्बन्धी पत्रावलियां।

21. अपर सांख्यिकीय अधिकारी–द्वितीयः–

(1) कृषि गणना के रूपपत्रों की जॉच सम्बन्धी पत्रावलियां।

(2) क्राप कटिंग से सम्बन्धित पत्राचार की पत्रावलियां।

(3) वर्षा के आंकड़ों का संकलन सम्बन्धी पत्रावली।

22. अपर सांख्यिकीय अधिकारी–तृतीयः–

(1) कृषि गणना प्रपत्रों की जांच पत्राचार की पत्रावलियां।

(2) जिन्सवार / मिलान खसरा की जांच सम्बन्धी पत्रावलियां।

(3) भाव की रिपोर्ट का प्रेक्षण सम्बन्धी पत्रावली।

(4) पड़ताल जांच सम्बन्धी पत्रावली।

23. कनिष्ट सहायकः–

(1) स्थापना कार्य सम्बन्धी पत्रावली।

(2) बजट कार्य सम्बन्धी पत्रावली।

(3) भण्डार पंजिका।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

कार्यालय

मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

(मैनुअल संख्या–07)

मैनुअल संख्या–7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यो से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं :–

राज्य की कल्याणकारी योजनाऐं जो आम नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं से संबध रखती है, की व्यवस्था का प्रथम अंग है। अपनी कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अन्तर्गत विधायी संस्था द्वारा निर्मित कर कार्यकारी संस्था द्वारा आम जन मानस के लिए लागू कराई जाती है।

राजस्व विभाग शासन की रीढ है। शासन का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण उसे विशिष्ट अधिकारों के साथ उसी अनुरूप विशिष्ट कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। शासन के नियमों अधिनियमों में की गई व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन करने के लिए उ0प्र0 राजस्व नियमावली , भूलेख नियमावली, कलेक्शन मैनुअल, जमीदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, भू–राजस्व अधिनियम 1901, भारतीय दण्ड विधान, भारतीय दण्ड संहिता के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनरूप कार्यवाही करनी होती है। इसके अतिरिक्त कतिपय बिषयों पर शासन को संस्तुति एंव मार्ग निर्देशन हेतु सन्दर्भित किया जाता है। जटिल बिषयों पर सक्षम अधिकारी अपने अनुभवों के साथ–साथ कतिपय जटिल बिषयों पर मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों से लिखित आख्यायें प्राप्त कर प्रकरण का समाधान कर लिया जाता है। जनपद स्तर, मण्डल स्तर पर प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु मण्डलायुक्तों एंव जिलाधिकारियों को समय–समय पर निर्देश निर्गत किये जाते है। जिन मामलों में जिलाधिकारी एंव मण्डलायुक्त निर्णय/निस्तारण हेतु स्वयं सक्षम नहीं होते है, ऐसे मालों को प्राप्त जॉच रिपोर्ट/आख्याओं के आधार पर नियमानुसार निस्तारित किया जाता है।

राजस्व नियम संग्रह तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार इस स्तर पर सुलभ की जाने वाली सूचनाओं को आम

जनता के लिए उनके अनुरोध करने पर व्यवस्था में नियम स्थापित है।मुख्य राजस्व आयुक्त स्तर पर विभागीय नियमों, अधिनियमों के अतिरिक्त शासन, मा0 उच्च न्यायालयों, अभिकरणों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप उपस्थित बिषय वस्तु के आधार पर कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन एंव जनता/कर्मचारियों/अधिकारियों की समस्या के समाधान हेतु मार्गदर्शन एंव निर्देश जारी किये जाते है।

जन सामान्य की शिकायतों एंव समस्याओं को सुनने हेतु प्रत्येक कार्यदिवस में समय निर्धारित किया गया है तथा हर सम्भव प्रभावी प्रयासों से शिकायतों का निस्तारण करवाया जाता है। जिन शिकायतों का निस्तारण अधीनस्थ कार्यालयों से होना होता है ऐसे प्रकरणों का निस्तारण हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये जाते है। सम्बन्धित मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों को भी जनता की शिकायतों को सुनने एंव समाधान के लिए आवश्यक निर्देश इस स्तर से समय–समय पर दिये जाते है।

————

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

कार्यालय

मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

(मैनुअल संख्या—08)

मैनुअल संख्या–8

ऐसे बोर्डो, परिषदो, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिसका उनके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है, की क्या इन बोर्डो/परिषदो,समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगीं :–

उत्तरांचल राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु उत्तरांचल शासन के राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–1 मंत्री/राजस्व/22004 दिनांक 23 फरवरी 2004 द्वारा **"भूमि सुधार परिषद"** का गठन किया गया है। जिसमें शासन द्वारा श्री पूरण सिंह डंगवाल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तथा शासनादेश संख्या 509 (1)/XVIII(1)/2004 दिनांक 24 अगस्त–2004 द्वारा जनता के गणमान्य व्यक्तियों में से सर्व श्री गणेश "गरीब" सरस्वती निवास ग्राम सूला मुन्डनेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, श्री माधव सिंह नेगी, चिलिया नौला, नियर विरला कालेज, रानीखेत अल्मोड़ा तथा श्री बहादुर सिंह फर्तयाल, ब्लाक प्रमुख, चम्पावत, फर्तयाल गार्डन, चम्पावत को सदस्य नामित किया गया है। साथ ही इस परिषद के सहयोग के लिए के लिए सेवानिवृत्त दो पी0सी0एस0 अधिकारियों को सलाहकार नियुक्त किया गया है। एतद्सम्बन्धी शासनादेश संलग्न हैं। भूमि सुधार परिषद द्वारा समय समय पर जनता के बीच जाकर बैठकें की जा रही हैं और उनके सुझाव प्राप्त किये जा रहे हैं। सुझावों पर निर्णय हेतु परिषद द्वारा प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाता है। बैठक के कार्यवृत्त भी तैयार किये गये हैं जिनकी एक बुकलेट बनी है जो जनता के लिए खुली हैं तथा जिन पर जनता की पहुॅच है। परिषद की अब तक की बैठकों के कार्यवृत्त संलग्न हैं।

उत्तरांचल शासन
राजस्व विभाग
संख्याः 1-मंत्री / राजस्व / 22004
देहरादूनः दिनांकः 23 फरवरी,2004

कार्यालय ज्ञाप

पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी किये जाने के लिए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत **भूमि सुधार परिषद** का गठन किया जाता है। इस परिषद का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

अध्यक्ष	श्री पूरन सिंह डंगवाल
सलाहकार / विशेषज्ञ	श्री के0के0पन्त
सचिव	अपर सचिव, राजस्व विभाग

उक्त परिषद में विषय की जानकारी रखने वाले तीन नागरिकों एवं एक विषय विशेषज्ञ को सलाहकार के पद पर बाद में नामित किया जायेगा।

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

संख्या व तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री पूरन सिंह डंगवाल, निवासी ग्राम व पोस्ट–सगनेटी,ब्लाक ताड़ीखेत, जिला अल्मोड़ा
2. श्री के.के.पन्त सेवानिवृत पी.सी.एस. अधिकारी द्वारा निदेशक उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल।
3. मुख्य राजस्व आयुक्त,उत्तरांचल
4. चकबन्दी आयुक्त,उत्तरांचल
5. आयुक्त गढवाल / कुमायूं मण्डल
6. समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल(जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर को छोड़कर)

आज्ञा से,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

उत्तरांचल शासन, 26
राजस्व विभाग,
संख्या /18(1)/2006
देहरादून: दिनांक फरवरी, 2006

कार्यालय–ज्ञाप

पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी के सम्बन्ध में गठित भूमि सुधार परिषद का कार्यकाल बढ़ाये जाने विषयक कार्यालय–ज्ञाप संख्या–635/18(1)/2005 दिनांक 21 फरवरी, 2005 के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत उक्त परिषद का कार्यकाल पुनः एक वर्ष के लिये दिनांक 22–02–2007 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल।
2– सचिव, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल।
3– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
4– चकबंदी आयुक्त, उत्तरांचल।
5– आयुक्त, गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल, उत्तरांचल।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल (जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर को छोड़कर)

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

3-- उक्त पदों को प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर भरा जायेगा। [illegible] स्थिति में यदि नयी नियुक्ति की जाती है तो वो उक्त [illegible] में न कर [illegible] संविदा के आधार पर, पदधारकों से अनुबन्ध निष्पादित करके की जायेगी।

4-- उक्त परिषद एवं इसके स्टाफ के मानक के अनुसार व्यय हेतु अनु[illegible] लेखाशीर्षक--2029--भू--राजस्व--800--अन्य व्यय--03--खेतों की चकबंदी--02--जिला अधिष्ठान के अन्तर्गत मद संख्या--20--सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के अन्तर्गत रू0 23,70,000--00(रू0 तेईस लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय [illegible] श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का व्यय [illegible] उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 28--4--2001 में उल्लिखित अनुमन्यता [illegible] किया जायेगा।

5-- उपरोक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि इसके व्यय में बजट मैनुअल [illegible] पुस्तिका, स्टोर परचेज रूल्स अथवा टेण्डर/कुटेशन विषयक नियमों एवं शासन [illegible] के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा [illegible] में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया गया है।

6-- फर्नीचर व उपकरण [illegible] स्वीकृत पदों [illegible] मानक के अनुसार [illegible] जायेगा।

7-- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 200[illegible]--05 के आय-व्ययक अनुदान संख्या--6 लेखाशीर्षक 2029--भू--राजस्व--00--आयोजनेत्तर--800--अन्य [illegible] की चकबंदी--02--जिला अधिष्ठान--00--आयोजनेत्तर के अन्तर्गत--20--सहायक अनुदान/अंशदान/ राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।

8-- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या--585 [illegible] [illegible]--3--04 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लोक[illegible])

अपर स[illegible]

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1-- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

2-- सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तरांचल शासन।

3- कोषाधिकारी, देहरादून।

4- अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल, देहरादून।

5- वित्त अनुभाग-3

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(signature)

[illegible]

अपर [illegible]

उत्तरांचल शासन
राजस्व अनुभाग
संख्या– 507 /18(1)/ राजस्व / 2004
देहरादून, दिनांक 25 मई, 2004

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा श्री राज्यपाल महोदय श्री पूरन सिंह डंगवाल, अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल को राज्य मंत्री स्तर दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तदनुसार श्री डंगवाल को गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–14/1/2001 दिनांक 28 अप्रैल, 2001 में प्राविधानित सुविधायें अनुमन्य होंगी।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव, राजस्व।

संख्या– / /राजस्व/2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री पूरन सिंह डंगवाल, अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल।
5. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7. मुख्य राजस्व आयुक्त/अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल।
8. चकबन्दी आयुक्त, उत्तरांचल।
9. आयुक्त, गढ़वाल मण्ड़ल/कुमायूँ मण्डल।
10. महालेखाकार, उत्तरांचल।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
12. सचिव, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल।
12. गोपन अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
13. बरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

(सोहन लाल)
अपर सचिव, राजस्व।

कार्यालय मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

संख्या 653 /मु0रा0/2004 दिनांक अगस्त-17-2004.

आदेश

श्री पूरन सिंह डंगवाल, अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल को शासनादेश संख्या 507/18(1)/राजस्व/2004 दिनांक 25-5-2004 द्वारा राज्य मंत्री स्तर दिये जाने के फलस्वरूप श्री डंगवाल को गोपन (मंत्रि परिषद) अनुभाग, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-14/1/2001 दिनांक 28-4-2001 में प्राविधानित सुविधायें अनुमन्य हैं। अतः शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28-4-2001 के प्रस्तर-1 के अनुसार श्री डंगवाल को राज्य मंत्री स्तर दिये जाने की तिथि 25.5.2004 से रू0 2500-00 (रू0 दो हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह की दर से मानदेय भुगतान की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(नृप सिंह नपलच्याल)
मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तरॉचल-देहरादून।

संख्या एंव दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री पूरनसिंह डॅंगवाल,अध्यक्ष,भूमि सुधार परिषद,उत्तरॉचल।
2. अपर सचिव, राजस्व,उत्तरॉचल शासन देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तरॉचल,देहरादून।
5. कार्यालय प्रति।

(नृप सिंह नपलच्याल)
मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तरॉचल-देहरादून।

उत्तरांचल शासन
राजस्व विभाग
संख्याः/026/XVIII(1)/2004
देहरादून दिनांक 7 अक्टूबर,2004

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा श्री राज्यपाल महोदय निम्न सेवानिवृत पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त करते हैं:–

1. श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद विजल्वाण,
(सेवानिवृत पी.सी.एस.अधिकारी)
निवासी–अजबपुर कलां, देहरादून।
2. श्री शशिधर भट्ट
(सेवानिवृत पी.सी.एस.अधिकारी)
निवासी 202 ए फेज–2 बंसन्त विहार, देहरादून।

2. नियुक्त किए गये उक्त अधिकारियों को देय मानदेय के संबंध में आदेश अलग से जारी किए जायेंगे।
3. यह आदेश नियुक्त अधिकारियों के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी माने जायेंगे।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

संख्या (1)/XVIII(1)/2004 तद्दिनांकः
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. श्री पूरन सिंह डंगवाल, अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद,उत्तरांचल,देहरादून।
2. स्टाफ आफीसर–मुख्य सचिव,उत्तरांचल शासन।
3. स्टाफ आफीसर–अपर मुख्य सचिव,उत्तरांचल शासन।
4. मुख्य राजस्व आयुक्त,उत्तरांचल,देहरादून।
5. सचिव, भूमि सुधार परिषद/चकबन्दी आयुक्त उत्तरांचल,देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
7. संबंधित सेवानिवृत अधिकारी।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
सचिव
भूमि सुधार परिषद,उत्तरांचल

संख्या-324 / 10(1) / 2006

प्रेषक,

सी0एस0नपलच्याल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तरांचल
देहरादून।

राजस्व विभाग | देहरादून : दिनांक 25 अगस्त, 2006

विषय :- भूमि सुधार परिषद कार्यालय में श्री विक्रम सिंह नेगी का विशेषज्ञ के पद पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय, [illegible] किये जाने के संबंध में

उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी लागू [illegible] संविदा पर नियुक्त श्री अध्यक्ष [illegible] गठित भूमि सुधार परिषद में विशेषज्ञ के रूप में संविदा पर नियुक्त श्री [illegible] की संविदा दिनांक 11-7-2006 को समाप्त होने के उपरान्त उक्त रिक्त पद पर श्री विक्रम सिंह नेगी सेवा निवृत्त पी0सी0एस0 अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 28-2-2007 तक संविदा पर रुपया 8000-00 प्रतिमाह नियत धनराशि के मानदेय पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। श्री नेगी के संविदा के पद को अथवा इस शर्त के अधीन रहेगी कि उक्त पद इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 6 लेखाशीर्षक 2029-भू राजस्व -00- आयोजनागत -800-अन्य व्यय -03-चकबंदी -02-जिला अधिष्ठान -सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(सी0एस0नपलच्याल)
अपर सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
3- अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, देहरादून।
4- कोषाधिकारी, देहरादून।
5- सम्बन्धित विशेषज्ञ, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सी0एस0नपलच्याल)
अपर सचिव।

संख्या 331(2)/18(1)/2006

प्रेषक,

पी0एस0जंगपांगी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तरांचल,
देहरादून।

राजस्व विभाग — देहरादून: दिनांक 25 अगस्त, 2006

विषय:— भूमि सुधार परिषद कार्यालय में विशेषज्ञ के पद पर वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिये निरन्तरता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–450/18(1)/2005 दिनांक 11 जुलाई, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय भूमि सुधार परिषद में संविदा पर नियुक्त विशेषज्ञ श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद बिजल्वाण को दिनांक 28–2–2007 तक बनाये रखने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि उक्त पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–[illegible] लेखाशीर्षक –2029–भू–राजस्व –800–अन्य व्यय –03–[illegible] की [illegible]–02–जिला अधिष्ठान की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
3— अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, देहरादून।
4— कोषाधिकारी, देहरादून।
5— सम्बन्धित विशेषज्ञ, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल।
6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग
संख्या– 880/14/1/2001/XXI/2004
देहरादून: दिनांक 15 दिसम्बर, 2004

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों/निगमों/परिषदों/आयोगों आदि में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सलाहकार आदि के पदों पर नियुक्त महानुभावों को उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर जनहित में संबंधित विभागों द्वारा प्राप्त किये गये शासन के आदेशों के अनुसार श्रेणी–'क'/श्रेणी–'ख'/श्रेणी–'ग' में रखा जायेगा तथा तदनुसार संबंधित महानुभावों को निम्नलिखित मानदेय/स्टाफ/भत्ते व अन्य सुविधाएं अनुमन्य होंगी :–

(1) श्रेणी–'क'/श्रेणी–'ख' की सुविधाएं प्राप्त महानुभावों को रूपये 2500/–प्रतिमाह तथा श्रेणी–'ग' की सुविधाएं प्राप्त महानुभावों को रूपये 2250/--प्रतिमाह मानदेय देय होगा; परन्तु इस संबंध में यदि किसी निगम/परिषद/आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सलाहकार आदि को संबंधित निगम/परिषद आदि के अधिनियम/नियम या शासनादेश में उपरोक्त धनराशि से अधिक धनराशि मानदेय/वेतन के रूप में देय है तो ऐसी दशा में ऐसे महानुभाव को ऐसी अधिक धनराशि यथास्थिति मानदेय/वेतन के रूप में देय होगी जो संबंधित अधिनियम/नियम या शासनादेश में उल्लिखित हो और इस दशा में उन्हें मानदेय की उपरोक्त धनराशियां देय नहीं होंगी।

(2) सम्बन्धित आयोग/परिषद/निगम आदि द्वारा सम्बन्धित महानुभाव को कार्यालय कार्यों के सम्पादन हेतु एक निजी सचिव, एक वैयक्तिक सहायक एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।

(3) सुरक्षा के लिये सभी श्रेणीबद्ध महानुभावों को एक अंगरक्षक उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सड़क द्वारा यात्रा करने की दशा में श्रेणी–'क' श्रेणी–'ख' एवं श्रेणी–'ग' के महानुभावों को किराये का वाहन अनुमन्य कराया जायेगा।

उल्लेख किया जायेगा कि यह आदेश गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग को दिखाकर जारी किये जा रहे हैं।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या– 830 (1)/14/1/2001/XXI/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव मा० मुख्यमंत्री/समस्त मा० मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।
2. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर–अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
4. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव तथा अपर सचिव।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. राज्य सम्पत्ति अधिकारी।
7. समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रधान कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
8. महालेखाकार, उत्तरांचल।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग
संख्या– 689/14/1/2001 सी.एक्स.
देहरादून: दिनांक 29 सितम्बर, 2004

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों/निगमों/परिषदों/आयोगों आदि में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सलाहकार आदि के पदों पर नियुक्त महानुभावों को अनुभव एवं योग्यता के आधार पर जनहित में संबंधित विभागों द्वारा प्राप्त किये गये शासन के आदेशों के अनुसार **श्रेणी–'क'/श्रेणी–'ख'/श्रेणी–'ग'** में रखा जायेगा तथा तदनुसार संबंधित महानुभावों को निम्नलिखित मानदेय/यात्रा भत्ता की सुविधाएं अनुमन्य होंगी :–

(1) श्रेणी–'क'/श्रेणी–'ख' की सुविधाएं प्राप्त महानुभावों को रूपये 2500/– प्रतिमाह तथा श्रेणी–'ग' की सुविधाएं प्राप्त महानुभावों को रूपये 2250/–प्रतिमाह मानदेय देय होगा; परन्तु इस संबंध में यदि किसी निगम/परिषद/आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सलाहकार आदि को संबंधित निगम/परिषद आदि के अधिनियम/नियम या शासनादेश में उपरोक्त धनराशि से अधिक धनराशि मानदेय/वेतन के रूप में देय है तो ऐसी दशा में ऐसे महानुभाव को ऐसी अधिक धनराशि यथास्थिति मानदेय/वेतन के रूप में देय होगी जो संबंधित अधिनियम/नियम या शासनादेश में उल्लिखित हो और इस दशा में उन्हें मानदेय की उपरोक्त धनराशियां देय नहीं होंगी।

(2) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सड़क द्वारा यात्रा करने की दशा में **श्रेणी–'क' श्रेणी–'ख'** एवं **श्रेणी–'ग'** के महानुभावों को किराये का वाहन अनुमन्य कराया जायेगा।

(3) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में रेल द्वारा यात्रा करने पर **श्रेणी–'क' श्रेणी–'ख' तथा श्रेणी–'ग'** की सुविधाएं प्राप्त महानुभावों को उपलब्ध उच्चतम श्रेणी में एक बर्थ अनुमन्य होगी।

(4) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में वायुयान द्वारा यात्रा किये जाने की स्थिति में उक्त तीनों श्रेणियों के महानुभावों को वायुयान में उपलब्धता की दशा में एक्जीक्यूटिव क्लास में एक सीट अनुमन्य होगी ; परन्तु श्रेणी–'ग' के महानुभाव द्वारा वायुयान से यात्रा करने की स्थिति में उन्हें संबंधित विभागीय मंत्री की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी के महानुभावों द्वारा की गयी यात्राओं के संबंध में मुख्यालय वह माना जायेगा जहां संबंधित निगम/परिषद/आयोग का कार्यालय हो तथा इन महानुभावों को मुख्यालय से बाहर पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गयी यात्राओं में रू0 250/—प्रतिदिन के अनुसार दैनिक भत्ता देय होगा। **श्रेणी—'क'** तथा **श्रेणी—'ख'** के महानुभाव इन यात्राओं के अपने यात्रा बिलों के लिए स्वयं नियंत्रक प्राधिकारी होंगे, परन्तु **श्रेणी—'ग'** की सुविधाएं प्राप्त महानुभावों द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गयी यात्राओं के उनके यात्रा बिलों के संबंध में संबंधित विभागीय मंत्री नियंत्रक प्राधिकारी होंगे।

(6) मानदेय/वेतन/यात्रा भत्ता का व्ययभार उस विभाग या निगम या परिषद या आयोग द्वारा वहन किया जायेगा जिसमें संबंधित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सलाहकार आदि महानुभाव नियुक्त हों।

(7) उपरोक्त तीनों श्रेणी के महानुभावों द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गयी यात्राओं के दौरान उन्हें किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरने की सुविधा होगी। स्थानीय सद्भाव संबंधित महानुभाव के अपने विभाग/निगम/परिषद/ आयोग के स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा।

(8) यह आदेश पूर्वगामी प्रभाव दिनांक 2.3.2002 से लागू समझे जायेगें तथा इसी तिथि से शासनादेश संख्या—14/1/2001, दिनांक 28 अप्रैल, 2001 अतिक्रमित हुआ समझा जायेगा। ऐसी दशा में संबंधित महानुभावों के संदर्भ में संबंधित विभागों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अनुसार संशोधित आदेश जारी किये जायेगें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 28.04.2001 द्वारा दी गयी सुविधाओं पर व्यय हुई धनराशि की वसूली अथवा उक्त शासनादेश द्वारा बढ़ायी गयी धनराशि के अवशेष देयकों (एरियर) से सम्बन्धित मामले पुनरोद्घाटित (Re-Open) नहीं किये जायेगें।

2. अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार जारी किये जाने वाले संशोधित आदेश अथवा यथास्थिति भविष्य में प्राप्त आदेश संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग को दिखाकर जारी किये जायेंगे और इन आदेशों में स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि यह आदेश गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग को दिखाकर जारी किये जा रहे हैं।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या– 689 (1)–14/1/2001 सी.एक्स. तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री/समस्त मा0 मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।
2. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर–अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
4. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव तथा अपर सचिव।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. राज्य सम्पत्ति अधिकारी।
7. समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रधान कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
8. महालेखाकार, उत्तरांचल।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
राजस्व अनुभाग
संख्या– 507 /18(17)/राजस्व/2004
देहरादून, दिनांक 25 मई, 2004

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय श्री पूरन सिंह डंगवाल, अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल को राज्य मंत्री स्तर दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तदनुसार श्री डंगवाल को गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–14/1/2001 दिनांक 28 अप्रैल, 2001 में प्राविधानित सुविधायें अनुमन्य होंगी।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव, राजस्व।

संख्या– / /राजस्व/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री पूरन सिंह डंगवाल, अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल।
5. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7. मुख्य राजस्व आयुक्त/अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल।
8. चकबन्दी आयुक्त, उत्तरांचल।
9. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल।
10. महालेखाकार, उत्तरांचल।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
12. सचिव, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल।
12. गोपन अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
13. बरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

(सोहन लाल)
अपर सचिव, राजस्व।

उत्तरांचल शासन
गोपन (मंत्रिपरिषद)अनुभाग
संख्या– 14/1/2001
देहरादून: दिनांक :28अप्रैल, 2001

कार्यालय ज्ञाप

शासन द्वारा विभिन्न निगमों/परिषदों आदि में अध्यक्ष, सलाहकार आदि के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री का स्तर दिये जाने पर उन्हें वेतन/भत्ते/सुविधायें अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों के अन्तर्गत आयोगों/परिषदों/निगमों आदि में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सलाहकार अथवा अन्य पदों पर नियुक्त तथा मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री के स्तर प्राप्त महानुभावों को निम्नलिखित रूप में वेतन/भत्तो/स्टाफ व अन्य सुविधायें अनुमन्य होंगी:–

(1) मंत्री/राज्यमंत्री स्तर प्राप्त महानुभावों को रूपये 2500/– प्रतिमाह तथ उपमंत्री स्तर प्राप्त व्यक्तियों को रूपये 2250/– प्रतिमाह मानदेय दे होगा।

(2) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में स्तर प्राप्त महानुभावों को ड्राइवर सहित एव स्टाफ कार, कार्यालय व आवास पर एक–एक टेलीफोन,एक निज सचिव,एक वैयक्तिक सहायक एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्राप्त होंगे।

(3) आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार उच्चादेश प्राप्त करके सम्बन्धित विभाग द्वारा आदेश जारी किये जायंगे। सरका आवास प्राप्त न होने पर मंत्री स्तर प्राप्त को रू0 800/–प्रतिमाह तथ राज्यमंत्री/उपमंत्री स्तर प्राप्त को रू0 500/–प्रतिमाह की दर से मका किराया भत्ता देय होगा।

(4) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में रेल द्वारा यात्रा करने पर मंत्री स्तर प्रा व्यक्तियों को उपलब्ध उच्चतम श्रेणी में एक कूपे तथा वायुयान द्वारा या की स्थिति में एक सीट अनुमन्य होगी। राज्यमंत्री/ उपमंत्री स्तर प्रा महानुभावों को रेल द्वारा यात्रा करने पर उपलब्ध उच्चतम श्रेणी में ए बर्थ तथा वायुयान द्वारा यात्रा करने की स्थिति में एक सीट अनुमन्य हो परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वायुयान द्वारा यात्रा किये जाने के सम्बन्ध उपमंत्री के स्तर प्राप्त महानुभावों को संबंधित विभागीय मंत्री की अनुमति लेना आवश्यक होगा।

(5) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में मुख्यालय माना जायेगा जहां संबंधित विभाग/परिषद का कार्यालय हो त मुख्यालय से बाहर ऐसी यात्राओं में रू0 125/–प्रतिदिन के अनुर दैनिक भत्ता देय होगा तथा वे ऐसी यात्राओं के यात्रा बिलों के लि

स्वयं नियंत्रक प्राधिकारी होंगे। उपमंत्री स्तर प्राप्त महानुभावों द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में की गयी यात्राओं के यात्रा बिलों के लिये विभाग के मंत्री नियंत्रक प्राधिकारी होंगे।

(6) सुरक्षा के लिये एक अंगरक्षक उपलब्ध कराया जायेगा। मंत्री स्तर प्राप्त व्यक्तियों द्वारा लिखित रूप से अनुरोध करने पर रात्रि में यात्रा के दौरान इस्कॉर्ट की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) प्रत्येक मंत्री/राज्य मंत्री/ उप मंत्री और उसके परिवार के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों में निःशुल्क आवास और उन सिद्धान्तों के अनुसार जो मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री के लिये विहित किये गये हों, चिकित्सा परिचर्या और उपचार के हकदार होंगें। परिवार से तात्पर्य संबंधित महानुभाव की पत्नी/पति, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन से है जो स्तर प्राप्त महानुभाव के साथ रहते हों और उन पर पूर्णरूप से आश्रित हों।

(8) वेतन, वाहन, पर्सनल स्टाफ, टेलीफोन, यात्रा भत्ता इत्यादि का व्यय भार उस विभाग या निगम या परिषद पर होगा जिसमें उन्हें अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ सलाहकार या अन्य किसी पद पर नियुक्त किया गया है।

(9) पदीय कर्तव्यों के पालन में की गयी यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना सर्किट हाउस या अन्य सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरने की सुविधा होगी। स्थानीय सद्भाव उनके अपने विभाग या निगम या परिषद के स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा। ऐसे अवसरों पर जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक दौरे से संबंधित व्यवस्था के लिये उत्तरदायी न होंगें तथा उनकी उपस्थिति अनिवार्य न होगी।

2—इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि एतद्‌विषयक आदेश संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा गोपन (मंत्रि परिषद) अनुभाग को दिखाकर जारी किये जायेंगें।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या– 14/1/2001,तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 मुख्यमंत्री,समस्त मा0 मंत्रियों/राज्यमंत्रियों/उप मंत्रियों के निजी सचिव।
2– शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव तथा अपर सचिव।
3– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4– राज्य सम्पत्ति अधिकारी।
5– उत्तरांचल प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रधान कार्यालयाध्यक्ष।
6– महालेखाकार,उत्तरांचल प्रकोष्ठ,इलाहाबाद।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तरांचल शासन,
देहरादून।

संख्या 6419 /सात-33/2001-2002 दिनांक जून 22 2004

विषय भूमि सुधार परिषद की बैठक दिनांक 11.06.2004 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 509/(1)/अठारह-(1)/2004 दिनांक 28 मई,2004 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत दिनांक 11.06.2004 को माननीय अध्यक्ष, श्री पूरनसिंह डंगवाल,भूमि सुधार परिषद की अध्यक्षता में जनपद अल्मोड़ा के न्याय पंचायत सगनेटी के स्थान तिपोला में भूमि सुधार परिषद की चकबन्दी से सवम्बन्धित बैठक आहूत की गयी थी। जिसमें काफी संख्या में जन प्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा भाग लिया गया। प्रश्नगत बैठक में यथा निर्देश अधोहस्ताक्षरी एवं परगना अधिकारी रानीखेत/तहसीलदार रानीखेत/नायब तहसीलदार रानीखेत व क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों द्वारा भागीदारी सुनिश्चित की गई।

बैठक में सम्पन्न विचार विमर्श के उपरान्त उपस्थित जन प्रतिनिधियों द्वारा शासन की भावनाओं से सहमत होते हुए स्वैच्छिक चकबन्दी पर सहमति व्यक्त की गई। बैठक में सम्पन्न विचार विमर्श एवं प्राप्त सुझावों पर कार्यवृत्त तैयार कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्न:-

भवदीय,

(चनर राम)
जिलाधिकारी,अल्मोड़ा।

संख्या एवं तिथि उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री पूरनसिंह डंगवाल,माननीय अध्यक्ष,भूमि सुधार परिषद,उत्तरांचल,देहरादून को उक्त बैठक की कार्यवृत्त की एक छाया प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

(चनर राम)
जिलाधिकारी,अल्मोड़ा।

प्रेषक,

जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा।

सेवा में,

श्री कैलाशचन्द्र पंत जी,
विशेष कार्याधिकारी,
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल,
देहरादून।

संख्या 6425/ सात- 33/2001-2002 दिनांक: जून 22, 2004

विषय- भूमि सुधार परिषद् की स्वैच्छिक चकबन्दी लागू किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 11.6.04 को हुई बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में भूमि सुधार परिषद् की स्वैच्छिक चकबन्दी लागू किये जाने हेतु श्री पूरन सिंह डंगवाल मा० अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद् उत्तरांचल की अध्यक्षता में दिनांक 11.6.2004 को जनपद अल्मोड़ा के स्थान तिपौला, रानीखेत में बैठक आहूत की गयी। बैठक की कार्यवृत्ति एवं श्री डंगवाल मा०अध्यक्ष भूमि सुधार परिषद् उत्तरांचल द्वारा दिये गये सुझावों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि

भवदीय,

(चन्द्र राम)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या एवं तिथि उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तरांचल शासन देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि श्री पूरन सिंह डंगवाल, मा० अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद्, उत्तरांचल देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(चन्द्र राम)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

दिनांक 11.6.2004 को स्थान तिपोला में उत्तरांचल भूमि सुधार परिषद की न्याय पंचायत सगनेटी विकास खण्ड ताड़ीखेत में स्वैच्छिक चकबंदी लागू किये जाने के सम्बन्ध में आहूत बैठक की कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-

1- श्री पूरनसिंह डंगवाल,अध्यक्ष भूमि सुधार परिषद उत्तरांचल सरकार।
2- श्री चनर राम, जिलाधिकारी,अल्मोड़ा।
3- श्री बी0डी0 शर्मा भू0पू0 एम0एल0सी0 रानीखेत।
4- श्री बहादुरसिंह फर्तियाल,प्रमुख क्षेत्र पंचायत/सदस्य भूमि सुधार परिषद।
5- श्री नन्दनसिंह संगेला प्रमुख क्षेत्र पंचायत चौखुटिया/सदस्य भूमि सुधार परिषद।
6- श्री गणेशसिंह नेगी गरीब मध्य संचालक समाचार पत्र उत्तराखण्ड की आवाज।
7- श्री विनोद कुमार सुमन उप जिलाधिकारी,रानीखेत।
8- श्री गिरीशचन्द्र गुणवन्त,तहसीलदार,रानीखेत।
9- श्री संजय कुमार आर्य,चकबंदी अधिकारी किच्छा।
10- श्री प्रफुल्ल चन्द्र पंत,वैयक्तिक सहायक,जिलाधिकारी,अल्मोड़ा।
11- श्री हरवंशसिंह प्रधान ग्राम पंचायत बलना।
12- श्री मोहनसिंह बोरा,सदस्य भूमि सुधार परिषद उत्तरांचल।
13- श्री प्रतापसिंह प्रधान ग्राम पंचायत मटगांव।
14- श्री श्याम सुन्दरसिंह प्रधान ग्राम पंचायत कुनस्यारी।
15- श्री खुशालसिंह प्रधान ग्राम पंचायत जाल।
16- श्री मोहनसिंह नेगी,प्रधान ग्राम पंचायत सगनेटी।
17- श्री दानसिंह ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत गटोली।
18- श्री नन्दनसिंह रावत सदस्य भूमि सुधार समिति उत्तरांचल।
19- श्री माधवसिह नेगी सदस्य भूमि सुधार समिति उत्तरांचल।
20- श्री देवेन्द्रसिंह कनिष्ट ब्लौक प्रमुख विकास खण्ड द्वाराहाट।
21- श्रीमती कलावती प्रधान ग्राम पंचायत तिपोला।
22- श्रीमती नीमा पाण्डे,प्रधान ग्राम पंचायत मिलौटा।
23- श्रीमती कमला विष्ट,अध्यक्ष,महिला काग्रेस,विकास खण्ड ताड़ीखेत।
24- श्री प्रमोद कुमार रौतेला सरपंच वन पंचायत तिपौला।
25- श्री बालमसिंह प्रधान ग्राम पंचायत
26- श्री विजयसिंह रावत प्रधान ग्राम पंचायत।
27- श्री चिंता सिंह रावत,प्रधान ग्राम पंचायत काट्यूड़ा।
28- श्रीमती इन्द्रारावत प्रधान ग्राम पंचायत सलौनी।
29- श्रीमती मंजू आर्या,प्रधान ग्राम पंचायत।
30- श्रीमती हेमा बुधोड़ी,प्रधान ग्राम पंचायत पासौ।
31- श्रीमती हीरादेवी प्रधान ग्राम पंचायत।
32- श्रीमती मुन्नी देवी प्रधान ग्राम पंचायत बडोली।
33- श्री गोपालसिंह विष्ट क्षेत्र पंचायत सदस्य मजगांव।
34- श्री चन्दनसिंह विष्ट क्षेत्र पंचायत सदस्य नौगांव।

कार्यवृत्त

1. सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल सरकार द्वारा स्वैच्छिक चकबन्दी से प्राप्त होने वाले लाभों के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से न्यायपंचायत सगनेटी की समस्त जनता एवं जन प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया तथा उत्तरांचल राज्य बनने उपरान्त उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी से होने वाले विकास की सम्भावनाओं से भी अवगत कराया गया। बैठक में उपस्थित सभी महानुभाव स्वैच्छिक चकबन्दी लागू करने के पक्षधर पाये गये तथा सभी के द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी सहमति व्यक्त की गयी। स्वैच्छिक चकबन्दी लागू करने के लिए ब्लाक एवं तहसील स्तर पर समितियों के गठन पर जोर दिया गया उनके द्वारा उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं कृषकों को अवगत कराया गया कि पर्वतीय क्षेत्र में काश्तकारों की भूमि एक चक में न होकर बिखरी हुई होने के कारण ऐसी भूमि के भू प्रबन्धन में काश्तकारों/महिलाओ का अधिक समय बरबाद होता है तथा उन्हें शारीरिक श्रम भी ज्यादा करना पड़ता है। यदि स्वैच्छिक चकबन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत भू प्रबन्धन किया जाता है तो इससे जहां एक ओर श्रम शक्ति की बचत होगी वही दूसरी ओर बेहतर भू प्रबन्धन से उत्पादन में भी बृद्धि होगी तथा फसलों की सुरक्षा का कार्य भी आसान हो जायेगा। स्वैच्छिक भू प्रबन्धन से भूमि विवादों की संभावना भी घटकर शून्य हो जायेगी। उनके द्वारा उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया कि उत्तरांचल में उत्तरकाशी के बीफ ग्राम तथा पौड़ी गढ़वाल के मुन्ड़नेश्वर ग्राम में स्वैच्छिक चकबन्दी कर सफलता प्राप्त की है।माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया कि शासन भूमि सुधार के लिये प्रयत्नशील है तथा इस कार्यक्रम को जन सहभागिता के द्वारा आगे बढ़ाना चाहता है जिससे इस नव सृजित राज्य में किसानों की तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो सकें। माननीय अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल द्वारा स्वैच्छिक चकबन्दी के निम्न लाभ वर्णित किये गये।

1. स्वैच्छिक चकबन्दी लागू करने से भू प्रबन्धन में सुगमता होगी
2. स्वैच्छिक चकबन्दी लागू करने से कृषि का विकास होगा तथा कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा ।
3. स्वैच्छिक चकबन्दी से प्रत्येक कृषक परिवार अपने चक में बेहतर जल प्रबन्धन कर सकेगा ।
4. स्वैच्छिक चकबन्दी लागू किये जाने से महिलाओं को कृषि कार्य में अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा साथ ही उनके समय एवं श्रम की बचत होगी फलस्वरूप उनकी स्थिति में सुधार होगा।
5. चकबन्दी क्षेत्रों को सरकार हर संभव सहायता करेगी तथा चक के साथ-साथ,चक रोड. सड़क, धेर बाड़ तथा बरसात के पानी को एकत्रित करने के लिये पोखर टैंक आदि की भी व्यवस्था होगी ।
6. चकबन्दी के परिणामस्वरूप व्यावसायिक फसलों के उत्पादन की संभानवायें बढेंगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा चकबन्दी के महत्व पर प्रकाश डालने के उपरान्त बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों द्वारा भी इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपने सुझाव निम्नवत प्रस्तुत किये गये :-

2. श्री गणेश सिंह नेगी जी द्वारा स्वैच्छिक चकबन्दी लागू किये जाने उपरान्त बागवानी व उद्योगों के विकास, बरसाती जल को इकट्ठा कर उपयोग में लाने, पर्यावरण सुरक्षा एवं बाढ़ नियंत्रण किये जाने के लाभों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई।

3. श्री बी0डी0शार्मा, पूर्व एम.एल.सी. द्वारा पहाड़ में कृषकों की भूमि एवं जोतों के दूर-दूर होने से स्वैच्छिक चकबन्दी की आवश्यकता पर बल दिया तथा यह भी अवगत कराया कि पहाड़ में जोतों के दूर-दूर होने से कृषक द्वारा कमरतोड़ परिश्रम करने उपरान्त भी खाने को अनाज नहीं पैदा होता है। यदि क्षेत्र का उत्थान करना है तो स्वैच्छिक चकबन्दी लागू किया जाना आवश्यक बताया।

4. श्री माधव सिंह नेगी, सदस्य, भूमि सुधार समित, उत्तरांचल द्वारा अवगत कराया गया कि कषकों द्वारा वृक्ष लगाने उपरान्त उनकी उचित देखभाल न होने से वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। यदि चकबन्दी लागू हो जाय तो कृषक अपनी भूमि एक स्थान पर होने से लगाये गये वृक्षों की उचित देखभाल कर पायेंगे, जिससे उन्हें भविष्य में लाभ होगा।

5. श्रीमती कमला बिष्ट, समाजसेवी, न्याय पंचायत सगनेटी का विचार था कि महिलाओं को खेतों में अधिक परिश्रम करना पड़ता है तथा खेतों के दूर-दूर बिखरे होने से अत्यन्त कठिनाई होती है। चकबन्दी लागू किये जाने से महिलाओं की इस मुख्य समस्या का समाधान हो सकेगा।

6. श्री मोहनसिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत सगनेटी का विचार था कि पहाड़ में खेत दूर-दूर होने से, दूसरे ग्रामवासियों के जानवर खेतों को चर देते हैं, जिसके कारण फसल नष्ट हो जाती है। यदि चकबन्दी लागू हो जाय तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

7. श्री प्रफुल्ल पंत, वैयक्तिक सहायक, जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा भी चकबन्दी के लाभों के सम्बन्ध में क्षेत्र के महानुभावों को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि सर्व प्रथम जन प्रतिनिधि शासन की स्वैच्छिक चकबन्दी की भावना को समझें । यह प्रथम बार है कि शासन जनता से उनकी भलाई के लिये उनकी सहमति के आधार पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सहयोग की अपेक्षा कर रहा है । स्वैच्छिक चकबन्दी के प्रस्ताव की स्वीकृति होने उपरान्त ही स्वैच्छिक चकबन्दी लागू होगी। उनका सुझाव था कि चूँकि पर्वतीय क्षेत्रों के भूमि बन्दोबस्त, वन बन्दोबस्त मैदानी क्षेत्रों से अलग हैं अत: उचित होगा कि स्वैच्छिक चकबन्दी के मार्ग में आने वाली विधिक कठिनाइयों का वर्गीकरण कर समस्याओं के निराकरण हेतु एक स्टेटस पेपर तैयार कर लिया जाय । इसी प्रकार पर्वतीय ग्रामों की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रवासी पर्वतीयों के हक हकूक एवं गांव में निवास करने वाले भूमिहीन वर्गों के हक हकूकों के सम्बन्ध में समस्याओं का चिन्हींकरण करते हुए उनके समाधान हेतु भी स्टेटस पेपर तैयार कर लिया जाय एवं उपरोक्त स्टेटस पेपरों में दिये गये सुझावों के आधार पर ग्रामीणों की शंकाओं का समाधान करते हुए इस

महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सम्बन्ध में जन जाग्रति पैदा की जाय । जब हम चकबन्दी के मार्ग में आने वाली विधिक एवं व्यवहारिक कठिनाइयों के निराकरण हेतु सर्वोत्तम हल निकाल लेंगे तो हमें ग्रामीणों को समझाने में भी सुविधा होगी ।

8. श्री संजय आर्य, चकबन्दी अधिकारी, किच्छा का विचार था कि क्षेत्रवासी इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों/समस्याओं के अनुसार स्वैच्छिक चकबन्दी का प्रस्ताव तैयार करें।

9. श्री नन्दन सिंह सैगेला, प्रमुख क्षेत्र पंचायत चौखुटिया एवं सदस्य, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल का विचार था कि न्याय पंचायत सगनेठी अन्तर्गत स्वैच्छिक चकबन्दी लागू करने के प्रस्ताव सिविल तथा असिंचित भूमि के पृथक-पृथक बनाये जायें। इस प्रकार स्वैच्छिक चकबन्दी को दो भागों में बांटने में सुगमता होगी।

10. श्री शिवेन्द्र सिंह, ग्राम कोटिला द्वारा पहाड़ की उपजाऊ तथा अनुपजाऊ भूमि में स्वैच्छिक चकबन्दी लागू करने पर यह शंका व्यक्त की गई कि चकबन्दी में किसी व्यक्ति को अच्छी भूमि उपलब्ध होगी तथा किसी को बुरी भूमि। इस सम्बन्ध में उनको अवगत कराया गया कि स्वैच्छिक चकबन्दी लागू हो जाने के उपरान्त भूमि की सिंचाई का कार्य, भूमि की देखरेख का कार्य तथा भूमि का सुरक्षा काय कार्य सम्पन्न होगा, जिससे कोई भी भूमि अच्छी एवं बुरी भूमि नहीं रहेगी।

11. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने सम्बोधन में स्वैच्छिक चकबन्दी से प्राप्त होने वाले लाभों का विस्तृत उल्लेख किया गया। उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों को अवगत कराया कि इस न्याय पंचायत क्षेत्र में यदि स्वैच्छिक चकबन्दी लागू हो जाय तो इससे युवाओं का पलायन काफी हद तक रुकेगा, कृषक की भूमि एवं भवन एक ही स्थान पर होने से वह अच्छी प्रकार खेती करेगा, खेतों की देखभाल करेगा, वृक्षों की देखभाल करेगा तथा इससे उसकी आय में अधिकाधिक वृद्धि होगी। क्षेत्र के अन्तर्गत सभी कृषकों को सही अनुपात में कृषि भूमि उपलब्ध होगी तथा इससे बेरोजगारी को भी दूर करने में सहायता मिलेगी। वर्तमान में कृषक को खेतों के अत्यन्त दूर-दूर होने से कार्य करने में अत्यन्त कठिनाईयां का सामना करना पड़ता है तथा खेतों का कार्य पूर्ण करने में कई-कई दिन लग जाते हैं। चकबन्दी लागू होने के उपरान्त इस विकट समस्या का निदान हो जायेगा तथा इससे कृषकों को अधिकाधिक लाभ पहुंचेगा। चकबन्दी उपरान्त बरसात के पानी का उपयोग करना तथा पेयजल की व्यवस्था करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को सुगमता से सम्पन्न किया जा सकेगा तथा वर्तमान में पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामों को भी पेयजल की कमी से छुटकारा प्रदान किया जा सकेगा।

जिलाधिकारी द्वारा न्याय पंचायत सगनेटी के क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया कि वे स्वयं अपनी इच्छानुसार एवं क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार

स्वैच्छिक चकबन्दी का व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार करवायें तथा प्रस्ताव तैयार होने उपरान्त इसे शासन को प्रेषित किया जायेगा तथा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त इसे लागू किया जायेगा। इस पर समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई।

2. बैठक में सर्वसम्मति से न्याय पंचायत सगनेटी अन्तर्गत स्वैच्छिक चकबन्दी लागू किये जाने के लिये चकबन्दी कार्य हेतु समिति का निम्नवत गठन किया गया।

- श्री मोहनसिंह नेगी,प्रधान ग्राम पंचायत सगनेटी।
- श्री खुशालसिंह,प्रधान ग्राम पंचायत जाल।
- श्री बालमसिंह प्रधान ग्राम पंचायत,ज्यूड़ा।
- श्री चिंता सिंह रावत प्रधान ग्राम पंचायत असवाल कोटयूड़ा।
- श्रीमती इन्द्रा रावत प्रधान ग्राम पंचायत,सलोनी।
- श्रीमती मंजू आर्या, प्रधान ग्राम पंचायत सौली।
- श्रीमती हेमा बुधौड़ी, प्रधान ग्राम पंचायत पस्तौडा।
- श्रीमती हीरादेवी प्रधान ग्राम पंचायत,सैनरी।
- श्रीमती मुन्नी देवी, प्रधान ग्राम पंचायत,हटोला।
- श्रीमती नीमा पाण्डे, प्रधान ग्राम पंचायत,मिलौटी।
- श्री प्रतापसिंह बिष्ट,ग्राम पंचायत,मजगांव।
- श्रीमती कमला विष्ट,नामित सदस्य ग्राम पंचायत कापड़ी।

बैठक में सर्व सम्मति से निम्नांकित प्रस्ताव भी पारित किये गये :-

3. स्वैच्छिक चकबन्दी लागू होने उपरान्त गठित समिति का कोई सदस्य यदि चकबन्दी की मूल भावनाओं के विपरीत कार्य करेगा, तो उसे कम से कम समिति के तीन चौथाई सदस्य प्रस्ताव पास कर हटा सकेंगे।

4. समिति के सदस्य अपनी-अपनी ग्राम सभा की बैठक कर ग्रामवासियों को चकबन्दी के लाभ से अवगत कराते हुए स्वैच्छिक चकबन्दी हेतु उनकी सहमति प्राप्त करेगी। इन बैठकों में राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी सहयोग उपलब्ध करवाया जायेगा।

अन्त में माननीय अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल द्वारा समस्त महानुभावों/अधिकारियों को धन्यवाद देते आशा व्यक्त की गई कि अधिकारी/कर्मचारी शासन की अपेक्षाओं के अनुरूप इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे।

दिनांक : 11.06.2004

11.06.04

(विनोद कुमार सुमन)
परगना अधिकारी,रानीखेत

चकबन्दी के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दु

- पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक स्थितियों के कारण यहां पर मैदानी क्षेत्रों की भांति चकबन्दी किया जाना सम्भव नहीं है । इसके लिये उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम,1953 एवं कु0जा0 अधिनियम, 1960 में कतिपय संशोधन करने होंगे तथा चकबन्दी योजना का क्रियान्वयन किये जाने हेतु सर्वप्रथम एक नियमावली बनानी होगी ।
- उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम की धारा 3(2-क) के अनुसार चकबन्दी केवल उन्हीं क्षेत्रों में की जा सकती है जहां उत्तर प्रदेश ज.उ. एवं भू. सु. अधिनियम एवं कु.जा. अधिनियम लागू हों ।
- चूँकि पर्वतीय क्षेत्र में सभी ग्रामों में जेड0ए0 एवं नौन जेड0ए0 भूमि होती है तथा सभी ग्रामों में दो-दो खतौनियां बनाई जाती हैं जिनमें एक जेड0ए0/कु0जा0 खतौनी तथा दूसरी नौन जेड0ए0 की खतौनी होती है । अधिकांश कृषक इन दोनों खतौनियों के खातेदार होते हैं। परन्तु यदि जेड0ए0 खतौनी वाली भूमि में ही चकबन्दी की जाती है तो स्थानीय कृषकों को विशेष लाभ नहीं होगा क्योंकि नौन जेड0ए0 की भूमि चकबन्दी में आने से रह जायेगी ।
- चकबन्दी किये जाने से पूर्व गैर कु0जा0 की भूमि को कु0जा0 के अन्तर्गत लिया जाय या फिर चकबन्दी अधिनियम की धारा 3(2-क) में संशोधन करते हुए चकबन्दी अधिनियम को गैर कु.जा. भूमि में भी लागू किया जाय ।
- उत्तर प्रदेश के राजस्व प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 8 मार्च,1985 को निर्गत शासनादेश की व्यवस्थाओं के अनुसार नौन जेड0ए0 के वर्ग-4 में अंकित सिरतानों को गर्वमेंन्ट ग्रान्ट एक्ट,1895 के अन्तर्गत पट्टा देकर संक्रमणीय अधिकार प्रदान किये जाने के आदेश दिए गए हैं । इस शासनादेश के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे 60 हजार खातेदारों के अध्यासन में लगभग 23 हजार एकड़ भूमि है । यदि इस भूमि को चकबन्दी के अधीन लाकर कु0जा0 भूमि के साथ मिलाकर चकबन्दी की जाती है तो इससे स्थानीय कृषकों को काफी लाभ होगा ।
- चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान ग्रामों की सार्वजनिक क्षेत्र की भूमि तथा अन्य रिक्त भूमि को ग्रामसभा में निहित कर उसमें धारा 117 के प्राविधान लागू करने होंगे । वर्ष,1996 में टी.गोडावर्मनथिरूमलकपाद बनाम भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के बाद समस्त सिविल बेनाप वन भूमि के अन्दर

परिभाषित हो चुका है । अतः चकबन्दी किये जाने से पूर्व इस समस्या के निराकरण की ओर भी ध्यान दिया जाना होगा ।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन,
राजस्व विभाग, देहरादून।

संख्या 332/7-35 (03-04) दिनांक पौड़ी जून 25,04.

महोदय,

दिनांक 19.06.04 को श्री पूरण सिंह डंगवाल, मा0 अध्यक्ष भूमि विकास परिषद, उत्तरांचल की अध्यक्षता में जनपद गढ़वाल के स्थान कल्जीखाल में जनप्रतिनिधियों एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक सामूहिक गोष्ठी पर्वतीय क्षेत्र में स्वैच्छिक चकबन्दी किये जाने के सम्बन्ध में आयोजित की गयी। इस बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है। उक्त बैठक में सर्वसम्मति से स्वैच्छिक चकबन्दी किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

2. अवलोकनार्थ प्रेषित।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी),
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

दिनांक 19.06.04 को स्वैच्छिक चकबन्दी योजना लागू करने के सम्बन्ध में हुई बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 19.06.04 को मा0 अध्यक्ष, भूमि विकास परिषद, उत्तरांचल श्री पूरण सिंह डंगवाल की अध्यक्षता में पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी योजना लागू करने के सम्बन्ध में न्याय पंचायत दिवई, स्थान कल्जीखाल विकासखण्ड के सभागार में एक बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित जनप्रतिनिधि/अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति/पत्रकार उपस्थित हुए :--

(1) श्री पूरण सिंह डंगवाल, अध्यक्ष भूमि विकास परिषद, उत्तरांचल।
(2) श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मंडल पौड़ी।
(3) श्रीमती सरोजनी कैन्तुरा, अध्यक्ष, जिला पंचायत पौड़ी।
(4) श्री हरिश्चन्द्र जोशी, जिलाधिकारी, गढ़वाल।
(5) श्री गणेश सिंह "गरीब", सदस्य भूमि विकास परिषद।
(6) श्री जगदीश सिंह विष्ट, प्रमुख क्षेत्र पंचायत कल्जीखाल।
(7) श्री राजेन्द्र प्रसाद टम्टा, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत पौड़ी।
(8) ज्येष्ठ प्रमुख, क्षेत्र पंचायत कल्जीखाल।
(9) कनिष्ठ प्रमुख क्षेत्र पंचायत कल्जीखाल।
(10) श्री इन्दुधर, अपर जिलाधिकारी, गढ़वाल।
(11) श्री आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, उपजिलाधिकारी, पौड़ी।
(12) श्री एन0एस0 डांगी, तहसीलदार, पौड़ी।
(13) समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत कल्जीखाल।
(14) श्री पृथ्वी सिंह, प्रधान ग्रामसभा दिवई।
(15) श्री संजय जुगराण, प्रधान ग्राम सभा, गुठिन्डा।
(16) श्री संजय डबराल, प्रधान ग्रामसभा फल्दा।
(17) श्री संजय सिंह, प्रधान ग्राम सभा टंगरोली।
(18) श्री मानसिंह, प्रधान ग्राम सभा नलई।
(19) श्री तीरथ सिंह पटवाल, प्रधान ग्राम सभा थापली।
(20) श्री विक्रम सिंह पटवाल, प्रधान ग्रामसभा बणियांगांव।
(22) श्री सिन्दालाल, प्रधान ग्रामसभा गिदरासू।
(23) श्री दिनेश रावत, क्षेत्र पंचायत सदस्य।
(24) श्री सरजीत सिंह पटवाल।
(25) श्री जयकृत सिंह पटवाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य।
(26) श्री लखपत सिंह भण्डारी, जिला पंचायत सदस्य।
(27) श्री भरोसीलाल कोटियाल, प्रवक्ता, इ0का0 डांगीधार।
(28) श्री पृथ्वी सिंह पटवाल, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य।
(29) श्री आलोक रावत, जिला पंचायत सदस्य।
(30) श्री चन्द्रजीत सिंह विष्ट, क्षेत्र पंचायत सदस्य।
(31) अन्य ग्राम प्रधान।
(32) श्री त्रिभुवन उनियाल, सम्वाददाता दैनिक जागरण पौड़ी।
(33) श्री मनवीर सिंह चौहान, सम्वाददाता, सीमान्तवार्ता पौड़ी।
(34) श्रीमती मीरा रावत, सम्वाददाता सहारा समय, पौड़ी।
(35) श्री बेचैन कंडियाल, सम्वाददाता, ई0टी0वी0 पौड़ी।
(36) श्री गणेश खुगशाल "गणी" सम्वाददाता उत्तराखण्ड वाणी।
(37) श्री अजय रावत, सम्वाददाता, अमर उजाला पौड़ी।

बैठक के आरम्भ मे प्रमुख क्षेत्र पंचायत, कल्जीखाल द्वारा मा0 अध्यक्ष, भूमि विकास परिषद, उत्तरांचल का स्वागत किया गया तथा उपस्थित जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वह शासन की नीतियों के अनुरूप स्वैच्छिक चकबन्दी में अपना पूर्ण सहयोग दें। बैठक में निम्न व्यक्तियों द्वारा अपने विचार रखे गये :--

श्री पूरण सिंह डंगवाल, मा0 अध्यक्ष भूमि विकास परिषद, उत्तरांचल

मा0 अध्यक्ष, भूमि विकास परिषद, उत्तरांचल द्वारा विस्तार से पर्वतीय क्षेत्र में चकबन्दी की उपादेयता के बारे में शासन की नीतियों से अवगत कराया गया तथा पहाड़ो से जनमानस के पलायन में छोटी तथा बिखरी जोतों का होना प्रमुख कारण बताया गया। चकबन्दी के बारे में जनसाधारण में अनेक सन्देह हैं, उन्हें प्रचार–प्रसार के माध्यम से दूर किया जाना होगा। मा0 अध्यक्ष, भूमि विकास परिषद द्वारा दिनांक 11.06.04 को रानीखेत में भी इस प्रकार की बैठक आयोजित की गयी थी। वहां भी स्वैच्छिक चकबन्दी की काफी सराहना हुई थी। उन्होंने मार्मिक शब्दों में यह भी अवगत कराया कि पहले राज्य निर्माण का आन्दोलन था, अब यह उत्तराखण्ड विकास का आन्दोलन है। बिना चकबन्दी के हम उत्तराखण्ड का सही विकास नहीं कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं की दुर्दशा, चकबन्दी व्यवस्थायें सुदृढ करने तथा पलायन रूकने से ही ठीक हो सकती हैं। स्वैच्छिक चकबन्दी हेतु ग्रामवासियों की सहमति के आधार पर भावी स्वरूप तैयार किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी खेतों की अदली–बदली द्वारा सम्भव है। स्वैच्छिक चकबन्दी समिति, न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बनायी जायेगी, जिसे स्वयं ग्रामवासी बनायेंगे। समिति में एस0डी0ओ0/तहसीलदार/ नायब तहसीलदार, कानूनगो एवं पटवारी समिति के सदस्य होंगे। भूमिधर/भूमिहीनों का वर्गीकरण होगा, जिसका प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर होगा और इसमें अपील का प्राविधान भी रखा जायेगा। अनु0जाति/जनजाति की भूमि उनके ही परिवार के पास–पास होगी। स्वैच्छिक चकबन्दी अभिलेखों में दर्ज करायी जायेगी। जिस काश्तकार ने बाग एवं भूमि अपने श्रम से तैयार की हो, उसे नकारा नहीं जायेगा। जिन काश्तकारों ने बाग लगाये हैं तथा उनकी दीवारबन्दी की है, यदि उन्हें अन्यत्र चक दिया जाता है तो सरकार उचित मुआवजा देगी। बेमानी/रिश्वतखोरी पर कड़ी नजर रखी जायेगी।

श्री भरोसीलाल कोटियाल, प्रवक्ता इ0का0डांगीधार

श्री कोटियाल द्वारा अपने विचार में बिना चकबन्दी के उत्तरांचल का चार वर्ष पूर्व हुआ गठन अस्तित्वहीन बताया गया। खेतों का बिखराव होना, बंजर पड़ा होना, अप्रवासी भाईयों के लिए कठोर से कठोर नियम बनाये जाने का सुझाव दिया। साथ ही सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार नहीं किया जाना बताया गया।

श्री गणेश सिंह "गरीब" सदस्य भूमि विकास परिषद

श्री गरीब द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा स्वैच्छिक चकबन्दी को प्रारम्भ किये जाने का बीड़ा उठाया गया है, उत्तरांचल की 80 प्रतिशत जनसंख्या चकबन्दी की पक्षधर है। न्याय पंचायत दिवई को यह मौका मिलने के लिए धन्यवाद प्रस्तुत किया गया।

श्री पृथ्वी सिंह पटवाल, पूर्व सदस्य क्षेत्र पंचायत

श्री पटवारी द्वारा अपने विचारों में न्याय पंचायत दिवई को स्वैच्छिक चकबन्दी कराने के लिए तैयार होना बताया है। चकबन्दी प्रारम्भ कराने से पूर्व भूमि की पैमाइश किये जाने का सुझाव दिया गया। नाप खेतों में भी जो प्रवासियों के खेत हैं, उनमें जंगल उग गये हैं, जिससे बगल के खेतों में भी खेती सम्भव नहीं रह गयी है।

श्री आलोक रावत, जिला पंचायत सदस्य

श्री रावत द्वारा अपने विचारों में प्रत्येक खाता खतौनी में जाति को दर्ज करवाने का तर्क रखा, जिससे अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि को विक्रय होने से रोका जा सके। भूमि का वर्गीकरण, उद्योग एवं कृषि भूमि के रूप में

किया जाय। ग्राम के दूरस्थ खेतों में घेरवाड़ द्वारा जंगली जानवरों से सुरक्षा व्यवस्था हो।

श्री गणेश खुगशाल "गणी" पत्रकार

श्री खुगशाल ने अपने विचारों में स्वैच्छिक चकबन्दी में से स्वैच्छिक शब्द को हटाने का सुझाव दिया, साथ ही यह भी व्यक्त किया गया कि जब एक वार्ड का चुनाव स्वैच्छिक दृष्टि से नहीं हो पा रहा है, तो चकबन्दी किस प्रकार स्वैच्छिक हो सकती है। चकबन्दी कानून बनाकर कठोरता से अपनाया जाय। त्रिस्तरीय पंचायतों में भी इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री चन्द्रजीत सिंह विष्ट, सदस्य क्षेत्र पंचायत

श्री विष्ट द्वारा अपने सुझावों में सर्वप्रथम सिंचित एवं समतल भूमि को चकबन्दी में लिया जाना, सभी काश्तकारों के बराबर हक निकाले जाने, न्याय पंचायत स्तर पर इसका परीक्षण किया जाना, दूर के ग्रामवासियों को दूर के चक दिये जाने, ग्राम में निवास करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दिया जाना आदि सुझाव दिये।

श्री दिनेश रावत, क्षेत्र पंचायत सदस्य

श्री रावत द्वारा निम्न बिन्दु रखे गये :-

(1) सबसे पहले सम्पूर्ण भूमि की पैमायश हो, जो गांव से पलायन कर गये हैं, उन्हें नोटिस देकर बुलाया जाय।

(2) नाप खेतों में भी जंगल बन जाने से वन विभाग का अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ रहा है। चकबन्दी के साथ–साथ कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था भी आवश्यक हो।

श्री सरजीत सिंह पटवाल

श्री पटवाल द्वारा कृषि विषय की अनिवार्यता पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यक होनी चाहिए, व्यक्त किया गया।

श्री जयकृत सिंह पटवाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य

श्री पटवाल ने कहा कि आबादी को चकबन्दी में शामिल न किया जाय।

श्री लखपत सिंह भण्डारी, जिला पंचायत सदस्य

श्री भण्डारी ने कहा कि राजनीति से चकबन्दी को बिलकुल अलग रखा जाय। मा0 अध्यक्ष भूमि विकास परिषद के प्रति सम्मान दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से श्री डंगवालजी ने उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए आन्दोलन किया था, उसी तरह का आन्दोलन चकबन्दी को पूर्ण कराने के लिए यदि किया जाता है, तो उन्हें पूरा जनसमर्थन मिलेगा। चकबन्दी स्वैच्छिक न कराकर, कानून चक काटकर लाटरी के माध्यम से चक आवंटित किया जाय तथा चकबन्दी का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण किया जाय।

श्री सुरेश चन्द्र, पत्रकार

श्री सुरेश चन्द्र द्वारा अपने विचारों में व्यक्त किया गया कि भूमि का वर्गीकरण दूर--नजदीक, सिंचित एवं असिंचित के रूप में किया जाय। ब्लाक कल्जीखाल के अन्तर्गत काफी संख्या में नेपाली मजदूर आकर खेती कार्य कर रहे हैं एवं खेतों में रासायनिक उर्वरक अत्यधिक मात्रा में डालकर भूमि की उर्वरक क्षमता को समाप्त कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा।

आयुक्त, गढ़वाल मंडल

आयुक्त महोदय द्वारा चकबन्दी के प्रति ग्रामवासियों में सकारात्मक परिवर्तन आने पर खुशी जाहिर की गयी एवं इस प्रकार की बैठक का प्रयास कर आम काश्तकार की भूमि की कठिनाईयों से उच्चाधिकारियों तक सूचनायें प्राप्त होती हैं, जिससे नया एक्ट बनाने पर उक्त बिन्दुओं का समाधान भी होगा।

श्रीमती सरोजनी कैन्तुरा, अध्यक्षा, जिला पंचायत पौड़ी

अध्यक्षा महोदया द्वारा अपने विचारों में व्यक्त किया गया कि सभी ग्रामवासियो को स्वैच्छिक चकबन्दी की आवश्यकता है। साथ ही खुशी भी जताई कि न्याय पंचायत दिवई से स्वैच्छिक चकबन्दी का शुभारम्भ हुआ है, जिसके लिए उनके द्वारा न्याय पंचायत दिवई को बधाई दी गयी। साथ ही स्वैच्छिक चकबन्दी से फलपट्टी व कृषिपट्टी को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक बताया गया, जिससे आय के साधनों में वृद्धि होगी।

जिलाधिकारी, गढ़वाल

जिलाधिकारी गढ़वाल द्वारा इस बात पर सन्तोष व्यक्त किया गया कि कल्जीखाल में आज उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने चकबन्दी की आवश्यकता को तीव्रता से महसूस किया है। ग्रामवासियों की सहमति के आधार पर की जाने वाली चकबन्दी को ही स्वैच्छिक चकबन्दी कहा गया है। पूर्व में जहां कुछ प्रगतिशील जनप्रतिनिधियों ने आपसी रजामन्दी से चकबन्दी करायी, वहां इसे वैधानिक स्वरूप न मिल सकने के कारण राजस्व अभिलेखों में इसका अंकन नहीं हो सका है। अतः आवश्यक होगा कि उत्तरांचल में जो संशोधित चकबन्दी अधिनियम बने उसमें स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे से तबादला किये भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन की भी व्यवस्था रखी जाय। पर्वतीय क्षेत्र की आवश्यकता के अनुकूल चकबन्दी एक्ट में व्यवस्था हो। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा स्वैच्छिक चकबन्दी हेतु रजामन्दी विषयक प्रस्ताव का प्रारूप पढ़कर सुनाया गया, जिसे सभी उपस्थित महानुभावों ने एक मत से पारित किया। (पारित प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न)

न्याय पंचायत दिवई में सम्मिलित 8 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों द्वारा सहर्ष सहमति से स्वैच्छिक चकबन्दी के लिए ग्राम समिमि गठित की जायेगी और इन 8 ग्रामों के प्रधानों द्वारा अपनी–अपनी ग्राम सभा के अन्तर्गत स्वैच्छिक चकबन्दी समिति का गठन किया जायेगा, जिन्हें सर्वसम्मति से चयनित किया गया, जो निम्न प्रकार हैं :–

(1) श्री जयकृत सिंह पटवाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य गुठिंडा (दिवई)
(2) श्री संजय जुगरान, प्रधान ग्राम सभा गुठिडा।
(3) श्री संजय डबराल, प्रधान ग्रामसभा फल्दा।
(4) श्री विकम सिंह पटवाल, प्रधान ग्राम सभा वडियालगांव।
(5) श्री सिद्धूलाल, प्रधान ग्राम सभा गिदरारू।
(6) श्री पीताम्बर सिंह पटवाल, कनिष्ठ उपप्रमुख थापली (कल्जीखाल)।
(7) श्री संजय रावत, प्रधान ग्राम सभा टंगरोली।
(8) श्री मान सिंह विष्ट, प्रधान ग्राम सभा नलई।

अन्त में प्रमुख, क्षेत्र पंचायत कल्जीखाल द्वारा मा0 अध्यक्ष भूमि विकास परिषद, उत्तरांचल, सभी जनप्रतिनिधियों/गणमान्य व्यक्तियों एवं अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(हरिश्चन्द्र जोशी), 23/6/04

संलग्नक— यथोपरि।

!!! कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल !!!

संख्या 3130/7-35(2003-04) दिनांक पौड़ी जून 24, 2004.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्री पूरण सिंह डंगवाल, मा0 अध्यक्ष भूमि विकास परिषद, उत्तरांचल, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, उत्तरांचल शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मंडल पौड़ी।
3. श्रीमती सरोजनी कैन्तुरा, अध्यक्षा, जिला पंचायत पौड़ी।
4. श्री गणेश सिंह "गरीब" सदस्य, भूमि विकास परिषद।
5. प्रमुख, क्षेत्र पंचायत कल्जीखाल।

संलग्नक–यथोपरि।

(हरिश्चन्द्र जोशी),
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

बैठक/महत्वपूर्ण

संख्या: 2340/अ.स./XVIII(1)/2004

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

1.आयुक्त
गढवाल/कुमायूं मण्डल।
2.जिलाधिकारी
पिथौरागढ/पौड़ी/अल्मोड़ा/चम्पावत/टिहरी/बागेश्वर/नैनीताल।
3.बन्दोबस्त अधिकारी,चकबन्दी,
उधमसिंहनगर/हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून दिनांकः 17 मई, 2004

विषयः **उत्तरांचल में भूमि सुधार परिषद के स्वरूप, कार्य कार्यप्रणाली एवं दायित्वों आदि के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल में भूमि सुधार परिषद के स्वरूप, दायित्व,कार्य कार्यप्रणाली एवं स्वैच्छिक चकबन्दी लागू किए जाने के सम्बन्ध में सुझाव एवं विचार विमर्श हेतु मा0 अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल की अध्यक्षता में **दिनांक 24.5.2004 पूर्वान्ह 11.00** बजे सचिवालय प्रागंण स्थित आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण केन्द्र(D.M.M.C) देहरादून में बैठक आयोजित की गई है।

2. सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने जनपद से सम्बन्धित निम्न महानुभाव/सदस्य को देहरादून में आयोजित इस बैठक हेतु भाग लेने हेतु अपने स्तर से सूचित करेंगे, तथा उनके आने–जाने के लिए भी शासकीय वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे:–

1. श्री गणेश सिंह''गरीव''सरस्वती निवास ग्राम सूला (मुन्डनेश्वर) ब्लाक कल्जीखाल पौड़ीगढवाल।
2. श्री कमल सिंह रावत, ग्राम व पोस्ट खण्डाह, पौड़ी गढवाल।
3. श्री माधव सिंह नेगी चिलिया नौला निकट बिरला कालेज चिलियानौला रानीखेत अल्मोड़ा
4. श्री बहादुर सिंह फर्तयाल ब्लाक प्रमुख चम्पावत फर्तयाल गार्डन चम्पावत
5. प्रो0 वी.के.जोशी, पूर्व उप कुलपति कुमायूं विश्वविद्यालय
6. श्री लक्ष्मण सिंह लम्बगड़िया पूर्व ब्लाक प्रमुख चम्पावत
7. श्री राजेन्द्र ढगड़िया पुत्र श्री खीम सिंह ढगडिया सयोजक यूथ कांग्रेस जिला बागेश्वर ताकुला रोड बागेश्वर
8. श्री विजयपाल सिंह रावत पुत्र संयम सिंह रावत गोपेश्वर जिला चमोली
9. श्री महाबीर सिंह रावत न्यू टिहरी टिहरी गढवाल
10. श्री राजेन्द्र भट्ट पुत्र बद्रीदत्त भट्ट पूर्व प्रमुख गुरना पिथौरागढ
11. श्री नित्यानन्द भट्ट ज्ञानलोक प्रेस रानीखेत रोड हल्द्वानी नैनीताल
12. श्री नन्दन सिंह संगीला ब्लाक प्रमुख चौखुटिया पो0 चौखुटिया अल्मोड़ा
13. श्री महेश लाल शाह कांग्रेस अध्यक्ष गगोलीहाट जिला पिथौरागढ

अनुरोध है कि नियत तिथि/समय पर बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

बैठक/महत्वपूर्ण

संख्या: 135 /अ.स./XVIII(1)/2004

सेवामें,

1. श्री हरगोविन्द डवराल,
सेवानिवृत आई.ए.एस अधिकारी,
निवासी-- बंसन्त विहार,देहरादून।
2. श्री चन्द्र सिंह
सेवानिवृत आई.ए.एस अधिकारी, नि0 नेहरू कालोनी,देहरादून।
3. श्री दीप्तिम प्रकाश ढौडियाल
सेवानिवृत महानिदेशक भारतीय सर्वेक्षण विभाग,
114/1 वसन्त विहार देहरादून
4. प्रो0 वी.के.जोशी,
पूर्व उप कुलपति कुमायूं विश्वविद्यालय,
5. श्री गोपाल दत्त भट्ट
383 इन्दिरानगर कालोनी देहरादून
द्वारा– जिलाधिकारी,देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादून दिनांक:–17 मई,2004

विषय: **उत्तरांचल में भूमि सुधार परिषद के स्वरूप, कार्य कार्यप्रणाली एवं दायित्वों आदि के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल में भूमि सुधार परिषद के स्वरूप, दायित्व,कार्य कार्यप्रणाली एवं स्वैच्छिक चकबन्दी लागू किए जाने के सम्बन्ध में सुझाव एवं विचार विमर्श हेतु मा0 अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल की अध्यक्षता में **दिनांक 24.5.2004 पूर्वान्ह 11.00** वजे सचिवालय प्रागंण स्थित आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण केन्द्र(D.M.M.C) देहरादून में बैठक आयोजित की गई है।

अनुरोध है कि नियत तिथि/समय पर बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल भूमि सुधार परिषद के अन्तर्गत स्वैच्छिक चकबन्दी के प्रगति की कार्यवाही का विवरण

उत्तरांचल के पर्वतीय जनपदों में विखरी हुई जोतों को इकजाई कर एक या दो स्थानों पर सम्मिलित जोत बनाने हेतु स्वैच्छिक चकबन्दी योजना लागू करने के सम्बन्ध में भूमि सुधार परिषद का गठन दिनाँक 23 फरवरी, 2004 को श्री पूरनसिंह डंगवाल की अध्यक्षता में किया गया है। स्वैच्छिक चकबन्दी योजना के क्रियान्वयन हेतु 4 गैरसरकारी गणमान्य व्यक्तियों को सदस्य तथा 2 सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 अधिकारियों को विशेषज्ञ के रूप में नामित किया गया है। यह समिति पर्वतीय कृषि भूमि के अभिलेखों का अध्ययन कर, विचार–विमर्श के उपरान्त चकबन्दी को कार्यान्वित करने में आने वाली विधिक कठिनाईयों के समाधान के सम्बन्ध में अपने सुझाव देगी तथा अधिनियमों एवं नियमावलियों में संशोधन का प्रारूप तैयार कर शासन को प्रस्तुत करेगी।

उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है, इस पर समिति कुछ तथ्य पर्वतीय निवासियों के संज्ञान में लाना चाहेगी। सर्वविदित है कि पर्वतीय क्षेत्र में किसानों की खेती विखरी हुई होने के कारण श्रम और समय का बहुत अधिक अपव्यय होता है। इसी का प्रतिफल है कि आज ही यहाँ का जनमानस व विशेषकर महिलायें दुर्दशा का जीवन–यापन कर रही हैं। पर्वतीय क्षेत्र से पलायन का यह एक मुख्य कारण है। पर्वतीय ग्रामीण अंचलों से लगभग 75% से अधिक सक्षम परिवार पलायन कर चुके है। उनके पुराने रिहायशी घर खण्डर हो चुके है। खेती के योग्य आधी से अधिक जमीन बंजर हो चुकी है। जो कुछ बोया भी जाता है, वह जंगली जानवरों के बच नहीं पाता है। यदि पर्वतीय खेती की चकबन्दी हो जाती है तो किसानों के श्रम व समय की बचत तो होगी ही, साथ ही साथ उपज की विविधता, बागवानी तथा अन्य व्यवसायिक फसलों को उगाने की सम्भावनायें भी बढ़ जायेगी। एक किसान की खेती एक या दो चकों में होने से उसकी तार–बाढ़ कर सुरक्षा व्यवस्था भी आसानी से की जा सकेगी तथा युवाओं के लिये स्वयं ही रोजगार पैदा हो जायेगा। पलायन रूकेगा तथा विकास की एक नई ज्योति प्रज्जवलित होगी।

उत्तरांचल भूमि सुधार परिषद ने इस सम्बन्ध में सक्रियता से कार्य करते हुये पर्वतीय जनमत को चकबन्दी के लाभों से अवगत कराते हुये उन्हें जोड़ना शुरू कर दिया हैं। इस क्रम में परिषद ने ग्राम सभाओं, न्याय पंचायतों, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर चकबन्दी समितियों का गठन प्रारम्भ कर दिया है। इन समितियों के साथ प्रशासन की सहायता से चकबन्दी योजना लागू करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

उपरोक्त क्रम में भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल शासन की पहली बैठक दिनाँक 24 मई, 2004 को सचिवालय स्थित एफ.आर.डी.सी. सभागार में माननीय श्री पूरन सिंह डंगवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें शासन के प्रमुख सचिव, राजस्व, आयुक्त चकबन्दी, गढ़वाल मण्डल के आयुक्त, सहआयुक्त कुमाँयू मण्डल, विषय विशेषज्ञों तथा विभिन्न जनपदों से आमन्त्रित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस बैठक में वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद अल्मोड़ा व पौड़ी में दो चकबन्दी इकाईयों द्वारा

15 वर्ष के अन्तराल में चकबन्दी कराने में असफल रहने के कारणों की समीक्षा की गई तथा पर्वतीय अंचलों में चकबन्दी योजना को कार्यान्वित करने हेतु चकबन्दी अधिनियम, कूजा अधिनियम एवं उनकी नियमावलियों में पहाड़ों की खेती की स्थलाकृति एवं भौगोलिक संरचना के अनुरूप संशोधन करने की बात स्वीकारी गई।

चकबन्दी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुये दिनाँक 11.6.2004 को जनपद अल्मोड़ा तहसील रानीखेत के अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत सगनेटी की बैठक सिलौर महादेव मन्दिर, तिपोला में आयोजित की गई। इस बैठक में ताड़ीखेत विकास खण्ड के 12 गाँवों के काश्तकारों ने अपनी कृषि भूमि की स्वैच्छिक चकबन्दी के लिये प्रस्ताव तैयार कर दिये गये थे, जिसकी सकारात्मक आख्या/संस्तुति उत्तरांचल सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। इस बैठक में जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी रानीखेत, तहसीलदार, चकबन्दी अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधानों एवं क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्रीय किसानों ने शासन की भावनाओं से सहमति प्रकट करते हुये स्वैच्छिक चकबन्दी में सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में 12 ग्रामों के प्रधानों को उनके गाँव में स्वैच्छिक चकबन्दी का कार्यक्रम सर्वसम्मति से लागू करने हेतु प्रभारी नियुक्त किया गया तथा ग्रामवार चकबन्दी समिति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

दिनाँक 19 जून, 2004 को जनपद पौड़ी के विकास खण्ड कल्जीखाल में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आयुक्त गढ़वाल मण्डल, अध्यक्ष जिला पंचायत, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, तहसीलदार, विकास खण्ड अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी, सदस्य जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा प्रधान, विशिष्ट आमन्त्रित गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों तथा क्षेत्रीय जनता ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से स्वैच्छिक चकबन्दी किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा ग्राम सभापतियों ने अपनी–अपनी ग्राम सभाओं में स्वैच्छिक चकबन्दी के लिये समितियों के गठन करने का निर्णय लिया। इस बैठक में 8 ग्रामसभाओं के काश्तकारों ने स्वैच्छिक चकबन्दी कार्यक्रम को अपनाने का प्रस्ताव पारित कर शासन को भेज दिये है तथा सरकार से निवेदन किया कि चकबन्दी से पूर्व भूमि की पैमायश सिंचित एवं असिंचित भूमि का मूल्यांकन, प्रवासियों के हितों की रक्षा, चकबन्दी के प्रारूप को जनता के सामने रखने, चकों को पैदल/मोटर मार्गो से जोड़ने, बिजली पानी उपलब्ध कराना, फसलों की सिंचाई की सुविधा, चक निर्माण/विकास के लिये आर्थिक सहायता प्रदान कराने तथा 25 चकों के बीच सार्वजनिक भूमि की व्यवस्था करने की व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त बैठक में न्याय पंचायत स्तर पर शीतगृह की व्यवस्था, उत्पादन के विपणन की व्यवस्था, भूमि को वास्तविक कब्जेदार को दिये जाने तथा आवासीय भवनों एवं कीचन गार्डन को चकबन्दी से अलग रखने के सुझाव भी दिये गये। उपरोक्त विकास खण्ड में स्वैच्छिक चकबन्दी की बैठक की कार्यवाही जिलाधिकारी, पौड़ी द्वारा सरकार/शासन को प्रेषित कर दी गई है।

दिनाँक 18 अक्टूबरत्र 2004 से दिनाँक 22 अक्टूबर, 2004 तक भूमि सुधार परिषद की बैठकें देहरादून स्थित परिषद कार्यालय में की गई, जिनमें अध्यक्ष, श्री पूरनसिंह डगवाल जी की उपस्थिति में परिषद के विशेषज्ञों, चकबन्दी अधिकारियों तथा मनोनीत सदस्यों के बीच गहन विचार–विमर्श के पश्चात् पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी को कार्यान्वित करने विषयक प्रारूप तैयार किया गया।

दिनाँक 26 अक्टूबर, 2004 को एक बैठक श्री पूरन सिंह डंगवाल जी के आह्वान पर सचिवालय परिसर, देहरादन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी, माननीय सड़क परिवहन, सूचना प्रसारण एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा की गई।. 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष श्री सतपाल जी महाराज ने भी इस बैठक में भाग लिया। उत्तरांचल शासन के प्रमुख सचिव, राजस्व एवं परिवहन श्री नृप सिंह नपच्याल, श्री सोहन लाल जी चकबन्दी आयुक्त श्री हरिश्चन्द्र जोशी जी जिलाधिकारी पौड़ी, श्री चनरराम जी जिलाधिकारी अल्मोड़ा, परिषद के सदस्य श्री गणेश सिंह (गरीब), श्री राजेन्द्र सिंह रावत, श्री माधो सिंह नेगी, श्री बहादुर सिंह फतियाल, विशेषज्ञ श्री एस0डी0 भट्ट, श्री सी0पी0 बिजल्वाण, रुड़की चकबन्दी अधिकारी श्री संजय शर्मा, सहायक चकबन्दी अधिकारी श्री अनिल कुमार सुनील, श्री चन्द्रप्रकाश आर्य व आमन्त्रित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक में पर्वतीय ग्रामों में कृषि भूमि की चकबन्दी के महत्व एवं उसके कार्यान्वयन पर प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा विस्तार से प्रकाश डालां। सर्वश्री गणेश सिंह (गरीबी), राजेन्द्र सिंह रावत ने भी अपने सुझाव रखें। जिलाधिकारी पौड़ी तथा अल्मोड़ा से चकबन्दी के व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश डाला तथा विशेषज्ञ श्री एस0डी0 भट्ट ने परिषद द्वारा तैयार किये गये प्रारूप के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। बैठक में माननीय मंत्री श्रीमती इन्दिरा हृदयेश अपने उद्‌बोधन में कहा कि पहाड़ों के विकास की कुंजी कृषि भूमि की चकबन्दी की है। श्री सतपाल महाराज ने कहा कि जब हिमाचल में चकबन्दी हो सकती है तो उत्तरांचल में यह कैसे सम्भव नही है। उन्होंने चकबन्दी पर जन जागरण पर बल दिया। बैठक के द्वितीय सत्र में चकबन्दी योजना कैसे लागू हो, इस विषय पर गहन विचार विमर्श हुआ तथा बैठक में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा विशेष आमन्त्रित गणमान्य सज्जनों ने एकमत होकर पहाड़ की कृषि भूमि की चकबन्दी के महत्व को स्वीकारते हुये इसको कार्यान्वित करने पर बल दिया। चकबन्दी आयुक्त, श्री सोहन लाल जी के सुझाव पर प्रमुख सचिव, राजस्व श्री नृपसिंह नपच्याल जी ने चकबन्दी अधिकारियों तथा विशेषज्ञों को आदेशित किया कि वह एक अध्ययन दल के रूप में उत्तरकाशी जनपद के बीफ गॉव में जाकर वहॉ की गई स्वैच्छिक चकबन्दी का अध्ययन कर उसे विधिक रूप देने के विषय में अपनी आख्या माह जनवरी, 2005 के अन्दर दें। भूमि सुधार परिषद के अध्यक्ष, श्री डंगवाल जी द्वारा अन्त सभी सहभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

भूमि सुधार परिषद का अध्ययन दल दिनॉक 14 दिसम्बर, 2004 से 21 दिसम्बर, 2004 तक ग्राम बीफ एवं तहसील बडकोट यमनोत्री,, उत्तरकाशी में भ्रमण में रहा। परिषद के अध्यक्ष, श्री डंगवाल जी स्वयं बीफ गॉव गये। अध्ययन दल ने बीफ गॉव की राजस्व अभिलेखों की सूक्ष्मता से जॉच की तथा स्थल निरीक्षण किया। उन्होनें बीफ गॉव के काश्तकारों से स्वैच्छिक चकबन्दी, जो उनके द्वारा आपस में अपनी भूमि के संटवारे-बटवारें के पश्चात् की गई है, की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। तहसील बडकोट के परगनाधिकारी, क्षेत्रीय कानूनगो एवं पटवारी के सहयोग से भूमि अभिलेखों का मौके से मिलान किया तथा उसके सम्बन्ध में एक विस्तृत आख्या उत्तरांचल शासन के राजस्व विभाग को प्रस्तुत की जा रही है। बीफ गॉव में वहॉ के खातेदारों द्वारा अपनी कृषि भूमि का विनिमय स्वैच्छा से किया गया है। उसे कैसे विधिक स्वरूप देकर राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित किया जाय। इसके सम्बन्ध में विधिसम्मत् सुझाव भी अध्ययन दल ने अपनी आख्या में दिये है, जिनपर अब शासन को निर्णय लेना है।

इस क्रम को आगे बढ़ाते हुये अब भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल जनपद पौड़ी गढ़वाल के कल्जीखाल विकास खण्ड के न्याय पंचायत कल्जीखाल व दिवई के ग्रामों का कार्यक्रम निर्धारित करने जा रहा है। जिन ग्राम सभाओं से अपने क्षेत्र की चकबन्दी करवाने के प्रस्ताव शासन को आ चुके है, उन ग्राम सभाओं की भावनाओं की भी अनदेखी नही की जा सकती। शीघ्र ही उन ग्रामसभाओं से सम्पर्क किया जायेगा। स्वैच्छिक चकबन्दी का प्रारूप व चकबन्दी अधिनियम बनने के बाद शीघ्र स्वैच्छिक चकबन्दी पर्वतीय क्षेत्रों में लागू कर दी जायेगी। इसी आशा के साथ जय हिन्द– जय उत्तराखण्ड।

दिनाँक 7.2.2005

भवदीय,

(पूरनसिंह डंगवाल)
अध्यक्ष,
भूमि सुधार परिषद,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून।

माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल सरकार

की अध्यक्षता में

दिनांक 26 अक्टूबर 2004 को

सचिवालय परिसर में आयोजित

बैठक में

उत्तरांचल भूमि सुधार परिषद

द्वारा प्रस्तुत

'स्वेच्छिक चकबन्दी एवं भूमि सुधार'

विषयक प्रारूपः

भूमि सुधार परिषद
(उत्तरांचल सरकार देहरादून)
द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक चकबंदी एवं भूमि सुधार हेतु प्रारूप

प्रस्तावना

उत्तरांचल राज्य का गठन पर्वतीय क्षेत्र की विकास की अवधारणाओं तथा प्राथमिकता को लेकर किया गया है। हमारे पास राज्य के प्रथम संसाधन के रूप में भूमि संसाधन है लेकिन हमारा भूमि प्रबंधन, खासकर स्वतंत्रता के बाद इतना कमजोर और अक्षम रहा है कि हमारी भूमि कभी भी एक उत्पादक संसाधन के रूप में तब्दील नहीं हो सकी और जब यह भूमि हमें भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं करा पाई तो हमारा युवा वर्ग अपने भूगोल से डर गया और पलायन करने लगा। उसका अपनी भूमि से मोह भी कम होता चला गया तथा भूमि प्रबन्धन की जो प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली अर्थात नाप–जोख के जो शब्द थे, उन्हें हम लगभग भूल चुके है।

हम अपने इस भूमि संसाधन को भी पहले अच्छी तरह समझ लें तो अच्छा होगा। उत्तरांचल के कुल क्षेत्रफल में से 47,325 वर्ग कि0 मी0 भूभाग पर्वतीय है। तराई का मैदान 3800 वर्ग कि0 मी0 तथा 2359 वर्ग कि0 मी0 भूभाग हरिद्वार जनपद में है। स्पष्ट है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 88 प्रतिशत भूभाग पर्वतीय है जहां राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 55 प्रतिशत आबादी निवास करती है। राज्य के समग्र विकास के लिए इस क्षेत्र के विकास अर्थात सामाजिक–आर्थिक उन्नति के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अंग्रेजों के औपनिवेशिक काल में वर्ष 1820 ई0 में कृषि भूमि का प्रतिशत 20 था जो अब मात्र लगभग 13 प्रतिशत रह गया है जबकि जनसंख्या तब से लगभग तीन गुना से भी अधिक बढ़ गई है। वर्ष 1951 में उत्तराखण्ड की जनसंख्या हरिद्वार को छोड़कर 25,22,000 थी जो 1991 में 59,26,000 हो गई। डा0 यशोधर मठपाल के अनुसार, ''यदि हम विगत 18 दशकों के आंकड़ें देखें तो पाएंगे कि कंपनी राज में उत्तराखण्ड के कृषकों की स्थिति आज से बेहतर थी चाहे वे कमिश्नर ट्रेल हों (1816 – 1830) या हेनरी रामजे (1856 – 1884) सभी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1901 – 1911 की गणना में उत्तरांचल के पांच जनपद (अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, टिहरी एवं पौड़ी मूल जनपद थे), उत्तर प्रदेश की सबसे घनी आबादी वाले जनपद थे, जबकि 1981 – 1991 की गणना में प्रदेश के सबसे कम आबादी वाले 6 जनपदों में से 5 उत्तराखण्ड के हैं। वर्ष 1971 में उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या का प्रतिशत 85.3 था जो 1991 में घटकर 78.3 प्रतिशत रह गया।

वर्तमान समय में भूमि उपयोग

विचारणीय बिन्दु है राज्य के 47325 वर्ग कि0मी0 भूभाग मध्ये मात्र 4129.51 वर्ग कि0मी0

कृषि भूमि का क्षेत्रफल है जो कुल क्षेत्रफल का मात्र 8.8 प्रतिशत है, जबकि सरकारी वन विभाग के अधीन 31780 वर्ग कि0मी0 भूमि है जो 67.28 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश सरकार के सांख्यिकीय विभाग द्वारा वर्ष 1987 में प्रदत्त भूमि उपयोग के आंकड़े निम्न प्रकार हैं।

तालिका – 1

कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल – 54 लाख 18 हजार 108 हेक्टेयर – 100 प्रतिशत

1. वन भूमि का क्षेत्रफल–36,99,153.066 हेक्टेयर – 63.56 प्रतिशत
2. कृषि योग्य बेकार भूमि – 3,9,668.372 हेक्टेयर – 5.90 प्रतिशत
3. नवीन परती – 11,919.837 हेक्टेयर – 0.22 प्रतिशत
4. अन्य परती – 44,970.296 हेक्टेयर – 0.80 प्रतिशत
5. बेकार तथा अकृषि भूमि – 2,99,621.371 हेक्टेयर – 5.53 प्रतिशत
6. कृषि के अतिरिक्त भूमि क्षेत्र – 1,24,616.484 हेक्टेयर – 2.30 प्रतिशत
7. चारागाह – 2,73,072.643 हेक्टेयर – 5.04 प्रतिशत
8. उद्यानों एवं वृक्षों के अन्तर्गत क्षेत्र – 2,08,597.158 हेक्टेयर – 3.85 प्रतिशत
9. कृषि भूमि – 6,90,808 हेक्टेयर – 12.75 प्रतिशत

इसी प्रकार फारेस्ट सर्वे आफ इण्डिया के अनुसार वर्ष 1991 में उत्तराखण्ड की वन भूमि का क्षेत्रफल 55,68,433.83 हेक्टेयर तथा कृषि भूमि का क्षेत्रफल 6,68,475.920 हेक्टेयर है। उपर्युक्त तालिका एक में राज्य सरकार के सांख्यिकी विभाग द्वारा दिए गये तथा फारेस्ट सर्वे आफ इण्डिया के आंकड़ों का मिलान करने पर वन भूमि के क्षेत्रफल में लगभग 18,68,280.77 हेक्टेयर का अन्तर है। कृषि भूमि के क्षेत्रफल का आकलन भी दोनों संस्थाओं द्वारा अलग–अलग दर्शाया गया है। उ0 प्र0 राज्य से जुड़े उत्तरांचल के पर्वतीय भाग का यह दुर्भाग्य रहा कि न तो यहां चकबन्दी योजना लागू की गई और न भूमि अभिलेखों की नापजोख के पश्चात् सुदृढीकरण की प्रक्रिया अमल में लाई गई। ब्रिटिश काल में मध्य हिमालय क्षेत्र में कृषि भूमि प्रबंधन को व्यवस्थित करने हेतु कमिश्नर जी0 डब्लू0 ट्रेल ने गांवों में कृषि की पुनर्व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित किया था तथा अंग्रेजी काल में वर्ष 1815 से लेकर 1928 ई0 तक ग्यारह भूमि बन्दोबस्त गार्डनर से लेकर इवटशन तक अंग्रेजों द्वारा गढ़वाल–कुमाऊं में किये गये, इसलिए उत्तराखण्ड के कृषि इतिहास में उन्नीसवीं सदी सबसे गतिशील रही और इस युग को यदि उत्तरांचल में कृषि विकास का स्वर्ण युग कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी।

उत्तरांचल के अब तक के भूमि प्रबन्धन को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं:–

राजाओं के काल में भूमि प्रबंधन

गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं के समय में परा भूमि पर कृषकों के निजी अधिकार नहीं थे। राज ही दैवी अधिकारस्वरूप भूमि का स्वामी होता था। जिसका प्रबंध वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारियों से कराता था। वास्तविक काश्तकार को 'खैकर' (लगान देकर भूमि को कमाने वाला) कहा जाता था। जब तक 'खैकर' राजा को लगान देते थे तब तक उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी फसल उगाने का अधिकार था, लेकिन उन्हें भूमि के अन्तरण का अधिकार नहीं था। कृषि भूमि की स्थाई तथा अस्थाई प्रकृति के आधार पर 'कच्चे खैकर' तथा 'पक्के खैकर' उपवर्ग थे। भूमि का मालिक या कहें हिस्सेदार, राजतांत्रिक परिवार

या उसके सदस्य ही होते थे। गोरखा राज्य के समय 1790 से 1815 में जो अराजक स्थिति कुमाऊं–गढ़वाल में थी उससे कृषि व्यवस्था एक तरह से ध्वस्त हो गई थी। उल्लेखनीय है कि 'हिस्सेदारी' अधिकार तत्कालीन 'टिहरी रियासत' में नहीं थे। पौ के कथनानुसार टिहरी रियासत में काश्तकार को भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था तथा भूमि विक्रय करने वाला दण्ड का भागी होता था। यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि 'हिस्सेदारी अधिकार' कृषि भूमि या नयाबाद भूमि पर ही था, वन भूमि पर नहीं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अंग्रेजों ने भूराजस्व की धनराशि बढ़ाने के लिए भूमि बन्दोबस्त किए परन्तु यह भी सत्य है कि इससे भूमि के अभिलेख ज्यादा प्रमाणित तथा सुदृढ़ हुए और इसे कृषिकार्यों को भी समुचित प्रोत्साहन मिला। यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि हिस्सेदारी अधिकार कृषि भूमि पर ही था, वन भूमि पर नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंग्रेजों ने भूराजस्व की धनराशि बढ़ाने के लिए भूमि बन्दोबस्त किए परन्तु यह भी सत्य है कि इससे भूमि के अभिलेख ज्यादा प्रमाणित तथा सुदृढ़ हुए हैं और इससे कृषि कार्यो को भी समुचित प्रोत्साहन मिला।

अंग्रेजों के काल में भूमि प्रबंधन

पहाड़ों में कृषि विकास के लिए तथा कृषि भूमि को स्थायित्व प्रदान करने के लिए डिप्टी कमिश्नर बैटन ने भूमि बन्दोबस्त द्वारा खैकरों को हिस्सेदारी अधिकार दिए। ई0 के0 पौ के भूमि बन्दोबस्त के अनुसार उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक 64 प्रतिशत काश्तकारों को हिस्सेदारी अधिकार प्राप्त हो गए थे जो कुल राजस्व भूमि के 73.21 प्रतिशत भूभाग में कृषि करते थे। "खैकर" मात्र 23 प्रतिशत तथा "सिरतान" (tenant at will काश्तकारों की संख्या मात्र 13 प्रतिशत रह गई थी।

बेकेट, जिन्होंने सन् 1861 से 1864 तक गढ़वाल और कुमाऊं में भूमि बन्दोबस्त कराया, के बारे में कहा जाता है कि, "उनका नाम भी बिकट था तथा काम भी बिकट"। डिप्टी कमिश्नर "बेकेट" ने प्रत्येक गांव का व्यक्तिगत रूप से स्वयं सर्वेक्षण किया। इनके बन्दोबस्त की अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन्होंने प्रत्येक खेत का एक मानक क्षेत्रफल निकाला जिसके लिए उन्होंने 'डोरी पैमायश' का सफल तरीका निकाला। हिमालयी स्थलाकृति के अन्तर्गत यह एक दुरूह काम था परन्तु 'बेकेट' ने टेढ़े–मेढ़े खतों को मापने के लिए 60 फिट लम्बी एक सीधी डोरी, जो दस बराबर हिस्सों में बंटी होती थी, से छोटे–छोटे पर्वतीय खेतों को लम्बाई और चौड़ाई में, तीन–तीन जगहों पर नपवाया और निम्न सूत्र के अनुसार क्षेत्रफल निकाला। खेत का कुल क्षेत्रफल = (कुल लम्बाई / 3) X (कुल चाड़ाई / 3) इस तरह 4840 वर्ग गज = 1 एकड़ = 20 नाली।

उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों ने पहाड़ की स्थलाकृति तथा व्यावहारिकता के आधार पर भूमि की नापजोख नाली–मुट्ठी में रखी, जिसके अनुसार जितने भूक्षेत्र में एक मुट्ठी अनाज बोया जा सकता है उसे एक मुट्ठी भूमि माना जो आमतौर पर 15 वर्ग गज होती है। कमिश्नर ट्रेल ने नाली की नाप 20x12 गज = 240 वर्ग गज प्रमाणित की। इस काल में पर्वतीय भूमि मापन के स्थानीय मापकों को अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तनीयता प्रदान की गई। इतना हीं नहीं भूमि प्रबंधन की पृथक प्रकृति तथा भौगोलिक कारणों से अंग्रेजों ने सन् 1829 में नया "देहरा" जिला बनाया जो वर्तमान देहरादून जिले की शुरूआत थी। इसी कुशल भूमि प्रबंधन का परिणाम था

कि वर्ष 1815 ई0 में जब कुमाऊं तथा ब्रिटिश गढ़वाल अंग्रजों के आधिपत्य में आया, उत्तराखंड में गांवों की संख्या 11,083 थी जो 1941 में 14,128 तथा वर्ष 1981 तक 15,959 हो गई थी, लेकिन यह संख्या 1991 में घटकर 15,597 रह गई। अंग्रजों ने केवल कुशल भूमि प्रबंधन ही नहीं किया वरन् कृषि के विस्तार हेतु वनभूमि तथा नापभूमि (निजी स्वामित्व वाली भूमि) के बीच की बेकार भूमि को भी कृषि तथा उद्यानीकरण आदि के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया और 'नयावाद एण्ड वेस्टलैण्ड ऐक्ट' बनाकर काश्तकारों को अपनी भूमि से सटी भूमि को काश्त के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ में 'कुल भूमि' का लगभग 55. 94 प्रतिशत भाग कृषि भूमि के अन्तर्गत था, शेष 44.06 प्रतिशत 'बेकार भूमि' थी। राजस्व भूमि वह ग्रामीण भूमि है, जिसमें संरक्षित या सुरक्षित वन भूमि शामिल नहीं की जाती है और जिसे गांव के सीमांकन के समय निजी या सामूहिक भूमि के रूप में नापा जाता है। कमिश्नर ट्रेल, जो कुमाऊं गढ़वाल में ब्रिटिश राज के संस्थापक थे, के काल 1815 से कमिश्नर बैटन के कार्यकाल 1840 तक, कुल राजस्व भूमि कें कृषि का अनुपात बढ़कर 77 प्रतिशत तक हो गया था और बेकार भूमि का अनुपात कम हो चुका था।

स्वतंत्रता के बाद का भूमि प्रबंधन

उ0 प्र0 सरकार द्वारा पहला तथा अन्तिम बन्दोबस्त सन् 1960 से 1964 के मध्य किया गया। 1947 से 1959 के मध्य उ0 प्र0 सरकार ने उत्तराखण्ड में न तो कृषि विकास हेतु भूमि प्रबंध किया और न फसलों की सिचांई के लिए ही कोई प्रयास किये तथा 1960–1964 का भूमि प्रबंधन भी केवल ब्रिटिश भूअभिलेखों की पुनरावृत्ति मात्र है। इस बन्दोबस्त के पश्चात उत्तराखण्ड में कूजा ऐक्ट (कुमाऊं एण्ड उत्तरांखण्ड जमींदारी एवोलीशन ऐक्ट 1960) लागू किया गया जो 17 सितम्बर 1960 से लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा हिस्सेदारों, खायकरों तथा सिरतानों को उनकी काश्त भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्रदान किए गए परन्तु इस नियम की सबसे बड़ी खामी यह है कि गांव की संजायत भूमि को धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित कर दिया गया। परन्तु जैसा कि उ0 प्र0 के अन्य क्षेत्रों में गांव की राजस्व भूमि को धारा 117 के द्वारा गांव सभाओं में निहित करने का प्राविधान उ0 प्र0 जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम में किया गया, उस प्रकार की व्यवस्था कूजा ऐक्ट में नहीं की गई अपितु इस अधिनियन में 1 जनवरी 1978 से धारा 4क बढ़ाकर ग्रान की सीमा के अन्तर्गत स्थित राजस्व भूमि जो ग्राम की सार्वजनिक भूमि थी उस पर ग्रामवासियों के सामूहिक अधिकार समाप्त कर दिए। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश काल में भी आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि पर ग्राम के काश्तकारों को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। स्पष्ट है, राजस्व भूमि, जो ग्राम के सार्वजनिक उपयोग में थी जो वनभूमि से अलग राजस्व बेकार भूमि थी, उसे सिविल और सोयम भूमि मानते हुए उ0 प्र0 सरकार ने वनभूमि घोषित कर दिया। इतना ही नहीं कूजा ऐक्ट की धारा 19 (ख) द्वारा खातेदारों के निजी वन भी उनसे होने वाली औसत वार्षिक आय का 8 गुना प्रतिकर देकर राज्य सरकार में निहित कर दिये गए जबकि इस भूमि को धारा 117 के अन्तर्गत ग्राम सभाओं में निहित किया जाना चाहिए था। उ0 प्र0 सरकार ने कूजा ऐक्ट में उ0 प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 142 से 294 की धाराएं रखीं परन्तु ग्राम के भूमिहीनों में उस भूमि को आवंटित करने के अधिकार प्रदान करने वाली धारा 117 से 128 तक से वंचित रखा। यह एक सोची समझी साजिश प्रतीत होती है। वह पहाड़ की वन सम्पदा से

आय बढ़ाने की सोची समझी चाल के तहत इसे एक उपनिवेश के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी और ऐसा करती भी रहीं। पहाड़ में खेती की जमीन पहले ही बहुत कम थी तथा उ0 प्र0 राज्य की उपर्युक्त नीति के कारण तथा जनसंख्या में वृद्धि के कारण कुमाऊं–गढ़वाल के अधिकांश कृषकों की जोते अलाभकारी जोतों में परिवर्तित हो गई और वर्तमान समय में तो अधिकतर खातेदारों के पास मुट्ठियों में जमीन है। इसी कारण वहां चकबन्दी कार्यन्वित नहीं हो पा रही है। उत्तरांचल सरकार को वर्ष 1960 के भूमि अभिलेखों की ग्रामवार जांच कराकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक गांव की कितनी सार्वजनिक भूमि वन के रूप में तत्समय अंकित की गई। इसे ग्राम सभाओं को वापस दिलाने की कार्रवाई की जानी चाहिए

उत्तराखण्ड की अलाभकारी (लैण्ड होल्डिंग) कृषि जोतें या खातें

वर्ष 1991 की जनगणना (हरिद्वार जनपद को छोड़कर) उत्तरांखण्ड में 59,26,146 लोग निवास करते हैं तथा उत्तराखण्ड मूल के 50,73,854 लोग क्षेत्र से बाहर हैं जिनका कुल योग 1,10,00,000 होता है। यदि इस जनसंरख्या में शहरी आबादी कम कर दी जाए, जो लगभग 13,00,000 है, तो उत्तरांचल के खातेदारों की संख्या लगभग 97,00,000 होती है। यदि 6 व्यक्तियों का एक परिवार माना जाय तो 16,16,667 परिवार होते है। जिसके आधार पर यदि कृषि क्षेत्र 12.75 प्रतिशत माना जाए तो तदनुसार 6,90,808.77 हेक्टेयर भूमि 16,16,667 परिवारों के नाम हुई जिसका प्रति परिवार औसत 0.427 हेक्टेयर अर्थात 22 नाली होता है, जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल में औसत जोत का आकार 1.3 हेक्टेयर अर्थात 55 नाली अर्थात लगभग पौने तीन एकड़ है। इसकी तुलना में यदि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के वर्ष 1991 के आंकड़ो को विश्वसनीय माना जाए तो उत्तरांचल की कृषि भूमि का क्षेत्रफल 4,37,783.126 हेक्टेयर के आधार पर प्रति परिवार औसत भूमि 0.270 हेक्टैयर होती है। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि भूमि की इसी अल्पता के कारण और इतनी कम भूमि में भी सिचांई के साधन न होने से पुरुषों को आजीविका के लिए पलायन के लिए बाध्य होना पड़ा, जो आज भी बदस्तूर जारी है और जब तक प्रति परिवार को लाभकारी जोत उपलब्ध नहीं कराई जाती तब तक पलायन जारी रहना निश्चित हैं। टिहरी बांध तथा अनेक अन्य बांधों के निर्माण से कृषि भूमि का क्षेत्र और भी कम हो गया हैं।

उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी की आवश्यकता

उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में किसानों की विखरी खेती होने से श्रम व समय को देखते हुए, उस खेती का किसान ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है। आज भी वहॉ का जनमानस व विशेषकर महिलाएं दुर्दशा का जीवन यापन कर रहीं हैं। पर्वतीय क्षेत्र से पलायन का कारण बेरोजगारी है। आज पर्वतीय ग्रामीण अंचलों में गांव–2 का जनमानस पलायन कर चुका है। पुराने रिहायसी घर खंडहर हो चुके हैं। ग्रामीण अंचलों में खेती के योग्य जमीन आधी से अधिक बंजर हो चुकी है। जो कुछ बोया भी जाता है, वह जंगली जानवरों से बच नहीं पाता। अगर चकबन्दी पर्वतीय ग्रामीण अंचलों में होती है, तो इससे श्रम व समय की बचत के साथ–2 उपज की विविधता, बागवानी तथा अन्य व्यवसायिक फसलों को उगाने की सम्भावनायें बढ़ेंगी। खेती की भी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। रोजगार स्वयं पैदा होगा। पलायन रूकेगा तथा विकास की एक नई ज्योति प्रज्वलित होगी।

आय बढ़ाने की सोची समझी चाल के तहत इसे एक उपनिवेश के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी और ऐसा करती भी रहीं। पहाड़ में खेती की जमीन पहले ही बहुत कम थी तथा उ0 प्र0 राज्य की उपर्युक्त नीति के कारण तथा जनसंख्या में वृद्धि के कारण कुमाऊं–गढ़वाल के अधिकांश कृषकों की जोते अलाभकारी जोतों में परिवर्तित हो गई और वर्तमान समय में तो अधिकतर खातेदारों के पास मुट्ठियों में जमीन है। इसी कारण वहां चकबन्दी कार्यन्वित नहीं हो पा रही है। उत्तरांचल सरकार को वर्ष 1960 के भूमि अभिलेखों की ग्रामवार जांच कराकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक गांव की कितनी सार्वजनिक भूमि वन के रूप में तत्समय अंकित की गई। इसे ग्राम सभाओं को वापस दिलाने की कार्रवाई की जानी चाहिए

उत्तराखण्ड की अलाभकारी (लैण्ड होल्डिंग) कृषि जोतें या खातें

वर्ष 1991 की जनगणना (हरिद्वार जनपद को छोड़कर) उत्तरांखण्ड में 59,26,146 लोग निवास करते हैं तथा उत्तराखण्ड मूल के 50,73,854 लोग क्षेत्र से बाहर हैं जिनका कुल योग 1,10,00,000 होता है। यदि इस जनसंरख्या में शहरी आबादी कम कर दी जाए, जो लगभग 13,00,000 है, तो उत्तरांचल के खातेदारों की संख्या लगभग 97,00,000 होती है। यदि 6 व्यक्तियों का एक परिवार माना जाय तो 16,16,667 परिवार होते है। जिसके आधार पर यदि कृषि क्षेत्र 12.75 प्रतिशत माना जाए तो तदनुसार 6,90,808.77 हेक्टेयर भूमि 16,16,667 परिवारों के नाम हुई जिसका प्रति परिवार औसत 0.427 हेक्टेयर अर्थात 22 नाली होता है, जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल में औसत जोत का आकार 1.3 हेक्टेयर अर्थात 55 नाली अर्थात लगभग पौने तीन एकड़ है। इसकी तुलना में यदि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के वर्ष 1991 के आंकड़ो को विश्वसनीय माना जाए तो उत्तरांचल की कृषि भूमि का क्षेत्रफल 4,37,783.126 हेक्टेयर के आधार पर प्रति परिवार औसत भूमि 0.270 हेक्टैयर होती है। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि भूमि की इसी अल्पता के कारण और इतनी कम भूमि में भी सिचांई के साधन न होने से पुरूषों को आजीविका के लिए पलायन के लिए बाध्य होना पड़ा, जो आज भी बदस्तूर जारी है और जब तक प्रति परिवार को लाभकारी जोत उपलब्ध नहीं कराई जाती तब तक पलायन जारी रहना निश्चित हैं। टिहरी बांध तथा अनेक अन्य बांधों के निर्माण से कृषि भूमि का क्षेत्र और भी कम हो गया है।

उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी की आवश्यकता

उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में किसानों की विखरी खेती होने से श्रम व समय को देखते हुए, उस खेती का किसान ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है। आज भी यहाँ का जनमानस व विशेषकर महिलाएं दुर्दशा का जीवन यापन कर रहीं हैं। पर्वतीय क्षेत्र से पलायन का कारण बेरोजगारी है। आज पर्वतीय ग्रामीण अंचलों में गांव–2 का जनमानस पलायन कर चुका है। पुराने रिहायसी घर खंडहर हो चुके हैं। ग्रामीण अंचलों में खेती के योग्य जमीन आधी से अधिक बंजर हो चुकी है। जो कुछ बोया भी जाता है, वह जंगली जानवरों से बच नहीं पाता। अगर चकबन्दी पर्वतीय ग्रामीण अंचलों में होती है, तो इससे श्रम व समय की बचत के साथ–2 उपज की विविधता, बागवानी तथा अन्य व्यवसायिक फसलों को उगाने की सम्भावनायें बढ़ेंगी। खेती की भी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। रोजगार स्वयं पैदा होगा। पलायन रूकेगा तथा विकास की एक नई ज्योति प्रज्वलित होगी।

आज देश को आजाद हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके है लेकिन उत्तरांचल के पर्वतीय कृषक आज भी ब्रिटिश शासन काल की राजस्व व भूमि व्यवस्था पर आश्रित है। भू–अभिलेख, नक्शे, खेतों के संटवारे–बंटवारे, बाड़ें, क्रय–विक्रय बैनामें, वसीयतनामें, दाखिल खारिज जोत–बही, भूमि–बन्दोबस्त आदि से सम्बन्धित अनेक समस्याये पैदा हो गई हैं। फसलों की सुरक्षा व सिंचाई विवादास्पद, खर्चीली, कष्टदायक और अलाभकारी हो गई है। फसलों की सुरक्षा व सिंचाई की व्यवस्था करना, वैज्ञानिक तरीकों से खेती, बागवानी, चारा उत्पादन, पशु–पालन, वृक्षारोपण आदि का काम करना और आय में वृद्धि करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण कृषकों का गांव व खेती से रूचि हटना, बजट का खुलेआम दूरूपयोग होना, भ्रष्टाचार का बढ़ना, जुआ, शराब, ताशबाजी, दलाली जैसे धन्धों की ओर अग्रसर होना एक स्वाभाविक व सामाजिक प्रवृत्ति बनती जा रही हैं और क्षेत्र का भविष्य अन्धकारमय होता जा रहा है।

पचासों जगह मीलों या फर्लागों की दूरी पर जगह–जगह बिखरे, फैले खेतों में हल, बैल ले जाना, गोबर पहुंचाना, निराई, गुडाई, मंडाई करना और खेतों से घर तक अनाज व घास सर पर उठाकर लाना आदि से सारा समय, शक्ति व धन बर्बाद हो जाता है। उत्पादन का हिसाब लगाया जाये तो जितना हल लगाने में खर्चा होता है उतना भी उसमें पैदा नहीं होता है। कहीं गोबर नहीं पहुंचता तो कहीं पालतू व जंगली जानवर फसल को बर्बाद करके क्षति पहुंचाते हैं। जब इसका हिसाब लगाया गया तो पाया कि 100 रू0 लागत लगाकर केवल 40 रू0 का अन्न प्राप्त हुआ और 60 रू0 की क्षति हुई तथा 50 प्रतिशत समय की बर्बादी खेत तक आने जाने में हुई और शेष लकड़ी, पानी, घास लाने में बर्बाद हो जाता है।

यह तो एक सर्वमान्य सत्य है कि जब तक खेत छोटे–छोटे टुकड़ों में जगह–जगह बिखरे होंगे तब तक उन खेतों में कोई भी लाभकारी योजना नहीं बन सकती और कृषक का ध्यान खेती पर केन्द्रित नहीं हो सकता। जिस तरह बिखरा हुआ असंगठित समाज अपने हित के लिये सही व्यवस्था नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह बिखरे अंसगठित खेतों में लाभकारी योजना बनाना और अच्छा उत्पादन लेकर आत्मनिर्भर बनना सम्भव नहीं है। इस क्षेत्र में कृषि की सबसे बड़ी समस्या खेतों का यत्र, तत्र बिखरा होना, पचासों परिवारों का एक ही संयुक्त गोला–खाता होना, एक ही खेत पर अनेक परिवारों की हिस्सेदारी होना है, 75 प्रतिशत परिवारों का लम्बे समय से अनुपस्थित होना और सरकार का क्षेत्रीय कृषकों के प्रति उदासीन होना है।

अगर हम आजादी के 57 वर्षो के इतिहास को देखें तो प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में चकबन्दी के बाद उत्पादन में 8 से 10 गुना वृद्धि हुई जबकि पर्वतीय क्षेत्र में चकबन्दी न होने से उत्पादन में 8 से 10 गुना गिरावट आई। आजादी से पूर्व पहाड़ का किसान जिस जमीन से दो बोरी धान या गेहू लेता था, आज उसी जमीन से 20 किलो भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इस क्षेत्र में कृषि विकास के लिये अभी तक ऐसा कोई भी बुनियादी कार्य नहीं किया गया जिसके सार्थक परिणाम निकले हों। आज से 57 वर्ष पूर्व 10 प्रतिशत खेतों में सिंचाई होती थी और शत प्रतिशत खेतों में खेती होती थी। लेकिन आज दो प्रतिशत खेतों में भी सिंचाई नहीं होती और 85 प्रतिशत खेत बंजर पड़े है। केवल 15 प्रतिशत खेतों में ही खेती हो रही है।

पर्वतीय जनपदों की 90 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और खेती करती है। 92 प्रतिशत सीमांत कृषक, 9 प्रतिशत छोटे कृषक और एक प्रतिशत बड़े कृषक है। सभी कृषक परिवारों के खेत (तराई – भावर छोड़कर) औसतन 30 – 40 जगह दूर–दूर बिखरे पडे है तथा 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक बंजर हो चुके है। 75 प्रतिशत परिवार कई दशकों से गांव

छोड़कर शहरों व मैदानों में रह रहे है। और गांव में आने की सम्भावना नहीं है। केवल 25 प्रतिशत भूमिधर परिवार ऐसे हैं जो अपनी गरीबी व मजबूरी के कारण गांव में रह रहे हैं और खेती कर रहे हैं तथा गांव के मतदाता है।

खेतों के अत्यधिक विखराव के कारण यहां के कृषक आज भी सदियों पुराने परम्परागत तरीके से खेती करने पर विवश है। एक–एक कृषक परिवार को प्रति वर्ष हजारों रूपयों की क्षति हो रही है। और अब तक लाखों रूपयों की क्षति हो चुकी है। लाखों कृषक परिवार अपना पैत्रिक धन्धा छोड़ने पर मजबूर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां के लोगों को खेतों से हटने और पलायपन करने के लिये मजबूर तो कर दिया लेकिन इसके दुष्परिणामों की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। अगर क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि का सही नियोजन कर दिया जाता तो लाखों बेरोजगारों को काम करने का अवसर मिल सकता था और अरबों रूपये प्रति वर्ष की आय हो सकती थी।

कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में एक लाख तैंतीस हजार हैक्टेयर अर्थात 66 लाख 50 हजार नाली कृषि योग्य भूमि है तथा जनपद में 15 ब्लाक और 1199 ग्राम सभायें है। औसतन एक ब्लाक में 8867 हेक्टेयर और एक ग्राम सभा में 110 हेक्टेयर अथात एक ब्लाक में 4 लाख 42 हजार 350 नाली ओर एक ग्राम सभा में 5500 नाली कृषि भूमि है।

अगर जनपद में भूमि सुधार व चकबन्दी कार्यक्रम चलाकर कृषि भूनि का सही नियोजन किया जाता है तो एक परिवार को 50 नाली भूमि का चक देकर भी एक ग्राम सभा में लगभग 110 परिवारों तथा एक ब्लाक में 8867 परिवारो और जनपद में एक लाख 33 हजार परिवारों को सीधे खेती पर ही रोजगार दिया जा सकता है।

खेत एक जगह पर होने से तथा बुद्धि–विवेक से काम करने व सिंचाई सुरक्षा की ठीक व्यवस्था करने पर एक नाली भूमि में कम से कम 10 फलदार पौधे लगाये व पाले जा सकते हैं तथा उनको पालने में 5 से 10 वर्ष तक का समय लग सकता है।

इस तरह 50 नाली (एक हेक्टेयर) भूमि में 500 पेड़ों से 50 हजार रूपये की आय होती है। अगर 25 प्रतिशत उसके रख रखाव और देखभाल पर भी खर्च किया जाये तो तब भी 37,500 रूपये की शुद्ध आय हो सकती है। अर्थात कम से कम 3000 रूपये प्रतिमाह की आय हो सकती है। इस तरह इन खेतों से ही औसतन एक ग्राम सभा में लगभग 55 लाख रूपयें, एक ब्लाक में 45 करोड़ रूपयें और जनपद में 7 अरब रूपयें का प्रतिवर्ष उत्पादन होगा।

जब एक ग्राम सभा में 55 लाख रूपयों के फल पैदा होंगे तो तब उनका जूस, जैम, मुरब्बा, अचार आदि बनाने के लिये एक ग्राम सभा में कम से कम 7 कुटीर उद्योग खुल सकते हैं और उनमें कम से कम 14 परिवार काम कर सकते हैं। इस तरह कृषक परिवारों के उत्पादन की खपत (विपणन) कुटीर उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने में हो सकती है और उन उद्योगों का कच्चा माल गांव में ही उपलब्ध हो सकता है। इस तरह एक ब्लाक में 567 और जनपद में 8500 कुटीर उद्योग चल सकते हैं। इन उद्योगों से एक ब्लाक में 1133 परिवारों और जनपद में 17000 परिवारों को स्थायी रोजगार और हजारों लोगों को मजदूरी का काम मिल सकता है।

इसके साथ–साथ इन्हीं बगीचों में अनेक प्रकार की सब्जियों, अनाजों, दालों, तिहलनों, मसालों, जडी–बूटियों, फूलों, चारा पत्तीयों आदि का उत्पादन तथा अनेक प्रकार के पशुपालन के कार्य भी सुविधाजनक तरीके से हो सकते हैं और इनसे हजारों रूपये प्रतिवर्ष

कमाये जा सकते हैं तथा आय में वृद्धि हो सकती है। अतः भूमि सुधार व चकबन्दी के माध्यम से मिली जुली खेती के कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में चलाकर 10 वर्षों में ही गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन व पर्यावरण जैसे समस्याओं को सदा के लिये समाप्त किया जा सकता है।

इससे स्पष्ट है कि एक कृषक परिवार 55 हजार 500 रूपये का उत्पादन करेगा तथा एक ग्राम सभा में 61,5000 और जनपद में 134 परिवार, एक ब्लाक में 10890 परिवार व एक जनपद में 1,62000 परिवार पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होंगे।

इस प्रकार उत्तरांचल राज्य की परिकल्पना, क्षेत्र की आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन, कृषि एवं ग्रामीण विकास का सपना, समस्याओं का समाधान व क्रान्तिकारी परिवर्तन हो सकेगा। केवल एक आवश्यकता है जगह–जगह बिखरे खेतों को एकत्रित करने की।

अगर पर्यावरण की दृष्टि से भी सोचा जाये तो एक परिवार 500 फलदार पेड़ तथा बगीचे के चारों तरफ या अन्य फालतू स्थान पर कम से कम 200 चारा पत्ती से सम्बन्धित पौधे आवश्य लगायगा। इस तरह एक परिवार 700 पौधे, एक ग्राम सभा 77000 पौधे, एक ब्लाक 72 लाख 58 हजार 500 पौधें और जनपद 10 करोड़ 89 लाख पौधें केवल कृषक परिवारों की स्वैच्छिक भागीदारी व उनके स्वयं के श्रम व पैसे से लगाये, पाले व सींचे जा सकते हैं।

अगर जल संरक्षण व बाढ़ नियन्त्रण की दृष्टि से भी सोचा जाये तो यहां का एक कृषक परिवार 700 पौधे को पालने व सींचने के लिये भूमि संरक्षण व जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देगा। तब वह पहाडी क्षेत्र में समय – बे समय होने वाली वर्षा का लाभ अवश्य उठायेगा। वे बेकार बहने वाले बरसात के पानी को अपने बगीचें में रोकेगा व संग्रह करने का हर सम्भव प्रयास करेगा। तब वह किसी भी उपाय से अपने खेतों की मिट्टी व खाद बहने से रोकेगा तथा बरसाती हौज बनाकर पानी का संग्रह करेगा। इसी तरह मिट्टी, खाद व पानी को रोककर यहां के कृषक अनियंत्रित व विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित करने में भी सहायक बनेंगे।

इससे विदित है कि कृषक की जमीन पर, कृषक की योजना से, कृषक के प्रयास से तथा कृषक के पैंसे से जनपद में 16 करोड़ 28 लाख 10 हजार पौधों का रोपण, पालन पोषण होगा। 97 लाख 68 हजार 700 घ0 मी0 वर्षा के पानी को रोककर सिंचाई की जा सकेगी। 9 लाख 76 हजार घ0 मी0 मिट्टी का बहना रूकेगा। अर्थात एक परिवार अपने एक हेक्टेयर (50 नाली) के चक में औसतन 1000 पौधों का रोपण करेगा, 60 घ0 मी0 वर्षाती पानी का संरक्षण होगा और 6 घ0 मी0 मिट्टी बहने से रूकेगी। पुराने सूख चुके जलस्रोतों से पुनः जल प्राप्त होना शुरू होगा।

उत्तरांचल में चकबन्दी का स्वरूपः–

उत्तरांचल के विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये चकबन्दी एंव भूमि सुधार एक साथ करना आवश्यक प्रतीत होता है। चकबन्दी के साथ साथ भू अभिलेखों का दुरस्तीकरण, सिंचाई एवं विकास योजनाओं को समेकित कर सम्पूर्ण भूमि सुधार योजना अमल में लाई जानी चाहिये जिसके लिये जनता की भागीदारी आवश्यक है। मुख्यतः पहाड की चकबन्दी एवं भूमि सुधार कृषक की भूमि पर कृषक के लिये, कृषक के द्वारा किये जाने का सिद्धान्त स्वैच्छिक चकबन्दी का आधार होगा। पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक संरचना इतनी विषम है कि उसे उ0 प्र0 की मैदानी भूमि की गुणवत्ता के आधार पर परिभाषित नहीं किया जाना चाहिये इसलिये जहां चकबन्दी के लिए राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत उ0 प्र0 एक्ट को आधार

बनाया जायेगा वहीं इसमें कुछ नियमों में परिवर्तन / संशोधन किये जाने आवश्यक हैं तथा कुछ नियम पूर्णतः निरसित किये जाने के साथ साथ कुछ अन्य नियम भी अनिवार्य रूप से जोड़े जाने होंगे।

ग्राम में चकबन्दी योजना क्योंकि कृषकों के सहमति व सहयोग के आधार पर होगी इसलिये इस कार्य हेतु भूमि प्रबन्ध समिति अथवा कृषक परिवार के गणमान्य नागरिकों में से चकबन्दी समिति का गठन आवश्यक रूप से किया जायेगा जिनके द्वारा प्रत्येक स्तर पर आवश्यक सुझाव व सहमति लेने के उपरान्त ही कार्य किया जायेगा इस दृष्टिकोण से चकबन्दी समिति को विशिष्ट अधिकार एवं कर्तव्य ग्राम हित में प्रदान किये जॉये।

चकबन्दी कार्य को विभागीय रूप से सम्पन्न कराने के लिये अधिकारी / कर्मचारियों की तैनाती की जायेगी जिन्हें ऐक्ट के अनुसार आवश्यक कर्तव्य एवं अधिकार सम्पन्न बनाया जायेगा, जो कि अभिलेखीय रूप से प्रत्येक कार्यवाही नियमसंगत बनाते हुये पूर्ण करेगें। कर्मचारियों एवं अधिकारियों व ग्राम के कृषकों का चकबन्दी समिति के माध्यम से समन्वय स्थापित करते हुये स्वैच्छिक चकबन्दी योजना का कार्य किया जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामों में नाप भूमि, बेनाप भूमि, कब्जे विषयक भूमि, सिरतान विषयक भूमि, ग्राम सभा की भूमि, राज्य सरकारी भूमि एवं वन भूमि में कब्जे एवं उनमें कृषकों को अधिकार प्रदान किये जाने हेतु ऐक्ट में विशिष्ट प्राविधान अत्यन्त आवश्यक है। यह आवश्यकता इस लिये भी अत्यन्त जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश एवं पर्वतीय क्षेत्र की भूमि विषयक नियमों में अन्तर है। साथ ही साथ यहां की भौगोलिक परिस्थितियों में भी अन्तर होने के कारण उत्तरांचल में चकबन्दी ऐक्ट में विशेष प्राविधान करने पडेगें। चाहे इस हेतु केन्द्र सरकार से भी आवश्यक अनुमति लेनी पड़े। इस प्रकार उ0 प्र0 चकबन्दी ऐक्ट को आधार बनाते हुये इसमें आवश्यक परिवर्तन करते हुये पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों के अनुरूप एवं उनकी सहमति से भी स्वैच्छिक चकबन्दी योजना का भावी स्वरूप साकार किया जा सकेगा।

प्रारूप का प्रचार प्रसार एवं जनसामान्य तक इसे पहुंचाने के हेतु प्रयास

किसी भी योजना को जन सामान्य से जोड़ने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके स्वरूप, आवश्यकता एवं भविष्य की योजनाओं को जन सामान्य से जोड़ा जाये, इसके लिये जनप्रतिनिधियों का सहयोग एवं मिडिया एवं समाज सेवी संस्थाओं का व्यापक सहयोग लिया जाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही सरकारी संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जन सामान्य तक संदेश पंहुचाकर इसके व्यापक परिदृष्य से जन सामान्य को जोड़ा जा सकता है। सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में चकबन्दी योजना के प्रचार प्रसार के लिये प्रथमतः कुछ ऐसे ग्रामों को लेकर चकबन्दी की जाये जिनके द्वारा स्वैच्छिक चकबन्दी हेतु प्रस्ताव बनाकर शासन व परिषद को भेजे गए हैं। इन ग्रामों के माडल स्वरूपों को जन सामान्य तक पहुंचा कर चकबन्दी का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा सकता है।

चकबन्दी क्षेत्र को विस्तृत रूप से एवं सटीक रूप से परिभाषित किया जाना

चकबन्दी को पर्वतीय क्षेत्र में भूमि सुधार की व्यापक प्रक्रिया के रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिये। जिसके द्वारा अभिलेखों का सुधार, भूमि विषयक आपसी विवादों का निस्तारण, ग्राम के कृषकों की मूल भूत समस्याओं का निराकरण, ग्राम हेतु भविष्य में प्रस्तावित

समस्त विकास योजनाओं का समन्वित रूप इस चकबन्दी प्रक्रिया में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

इसलिये चकबन्दी परिभाषा को स्पष्ट रूप से दर्शित किया जाना अनिवार्य होगा ताकि वन भूमि, ग्राम समाज भूमि, राज्य सरकार की भूमि इत्यादि के मध्य भविष्य में कोई विवाद न रहे जिससे कि भावी विकास योजनाओं का भविष्य में अमल में लाने पर विवादित होने के कारण बिलम्ब न हो। इस तरह चकबन्दी क्षेत्र की प्रक्रिया से भूमि विषयक सभी विवादों का समन्वय एवं नियमतः निस्तारण होगा।

चकबन्दी के द्वारा भूमि सुधार के घटक

चकबन्दी योजना के दौरान भूमि सुधार ही मुख्य घटक है जिसमें कि कृषकों की आर्थिक, सामाजिक एवं समग्र ग्राम विकास की अवस्थिति के साथ ही साथ पर्यावरण एवं परिस्थिति की अनिवार्य रूप से विशिष्टता बनाये रखना आवश्यक है। मुख्य घटक निम्नवत हैः–

1. कृषकों को भूमि के अधिकार देने हेतु आवश्यक प्राविधान करना।
2. कृषकों की बिखरी हुई जोतों को संहत (एकजाई) करना।
3. भूमि संबन्धि अभिलेखों को संशोधित करना व उन्हें अद्यतन बनाया जाना।
4. ग्राम के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि को आरक्षित किया जाना।
5. भूमि सुधार की प्रक्रिया में भूमि संरक्षण को ध्यान में रखते हुये योजनायें संचालित करना।
6. भूमि से संबन्धित कृषक एवं पर्यावरण के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु जंगल जमीन व बाग के लिये विशेष व्यवस्था करना।
7. भूमि सुधार में पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई भी एक मुख्य कारक है, चकबन्दी के द्वारा इसे भी मुख्य तत्व के रूप में स्थान दिया जाना एवं वर्षा जल को सिचाई हेतु संचित करना।
8. विकास हेतु पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अनुरूप योजना तैयार करना।
9. ग्रामीण विकास के लिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास को समन्वित करना।

अन्य विभाग एवं क्षेत्र की संस्थाओं में समन्वय

भविष्य की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम विकास से संबन्धित समस्त विभागों एवं संस्थाओं के मध्य आवश्यक विचार हेतु समन्वय समिति का गठन किया जाये।

चकबन्दी विषयक प्राविधान

उत्तरांचल में उ0 प्र0 के ही समस्त अधिनियम एवं नियमावलीयां अंगीकृत की गई हैं। परन्तु इनमें पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक संरचना के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन व संसोधन किया जाना वांछनीय होगा।

चकबन्दी योजना का स्वरूप

उत्तरांचल में चकबन्दी चक्रवार की जायेगी जिसके अन्तर्गत प्रथम चक्र मे ऐसे ग्राम लिये जायेगें जिनकी ग्राम सभाओं से भूमि सुधार परिषद को प्रस्ताव प्रेषित किये गये है।

द्वितीय चक्र में प्रथम चक्र के कार्य के आधार पर जन जागरण के फलस्वरूप एवं

आवश्यकताओं के अनुसार चकवन्दी कार्य किया जायेगा।

परिषद का यह भी अनुरोध है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि की चकबंदी एवं अभिलेखों को अध्यावधिक करने हेतु आवश्यक आदेश / निर्देश तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने विषयक कार्यवाही भी शीघ्रातिशीघ्र करने की महति कृपा करें।

(पूरणसिंह डंगवाल)
अध्यक्ष
भूमि सुधार परिषद
उत्तरांचल, देहरादून

दिनांक : 26.10.2004
स्थान : देहरादून

सदस्य प्रारूप समिति

1. श्री गणेशसिंह 'गरीब', सदस्य उत्तरांचल भूमि सुधार परिषद
2. श्री एस.डी. भट्ट, विशेषज्ञ भूमि सुधार परिषद
3. श्री सी.पी. विजल्वाण, विशेषज्ञ भूमि सुधार परिषद
4. श्री दीवानसिंह नेगी, अपर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी
5. श्री संजय शर्मा, चकबन्दी अधिकारी
6. श्री अनिल कुमार सुनील, अपर चकबन्दी अधिकारी

आवश्यक / बैठक

संख्या : 18 /अ.स./XVIII(1)/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा / पौड़ी।

राजस्व विभाग   देहरादून, दिनांक 25 फरवरी, 2005

विषयः उत्तरांचल में स्वैच्छिक चकबन्दी के संबंध अध्ययन किए जाने हेतु जनपद अल्मोड़ा एवं पौड़ी के चयनित ग्रामों में बैठक का आयोजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में जनपद अल्मोड़ा के ग्राम संगनेटी एवं गढ्यूड़ा पट्टी तल्ला सिलोट ब्लाक ताडीखेत तहसील रानीखेत एवं जनपद पौड़ी के ग्राम फलदा एवं दिवई ब्लाक कलजीखाल में स्वैच्छिक चकबन्दी के संबंध में अध्ययन दल के क्रमशः दिनांक 10.3.2005 एवं 4.4.2005 को प्रस्तावित भ्रमण से **पूर्व श्री पूरन सिंह डंगवाल, मा0 अध्यक्ष भूमि सुधार परिषद उत्तरांचल द्वारा दिनांक 4.3.2004 को जनपद अल्मोड़ा एवं** दिनांक 28.3.2004 को जनपद पौड़ी के उपरोक्त चयनित ग्रामों में बैठक आयोजित की जायेगी।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने के निदेश हुए हैं कि मा0 अध्यक्ष द्वारा दिनांक 4.3.2005 को जनपद अल्मोड़ा एवं दिनांक 28.3.2005 को जनपद पौड़ी के उपरोक्त ग्रामों में आयोजित बैठक में अपराह्न 2.00वजे उपस्थित रहने हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, क्षेत्रीय पटवारी एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

3. मा0 अध्यक्ष द्वारा यह भी अपेक्षा की गई है कि जनपद अल्मोड़ा मे आयोजित बैठक हेतु श्री माधब सिंह नेगी–सदस्य, भू0सु0प0 नि0 चिलिया नौला निकट बिरला कालेज चिलियानौला,रानीखेत,अल्मोड़ा एवं श्री बहादुर सिंह फर्त्याल–सदस्य, भू0सु0प0 नि0 ब्लाक प्रमुख चम्पावत, फर्त्याल गार्डन चम्पावत तथा जनपद पौड़ी में आयोजित बैठक हेतु श्री राजेन्द्र सिंह रावत–सदस्य, भू0सु0प0 ~~नि0~~ एडवोकेट एवं पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत, उत्तरकाशी एवं श्री गणेश सिंह 'गरीब' –सदस्य, भू0सु0प0 नि0 सरस्वती निवास ग्राम सूला(मुन्डनेश्वर) ब्लाक'कल्जीखाल, पौड़ी को उपस्थित होने के लिए यथा समय सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

(2)

<u>संख्या व तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वैयक्तिक सहायक मा0 अध्यक्ष भूमि सुधार परिषद मा0 अध्यक्ष के संज्ञानार्थ।
2. जिलाधिकारी, चम्पावत / उत्तरकाशी।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

पूरनसिंह डंगवाल
(राज्य मंत्री स्तर)
दूरभाष : 0135–2789017
0129–2232365
9412985707
9810107939

उत्तरांचल शासन

73

अध्यक्ष
भूमि सुधार परिषद
उत्तरांचल सरकार
अपर अधोईवाला सहस्त्रधारा रोड
देहरादून–248 001

पत्रांक ....

दिनांक 15-5-06

भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल,देहरादून में स्वैच्छिक चकबन्दी के सम्बन्ध में विवरण

उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रो में स्वैच्छिक चकबन्दी किये जाने के लिये भूमि सुधार परिषद का गठन दिनाक–23 फरवरी 2004 को किया गया।

भूमि सुधार परिषद के पर्वतीय जनमानस को चकबन्दी के लाभो से अवगत कराते हुये जिलास्तर, ब्लाकस्तर तथा ग्रामस्तर पर चकबन्दी समितियों के गठन का काम जिला–पौड़ी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा तथा समीपवर्ती पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के नाहन व पावंटा, जिला–सिरमौर का सर्वे कर रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जा चुकी हैं।

सर्वप्रथम जनपद पौड़ी के विकासखण्ड कल्जीखाल तथा जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताड़ीखेत, तहसील–रानीखेत से इस कार्य का शुभारम्भ किया गया हैं।

परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में एक बैठक दिनाक–24 मई 2004 को सचिवालय स्थित एफ0आर0डी0सी0 सभागार में आहूत की गई थी। जिसमें गढ़वाल एवं कुमॉऊ मण्डल के आयुक्त, सह आयुक्त, विषय विशेषज्ञो तथा शासन के प्रमुख सचिव(राजस्व) तथा चकबन्दी आयुक्त ने भाग लिया था बैठक में गहन विचार विमर्श के पश्चात यह आम सहमति बनी कि पर्वतीय कृषि भूमि की चकबन्दी हेतु चकबन्दी अधिनियम / चकबन्दी नियमावली तैयार करनी होगी।

दिंनाक 11 जून 2004 को जनपद अल्मोड़ा, तहसील–रानीखेत स्थित ग्राम सगनेटी में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सभी राजस्व अधिकारी, ब्लाक अधिकारी तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियो ने भाग लिया तथा स्वैच्छिक चकबन्दी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु शासन की पहल का स्वागत किया ।

दिंनाक 19 जून 2004 को जनपद पौड़ी के विकासखण्ड कल्जीखाल में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें आयुक्त गढ़वाल मण्डल, जिलाधिकारी, गढ़वाल, समस्त राजस्व अधिकारी, अध्यक्ष जिला पचांयत तथा समस्त क्षेत्रीय जनता ने भाग लिया तथा स्वैच्छिक चकबन्दी कार्यान्वित करने हेतु शासन की पहल का स्वागत किया।

दिंनाक–26 अक्टूबर 2004 को एक बैठक परिषद के अध्यक्ष श्री डंगवाल जी के आह्वान पर सचिवालय परिसर में आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता श्रीमती इन्दिरा ह्रदेश, माननीय मंत्री एवं वीस सूत्रीय कार्यक्रम के माननीय उपाध्यक्ष श्री सतपाल जी महाराज की अध्यक्षता में दो चरणो में हुई। इस बैठक में चकबन्दी के व्यवहारिक एवं विधिक पक्षो पर गहन विचार–विमर्श किया गया और तत्पश्चात् प्रमुख सचिव(राजस्व) श्री नृपसिंह नपच्याल जी के निर्देशानुसार एक अध्ययन दल का गठन किया गया। जिसके द्वारा उत्तरकाशी जनपद के बीफ गांव में जाकर, वहॉ की स्वैच्छिक चकबन्दी का अध्ययन कर अध्ययन दल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जा चुकी हैं।

स्वैच्छिक चकबन्दी कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु एक अध्ययन दल परिषद के अध्यक्ष श्री पूरन सिंह डंगवाल जी की अध्यक्षता में दिंनाक–10.3.2005 से 23.3.2005 तक जनपद–अल्मोड़ा के ग्राम–सगनेटी व गड्यूड़ा में रहा और उन्होने जनपद के क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियो की सहायता से राजस्व अभिलेखो का अवलोकन एवं अध्ययन स्थानीय जनता की सहायता से मौके पर जाकर किया तथा इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी शासन को प्रेषित की जा चुकी हैं।

स्वैच्छिक चकबन्दी कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु एक अध्ययन दल परिषद के अध्यक्ष श्री डंगवाल जी की अध्यक्षता में दिंनाक–4.4.2005 से विकासखण्ड कल्जीखाल, जनपद–पौड़ी के ग्राम–दिवई तथा ग्राम–फल्दा के ग्रामो में गया और उन्होने जनपद के क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों की सहायता से राजस्व अभिलेखो का अवलोकन एवं अध्ययन स्थानीय जनता की सहायता से मौके पर जाकर किया तथा इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी शासन को प्रेषित की जा चुकी हैं।

दिंनाक 7 जुलाई 2005 को भूमि सुधार परिषद की एक बैठक परिषद के अध्यक्ष श्री पूरनसिंह डंगवाल जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें सर्वश्री प्रतापसिंह(आई0ए0एस0)

निवास : 106, डंगवाल सदन, गुरुद्वारा रोड़, जवाहर कालोनी, फरीदाबाद–121001 (हरियाणा)

सेवानिवृत्त, श्री चन्द्रसिंह जी(आई0ए0एस0) सेवानिवृत्त, श्री घनश्याम पन्त जी(पी0सी0एस0)सेवानिवृत्त, श्री रामकुमार जी(पी0सी0एस0)सेवानिवृत्त, कर्नल जी0के0 बौठियाल, सेवानिवृत्त, श्री उम्मेदसिंह रावत, पूर्व ज्वाइन्ट कमिश्नर आयात निर्यात मंत्रालय भारत सरकार तथा परिषद के दोनो विशेषज्ञ श्री बिजल्वाण तथा श्री भट्ट जी ने भाग लिया । इन्होने कृषि भूमि स्वैच्छिक चकबन्दी के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये।

दिंनाक–11 अगस्त 2005 को भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल की एक आवश्यक बैठक श्री पूरनसिंह डंगवाल जी की अध्यक्षता में सचिवालय के सभा भवन में आयोजित की गई। जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे । बैठक में प्रमुख सचिव(राजस्व) श्री नृप सिंह नपच्याल जी के अलावा श्री सोहनलाल, चकबन्दी आयुक्त, श्री रामकुमार(पी0सी0एस0) सेवानिवृत्त, श्री शशिधर भट्ट,(पी0सी0एस0)सेवानिवृत्त, श्री सी0पी0 बिजल्वाण, विशेषज्ञ, श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, श्री सजंय शर्मा, चकबन्दी अधिकारी, श्री टीकमसिंह चौहान, चकबन्दी अधिकारी, श्री अनिल कुमार सुनील, सहायक चकबन्दी अधिकारी, श्री चन्द्रप्रकाश आर्य, सहायक चकबन्दी अधिकारी, श्री जगदीश गुप्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी ने भाग लिया । बैठक में उत्तरांचल के पर्वतीय जनपदो में स्वैच्छिक चकबन्दी के लिये कानूनी प्रारूप तैयार करने के लिये उपरोक्त अधिकारियों की एक समिति बनाने पर प्रमुख सचिव महोदय ने निर्देशित किया ।

उत्तरांचल शासन(राजस्व विभाग) के पत्र सं0–29–वी0आई0पी0/18(1)/2005 देहरादून दिंनाक18 नवम्बर 2005 कार्यालय ज्ञाप के सन्दर्भ में स्वैच्छिक चकबन्दी योजना लागू करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम एवं समीपवर्ती पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में लागू चकबन्दी अधिनियम का अध्ययन कर पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ने अनुरूप योजना के क्रियान्वयं एवं उपरोक्त लागू अधिनियमो में आवश्यक सशोंधनो हेतु अपनी संस्तुतियां/सुझाव शासन को प्रस्तुत करने हेतु समिति का गठन किया गया जिसमें श्री मदनसिंह, सचिव, खाधे नागरिक आपूर्ति एवं सैनिक कल्याण को अध्यक्ष, श्री सोहनलाल, अपर सचिव(राजस्व) को सदस्य, श्री अरूण कुमार ढौंडियाल, अपर मुख्य राजस्व आयुक्त को सयोंजक, श्री रामकुमार, पी0सी0एस0(सेवानिृत्त) को सदस्य,श्री विक्रमसिंह नेगी, सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 को सदस्य,श्री शशिधर भट्ट, सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 को सदस्य, श्री सी0पी0बिजल्वाण, विशेषज्ञ तथाश्री दीवानसिंह नेगी, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, हरिद्वार को सदस्य नामित किया गया। उक्त समिति के सदस्यो में से अध्ययनदल के सदस्य श्री शशिधर भट्ट, श्री विक्रमसिंह नेगी तथा श्री सी0पी0 बिजल्वाण, विशेषज्ञ दिंनाक–5.12.2006 व 6.12.2006 को तहसील पावंटा साहब तथा दिंनाक–7.12.2006 व 8.12.2006 को तहसील नाहन पहुँचे । उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश की दोनो तहसीलो की विस्तृत रिपोर्ट दिंनाक–1.3.2006 को शासन को प्रेषित की जा चुकी हैं।

दिंनाक–4.1.2006 से दिंनाक–8.1.2006 के मध्य जनपद अल्मोड़ा की 5 न्याय पंचायत में स्वैच्छिक चकबन्दी कराने के सम्बन्ध में बैठक श्री पूरनसिंह डंगवाल जी की अध्यक्षता में हुई। जिसमें सभी क्षेत्र के ग्राम पचायंत, क्षेत्र पचांयत तथा जिले के राजस्व अधिकारियो ने भाग लिया तथा स्वैच्छिक चकबन्दी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु शासन की पहल का स्वागत किया ।

दिंनाक–27.2.2006 को जिला–चम्पावत में भूमि सुधार परिषद के अध्यक्ष श्री पूरनसिंह डंगवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सभी क्षेत्रीय जनता तथा सभी राजस्व अधिकारियो ने भाग लिया तथा स्वैच्छिक चकबन्दी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु शासन की पहल का स्वागत किया ।

दिंनाक–28.2.2006 को जिला–पिथौरागढ़ में भूमि सुधार परिषद के अध्यक्ष श्री पूरनसिंह डंगवाल जी की अध्यक्षता में स्व0 चकबन्दी लागू करने के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी क्षेत्रीय जनता तथा सभी राजस्व अधिकारियो ने बैठक में भाग लिया तथा स्वैच्छिक चकबन्दी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु शासन की पहल का स्वागत किया।

दिंनाक–17.3.2006 को समीपवर्ती पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में लागू चकबन्दी अधिनियम का अध्ययन कर पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप योजना के क्रियान्वयन हेतु एक बैठक श्री मदनसिंह जी, सचिव, खाध, नागनिक आपूर्ति एवं सैनिक कल्याण, उत्तरांचल शासन, देहरादून की अध्यक्षता में सचिवालय कक्ष में आहूत की गई। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश में अध्ययनदल की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा हुई तथा तय किया गया कि सचिव महोदय प्रमुख सचिव (राजस्व) से वार्ता कर अग्रिम कार्यवाही तथा चकबन्दी अधिनियम के नये प्रारूप के सम्बन्ध में तिथि नियत कर बैठक का आयोजन किया जायेगा। बैठक की तिथि नियत करने हेतु भूमि सुधार परिषद से दिंनाक–3.4.2006 एवं दिंनाक–27.4.2006 को बैठक के आयोजन के सम्बन्ध में शासन को पत्र भेजकर अनुरोध किया जा चुका हैं।

(पूरन सिंह डंगवाल)

अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल, देहरादून की अध्यक्षता में आहूत की बैठक का कार्यवृत्तः—

आज दिनाँक 7 जुलाई, 2005 को भूमि सुधार परिषद की एक आवश्यक बैठक, परिषद के अध्यक्ष श्री पूरन सिंह डंगवाल जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहें:—

1. श्री प्रताप सिंह जी, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)।
2. श्री चन्द्र सिंह जी, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)।
3. कर्नल जी0के0 बौंठियाल (सेवानिवृत्त)।
4. श्री घनश्याम पंत जी ,पी.सी.एस. (सेवानिवृत्त)।
5. श्री रामकुमार जी, पी.सी.एस.(सेवानिवृत्त)।
6. श्री उम्मेद सिंह रावत, पूर्व ज्वाइन्ट कमिश्नर, आयात निर्यात मंत्रालय, भारत सरकार।
7. श्री एस0डी0 भट्ट, विशेषज्ञ, भूमि सुधार परिषद।
8. श्री सी0पी0 बिजल्वाण, विशेषज्ञ, भूमि सुधार परिषद।

बैठक में उपरोक्त अधिकारियों अपने ज्ञान व अनुभव के आधार पर उत्तरांचल राज्य के पहाड़ी जनपदों की भूमि सुधार तथा कृषि भूमि की चकबन्दी के सम्बन्ध में सुझाव दिये। श्री प्रताप सिंह जी ने कहा कि जब वह जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पद पर कार्यरत थे, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश 4 मार्च, 1985 के अनुसार पहाड़ के वर्ग–4 मे दर्ज सिरतानो को संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्रदान कर उनकी भूमि को जमींदारी विनाश खतौनी में दर्ज करा दिया था। पहाड़ के जिन जनपदों में अब तक यह कार्य नही हुआ है, उसे तुरन्त कर देना चाहिये ताकि पहाड़ के काश्तकारों के पास लाभकारी जोतें हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होकर वह भी विकास की धारा से जुड़ सके। श्री घनश्याम पंत जी ने सुझाव दिया कि जिन काश्तकारों के पास एक नाली से कम भूमि हो, उन्हें एक जगह चक बनाकर दिये जायें, जिससे चकबन्दी कार्यक्रम सुगमतापूर्वक संचालित हो सके। श्री उम्मेद सिंह रावत एवं कर्नल बौंठियाल ने सुझाव दिये कि पहाड़ों के लिये अलग कृषि नीति बनाई जाय तथा भूमि का मृदा परीक्षण कराकर बागवानी तथा नकदी फसलों के उत्पादन के लिये उन्हें प्रोत्साहित किया जाय। श्री राजकुमार जी ने चकबन्दी को सफल बनाने के लिये अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये। श्री चन्द्र सिंह जी ने सुझाव दिया कि चकबन्दी के साथ ग्रामीणों की सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के प्रयास भी किये जाय तथा गाँव का विकास रूरल प्लानिंग तैयार कर किया जाय ताकि पहाड़ों का पलायन रुक सके। बैठक में परिषद के विशेषज्ञ सर्वश्री एस0डी0 भट्ट तथा श्री सी0पी0 बिजल्वाण ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक का संचालन श्री एस0डी0 भट्ट द्वारा किया गया।

भूमि सुधार परिषद के अध्यक्ष श्री पूरन सिंह डंगवाल जी ने कहा कि सभी अधिकारियों के सुझाव परिषद की सर्वेक्षण आख्या, जो कुमाँऊ मण्डल के ग्राम संगनेटी एवं गडयूडा तथा गढ़वाल मण्डल के ग्राम दिवई तथा फल्दा के राजस्व

अभिलेखों तथा मौके की स्थिति के अनुसार बनाई गई है। शीघ्र ही उत्तरांचल सरकार के राजस्व विभाग को भेज दी जायेगी, जिससे शासन स्तर पर भी उसकी चर्चा हो सके। बैठक में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों ने राज्य के विकास एवं भूमि सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुये कहा कि उनके सहयोग की जब भी आवश्यकता होगी, वह अपना पूर्ण समर्थन देंगे। इन सभी अधिकारियों को भूमि सुधार परिषद का विशेष आमन्त्रित सदस्य बनाने का भी निर्णय माननीय अध्यक्ष जी द्वारा लिया गया।

अन्त में उपस्थित समस्त अधिकारियों का धन्यवाद करते हुये माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक का समापन किया गया।

(पूरन सिंह डंगवाल)
अध्यक्ष,
भूमि सुधार परिषद

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः—

1. सचिव, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल, देहरादून।
2. श्री प्रताप सिंह जी, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)।
3. श्री चन्द्र सिंह जी, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)।
4. कर्नल जी0के0 बौंठियाल (सेवानिवृत्त)।
5. श्री घनश्याम पंत जी ,पी.सी.एस. (सेवानिवृत्त)।
6. श्री रामकुमार जी, पी.सी.एस.(सेवानिवृत्त)।
7. श्री उम्मेद सिंह रावत, पूर्व ज्वाइन्ट कमिश्नर, आयात निर्यात मंत्रालय, भारत सरकार।
8. श्री एस0डी0 भट्ट, विशेषज्ञ, भूमि सुधार परिषद।
9. श्री सी0पी0 बिजल्वाण, विशेषज्ञ, भूमि सुधार परिषद।

अध्यक्ष,
भूमि सुधार परिषद

अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद,उत्तंराचल, देहरादून की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक का कार्यवृत्त ।

आज दिनाक–11 अगस्त 2005 को भूमि सुधार परिषद,उत्तंराचल की एक आवश्यक बैठक श्री पूरनसिंह डंगवाल जी की अध्यक्षता तथा श्री नृपसिंह नपलच्याल जी,प्रमुख सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में सचिवालय के सभा भवन में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहें:–

1. श्री सोहन लाल जी, चकबन्दी आयुक्त
2. श्री रामकुमार जी, सेवानिवृत्त पी0सी0एस0
3. श्री शशीधर भट्ट जी, सेवानिवृत्त पी0सी0एस0
4. श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद बिजल्वाण, विशेषज्ञ
5. श्री सुभाषचन्द्र गुप्ता, बन्दोबस्त अधिकारी,चकबन्दी
6. श्री दीवानसिंह, बन्दोबस्त अधिकारी,चकबन्दी
7. श्री सजंय शर्मा, चकबन्दी अधिकारी
8. श्री टीकमसिंह चौहान, चकबन्दी अधिकारी
9. श्री अनिलकुमार सुनील, सहायक चकबन्दी अधिकारी
10. श्री चन्द्रप्रकाश आर्य, सहायक चकबन्दी अधिकारी
11. श्री जगदीश गुप्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी

बैठक में उत्तंराचल के पर्वतीय जनपदों में स्वप्रेरित चकबन्दी के लिये कानूनी प्रारूप तैयार कर के लिए उपरोक्त अधिकारियों की एक समिति बनाने पर प्रमुख सचिव महोदय ने निर्देशित किया । उन्हों पहाड़ी क्षेत्रो की चकबन्दी अधिनियम की प्रकिया को सरल बनाने के लिये दिशा निर्देश दिये तथा विधिक प्रक्रिय नियमावली, सस्थांगत व्यवस्था तथा स्वप्रेरित चकबन्दी के लिये प्रोत्साहन नीति बनाने के लिए अभिप्रेरित किया इस बात पर विशेष बल दिया गया कि उत्तरांचल के चकबन्दी अधिनियम में चक बनाने, उसके पुष्टीकरण त अपील यही तीन प्राविधान रखे जायें, ताकि पहाड़ के काश्तकारों को जोत चकबन्दी अधिनियम की जटि प्रक्रिया से निजात मिल सके तथा चकबन्दी कार्य में अधिक समय भी न लगे ।

पहाड़ के काश्तकारों को फसलों की सिंचाई के लिए प्रेरित करने के लिए वर्षाजल सम्भरण,नकदी फसलें उगाने के लिये प्रशिक्षण, उत्पादन व विपणन की व्यवस्था आदि प्रोत्साहनात्मक नीति पर भी विचार किया गया। प्रमुख सचिव श्री नपलच्याल जी द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि प्रार में पर्वतीय खेती की चकबन्दी कार्य के लिये गढ़वाल मण्डल तथा कुमॉऊ मण्डल में चकबन्दी की दो इकाइ गठित की जायेगी,जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को शीघ्र ही प्रतिवेदन प्रेषित किया जायेगा । अन्त भूमि सुधार परिषद के अध्यक्ष श्री पूरनसिंह डंगवाल जी ने बैठक में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों का आभ व्यक्त किया ।

भवदीय,

(पूरनसिंह डंगवाल)
अध्यक्ष,
भूमि सुधार परिषद
उत्तंराचल, देहरादून।

कार्यालय अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल, देहरादून ।
सख्या 54/भू0सू0परि0–05, देहरादून, दिंनाक–22.8.2005

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव,राजस्व,उत्तरांचल शासन,देहरादून ।
2. चकबन्दी आयुक्त / सचिव,उत्तरांचल,देहरादून ।
3. समस्त उपस्थित अधिकारीगण ।

(पूरनसिंह डंगवाल)
अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद

शत भूमि भी गांवों में खेती करने वाले अलाभकारी जोतों के काश्तकारों को आवंटित कर दे तो इससे अने श्तकारो की जोतों (Holding) को लाभकारी जोतो में तब्दील किया जा सकता है । इस कार्य में एकमात्र बाधा व अधिनियम के कारण हो सकती है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनाक–12–12–1996 में य अवधारित किया है कि 'वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधान विधिक रूप से मान्य सभी प्रकार की बंजर भूमि प लागू होंगे, चाहे उनका स्वामित्व किसी का भी क्यों न हो । इस प्रकार दिंनाक–17.10.1893 में अधिसूचित पर्वती जनपदो में स्थित समस्त बेनाप या बंजर भूमि प्रोटेक्टेड फारेस्ट होने के कारण उस पर भी वन संरक्षण अधिनियम–198 के प्राविधान लागू होंगे । उत्तरप्रदेश सरकार के वन सचिव ने इसी निष्कर्ष के आधार पर दिनाक–17.3.97 व शासनादेश द्वारा गैर जमींदारी विनाश खतौनी में दर्ज भूमि को प्रोटेक्टड फारेस्ट माना गया है । उत्तरांचल में कु भौगोलिक क्षेत्रफल 8557440 हे0 है जिस मध्ये पर्वतीय जनपदों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7689040 हे0 (89.8 प्रतिशत) है जिस मध्ये 1250386 हे0 अर्थात 10.71 प्रतिशत भूमि ही कृषि के अन्तर्गत है जिसमें देहरादून का मैदान क्षेत्र तथा नैनीताल व गढवाल के भावर इलाके को कम कर दिया जाये तो कृषि के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्रफल आ प्रतिशत से भी कम हो जाता है । वनो के अन्तर्गत तथा हिमाच्छादित क्षेत्रफल 7012118 हे0 होता हैं जो 81.94 प्रतिश होता है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार के नाम दर्ज उपरोक्त 294936 हे0 भूमि भी शामिल कर दी जाये तो य प्रतिशत बढ़ जायेगा । उत्तरांचल सरकार यदि इन तथ्यों को पहाड़ की गरीबी, बेकारी तथा पलायन को रोकने व परिपेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाये तो सम्भवतय: वह राज्य सरकार के ना दर्ज बेनाप भूमि को गांव सभाओं में निहित करने पर सहमत हो जाये । इस सम्बन्ध में यदि आप स्वंय पहल करें त पहाड़ उजड़ने से बच सकते हैं ।

3. बिन्दु संख्या दो के संदर्भ में यह भी निवेदन करना हैं कि पर्वतीय क्षेत्र की गैर जमींदार विनाश खतौनी में वर्ग 4 म अंकित 60,834 खातेदारो के अध्यासन में लगभग 23,25,223 नाली भूमि को वर्ष 1956–65 के बन्दोबस्त की त्रुटिपू प्रबिष्टियों के कारण हुए परिवर्तन के फलस्वरूप उन्हें हिस्सेदार तथा खायकर के अधिकार प्रदान करने के बजाय गै जमींदारी विनाश खतौनी में वर्ग 4 में बतौर सिरतान अंकित किया गया था और उनके अध्यासन की भूमि राज्य सरका के स्वामित्व में दिखाई गई, पर उ0प्र0 सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त अपने शासनादेश संख्या–यू0ओ 260 / रा–1 / 84–788 / 150 / 56 / 77 लखनऊ दिंनाक 8 मार्च,1985 द्वारा गर्वनमेन्ट ग्रान्ट एक्ट–1895 के अधीन पट्टे देकर संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिये गये थे, लेकिन गढ़वाल के जनपद उत्तरकाशी, पौड़ी को छोड़कर पहाड़ व अन्य जनपदों विशेषकर अल्मोडा जनपद में वर्ग–4 के सिरतानो को अब तक भी संक्रमणीय भूमिधर के रूप में खतौनिय में दर्ज नहीं किया गया है। ग्राम संगनेटी तहसील रानीखेत के तीन खातो में 84 नाली 11 मुठ्ठी भूमि पर तथा ग्रा गडयूडा के 24 खतौनी खातों में 189 नाली 12 मुठ्ठी भूमि पर अभी भी खातेदारों को संक्रमणीय भूमिधर के अधिका नही दिये गये हैं । पहाड़ के अन्य गांवो में भी ऐसी स्थिति हो सकती है । अब इस भूमि पर भी वन अधिनियम 1980 लागू होने से ऐसे काश्तकारों को जिनमें अनेको की वर्ष 1872 से कब्जाकास्त थी अब तक उन्हें संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार नही दिये गये हैं । इस सम्बन्ध में ग्राम संगनेटी की सर्वेक्षण आख्या में पूरा विवरण देते हुए शासन से उन्हे भूमिधरी अधिकार देने पर विचार करने की संस्तुति की गई हैं । कृप्या इस नीति विषयक प्रकरण में भी निर्णय लेने की कृपा कर दें । उ0प्र0 सरकार का दिनाक 8मार्च,1985 का शासनादेश आपके अवलोकनार्थ संलग्न है ।

4. पहाड़ में सिंचित भूमि लगभग 5 प्रतिशत हैं । शेष 95 प्रतिशत भूमि असिंचित (उपराऊ) है । यदि काश्तकारों को वर्षा जल को सचिंत करने के लिए सिंचाई के हौज निर्माण के लिए उन्हें समुचित आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाये तो पहाड़ की भूमि को उत्पादकता से जोड़कर वहां के गांवो का आर्थिक विकास सम्भव हो सकता है । कृपया इस विषय मे भी शासन को आवश्यक मार्ग–दर्शन /आदेश देने की कृपा कर दें । मैं इस समस्या के प्रति आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा । पर्वतीय ग्रामों में बिना जल प्रबन्ध के कितने ही अन्य विकास कार्य किये जायें वे पलायन को नहीं रोक पायेंगे । जिन ग्रामों में चकबन्दी योजना लागू की जाये वहॉ प्राथमिकता के अनुसार लघु सिंचाई योजनाये तथा जल संरक्षण योजनायें भी साथ ही साथ लागू की जायें ।

5 पहाड में राजस्व ग्रामों की सीमा के अन्तर्गत स्थित वन पंचायत भूमि से भिन्न काश्तकारों की समस्त कृषि भूमि को चाहे वह जमींदारी विनाश खतौनी में दर्ज हो या गैर विनाश खतौनी में दर्ज हो, को चकबन्दी में शामिल करने के लिए जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 में मात्र पहाड़ो की भूमि के लिए प्रस्तावित संशोधन करने पर भी विचार करने की कृपा कर दें ।

6 पहाड़ में चकबन्दी योजना को लोकप्रिय बनाने हेतु पल्स पोलियो, साक्षरता अभियान तथा परिवार कल्याण की तरह रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्रों द्वारा सरकार की ओर से प्रचार–प्रसार कराने की कृपा कर दी जाय ।

भवदीय,

(पूरनसिंह डंगवाल)

पूरनसिंह डंगवाल

(राज्य मंत्री स्तर)

दूरभाष : 0135–2789017
0129–2232365
9412985707
9810107939

उत्तरांचल शासन

अध्यक्ष
भूमि सुधार परिषद्
उत्तरांचल सरकार
अपर अधोईवाला सहस्त्रधारा रोड़
देहरादून–248 001

पत्रांक मेमो.........

दिनांक 22-8-2005

प्रतिष्ठा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

आदरणीय महोदय,

राज्य के पर्ववीय जनपदों में कृषि भूमि की स्वैच्छिक चकबन्दी हेतु आपके द्वारा भूमि सुधार परिषद का गठन दिंनाक– 23.2.2004 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष पद का दायित्व मुझे सौंपा गया है । परिषद में दो विधि। विशेषज्ञ अक्टूबर 8,2004 से कार्यरत हैं । अब तक के कार्यकाल में परिषद जनपद उत्तरकाशी के ग्राम बीफ, अल्मोडा जनपद के ग्राम संगनेटी एवं गडयूड़ा तथा गढवाल जनपद के ग्राग दिवई एवं फल्दा का भ्रमण एवं सर्वेक्षण कर चुका है। इन गांवो के सर्वेक्षण के पश्चात स्वैच्छिक चकबन्दी में जो व्यवहारिक कठिनाईयां आ रही है उनमें कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओ की ओर आपका ध्यान इस निवेदन के साथ आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि इन मामलों में नीति विषयक निर्णय लेकर आपके आशीर्वाद से समस्याओं का निवारण हो सके:–

1. पहाड़ो के ग्रामवासी अब चकबन्दी के लाभ से भली–भांति अवगत हो गये हैं और वह चकबन्दी कार्य में सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन जब तक जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक चकबन्दी कार्य की कोई विधिक मान्यता नहीं है । इसके लिए प्रत्येक जनपद में एक पूर्णकालिक चकबन्दी इकाई का गठन होना अति आवश्यक हैं इस कार्य के लिए प्रत्येक जनपद में 27 अधिकारी व कर्मचारियों का होना आवश्यक है । बन्दोबस्त अधिकारी का कार्य जिले में तैनात वरिष्ठ डिप्टी कलेक्टर या अपर जिलाधिकारी से लिया जा सकता हैं । शेष अधिकारियों /कर्मचारियों की नियुक्ति चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्ता, चकबन्दी लेखपाल, चेनमैन / चपरासी के पद पर करनी होगी, जिन पर या तो सेवानिवृत्त चकबन्दी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबिदा पर नियुक्ति के आधार पर या नई नियुक्तियां की जा सकती है, लेकिन नव नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना वांछनीय होगा । प्रत्येक जनपद में कम से कम 27 कर्मचारियो की नियुक्ति करनी होगी। और इस प्रकार 10 पर्वतीय जनपदों में 270 कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ेगा । बगैर चकबन्दी स्टाफ की नियुक्ति के अकेले क्षेत्रीय पटवारी या पर्यवेक्षक कानूनगो से चकबन्दी कार्य कराना सम्भव नहीं हैं, क्योंकि पहले तो उन्हें चकबन्दी कार्य का अनुभव नहीं हैं । इसके अलावा उनके पास राजस्व पुलिस का कार्य, विशिष्ट अतिथियों के आगमन पर व्यवस्था करने के अतिरिक्त अन्य अनेक कार्य हैं, जिस कारण वह चकबन्दी कार्य के लिए पर्याप्त समय देने की स्थिति में नहीं होंगे गांव के काश्तकारों को भी अपने खसरा नम्बरो की या बन्दोबस्ती सजरे की जानकारी नहीं हैं जिसके अभाव में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–53अ के अन्तर्गत वह अपने खेतों की अदला–बदली (विनिमय)नहीं कर पायेगे । अतः पूर्णकालिक चकबन्दी स्टाफ का होना अति आवश्यक हैं ।शासन में प्रमुख सचिव व अन्य अधिकारियों की बैठक दिंनाक–11.8.2005 में यह तय पाया गया कि कार्य आरम्भ करने के लिये अभी सभी जनपदों में चकबन्दी इकाई का गठन न किया जाये, वरन गढ़वाल व कुमॉऊ मण्डल के लिए एक–2 इकाई गठित कर दी जायें । जो कार्य को आरम्भ करें । बाद में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त इकाइयॉ गठित की जा सकती हैं ।

2. पहाड के काश्तकारों के पास एक नाली (240वर्ग गज) या उससे भी कम भूमि है। उदाहरणार्थ ग्राम संगनेटी में 2[illegible] प्रतिशत, गडयूड़ा में 23 प्रतिशत, ग्राम दिवई में 22 प्रतिशत तथा ग्राम फल्दा में 13 प्रतिशत काश्तकार एक नाली से कम भूमि के काश्तकार है और पिचानवे प्रतिशत काश्तकारों के पास अलाभकारी जोते हैं । समीपवर्ती राज्य हिमाचल में ढा[illegible] एकड़ अर्थात पचास नाली तक असिंचित जोतों को अलाभकारी जोतो की श्रेणी में रखा गया हैं । पर्वतीय क्षेत्रों में कूज[illegible] ऐक्ट 1960 (कुमॉऊ एवं उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम) लागू है, जिसमें राजस्व ग्राम की सीमा के अन्तर्गत स्थित काश्तकारों से भिन्न भूमि (जो वन भूमि से भिन्न है)को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गांव सभाओं [illegible] निहित नहीं किया गया है बल्कि उसे राज्य सरकार की भूमि घोषित किया गया है तथा ऐसी भूमि को गैर जमींदार[illegible] विनाश खतौनी में दर्ज किया गया हैं । राज्य के पर्वतीय गांवों में इस प्रकार की भूमि 294936 हे0 हैं । यदि राज[illegible] सरकार चाहे तो इस भूमि को गांव सभाओं में निहित करने का निर्णय ले सकती हैं ओर इस भूमि मध्ये यदि पचा[illegible]

अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल,देहरादून की अध्यक्षता में आहूत की बैठक का कार्यवृत्त।

आज दिनांक 20 मई 2006 को भूमि सुधार परिषद की एक आवश्यक बैठक, परिषद के अध्यक्ष श्री पूरनसिंह डंगवाल जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1. श्री नृपसिंह नपच्याल, प्रमुख सचिव(राजस्व)
2. श्री मदनसिंह, अपर सचिव(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)
3. श्री सोहनलाल, अपर सचिव(राजस्व)
4. श्री अरूण ढौंडियाल, अपर मुख्य राजस्व आयुक्त
5. श्री शशिधर भट्ट, सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 अधिकारी
6. श्री विक्रमसिंह नेगी, सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 अधिकारी
7. श्री सी0पी0बिजल्वाण, विशेषज्ञ
8. श्री टी0एस0चौहान, चकबन्दी अधिकारी
9. श्री गणेशसिंह"गरीब", सदस्य, भू0सु0प0
10. श्री माधवसिंह नेगी, सदस्य, भू0सु0प0

बैठक में निर्णय लिया गया है, कि पर्वतीय क्षेत्रो में स्वैच्छिक चकबन्दी के कानूनी प्रारुप को तैयार करने हेतु दोनो मण्डलो के एक–एक ग्रामों में विज्ञप्ति जारी कर चकबन्दी स्टाफ की नियुक्ति की जाकर चकबन्दी कराई जाय तथा स्थल पर चकबन्दी से सम्बन्धित जो भी कठिनाईयां महसूस हो उनका चकबन्दी कानून में आवश्यक संशोधन हेतु प्रारुप शासन को विचारार्थ भेजा जाय। यह भी तय हुआ है, कि चकबन्दी कार्य सम्पन्न कराने हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों को चिन्हित कर उनके सुझाव लिये जाये तथा उन्हें संविदा पर नियुक्त करने की कार्यवाही करने हेतु प्रमुख सचिव(राजस्व) ने अपर सचिव(राजस्व) को निर्देशित किया हैं। स्वैच्छिक चकबन्दी का एक माडल तैयार कर इसी आधार पर पूरे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रो में चकबन्दी कार्य सम्पन्न कराया जायेगा। अन्त में भूमि सुधार परिषद के अध्यक्ष श्री पूरनसिंह डंगवाल जी ने बैठक में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।

भवदीय,

(पूरनसिंह डंगवाल)
अध्यक्ष एवं राज्यमंत्रीस्तर,
भूमि सुधार परिषद,
अपर अधोईवाला,सहस्त्रधारारोड़,
उत्तरांचल,देहरादून।

कार्यालय अध्यक्ष, भूमि सुधार परिषद, उत्तरांचल, देहरादून।
सख्या:– /भू0सु0परि0–06,देहरादून, दिनांक–20.5.2006

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव(राजस्व),उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. चकबन्दी आयुक्त/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. समस्त उपस्थित अधिकारीगण।

(पूरनसिंह डंगवाल)
अध्यक्ष एवं राज्यमंत्रीस्तर,
भूमि सुधार परिषद।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

कार्यालय

मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

(मैनुअल संख्या–09)

89 31.7.2010

मैनुअल संख्या–09

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वद्रमान पते तथा दूरभाष नम्बर कार्यालय में उपलब्ध है। जिन्हें यथासमय आवश्यकता पड़ने पर शासकीय तथा लोकहित में सम्पर्क करने पर जनता के कार्यो का सम्पादन करवाया जाता है। मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है :–

(अ) मुख्य राजस्व आयुक्त अधिष्ठान

क्र0 सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	आवास का पता	दूरभाष संख्या	
				कार्यालय	आवास
	श्री सुभाष कुमार	मुख्य राजस्व आयुक्त मुख्य संचालक राजस्व पुलिस (पदेन)		266	
2	श्री कुँवर राजकुमार	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त	15–टिहरी हाऊस, देहरादून	2669415	
3	श्री यू0डी0चौबे	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, सर्किट कोर्ट, नैनीताल		05942–232734	
4	श्री कैलाश चन्द्र नौटियाल	वित्त अधिकारी	जोगीवाला, देहरादून	2669221	2103013
5	श्री अशोक भदोला ,	सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन)	ग्राम थानो	2669221	2113887
6	श्री डी0पी0पालीवाल	निजी सचिव ग्रेड–2	सरस्वती विहार, धर्मपुर, देहरादून	2669221	941297350
7	श्री गोपी कृष्ण मैठानी	संयुक्त निबन्धक	मोहकमपुर, देहरादून	2669221	
8	श्री राजेन्द्र प्रसाद	अनुभाग अधिकारी	अधोईवाला, देहरादून	2669221	9627047965
9	श्री बीरेन्द्र सिंह नेगी	अनुभाग अधिकारी	अपर सारथी विहार, देहरादून	2669221	9634711048
10	श्री कमल किशोर डिमरी	अनुभाग अधिकारी	हरिद्वार रोड, देहरादून	2669221	9997500537
11	श्री नीरज पाण्डे	आशुलिपिक	आफिसर्स कालोनी, देहरादून	2669221	
12	श्री टी0एस0राना	लेखाकार	रायपुर, देहरादून	2669221	
13	श्री अरूण चन्द्र कोटनाला	लेखाकार		2669221	
14	श्री रामेश्वर सिंह पंवार	लेखाकार	ई0सी0रोड, देहरादून	2669221	9412971579
15	श्री शेखरचन्द्र सिंह रौतेला	लेखाकार	एम0डी0डी0ए0 कालोनी, देहरादून	2669221	
16	श्री खीम सिंह नेगी	लेखाकार		2669221	
17	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	कनिष्ठ लिपिक	कौलागढ़, देहरादून	2669221	2759551
18	श्री गोपालनाथ गोस्वामी	समीक्षा अधिकारी	सर्किट कोर्ट, नैनीताल	05942–232734	
19	श्री पूरन चन्द्र पुरोहित	समीक्षा अधिकारी	अपर राजीवनगर, देहरादून	2669221	9719656272

20	श्री बीसूलाल कोहली	समीक्षा अधिकारी	गढ़वाली कालोनी, देहरादून	2669221	9927572441
21	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	समीक्षा अधिकारी	रायपुर, देहरादून	2669221	9634706836
22	श्री गौतम लाल मुयाल	समीक्षा अधिकारी	हर्रावाला, देहरादून	2669221	
23	श्री राजेश बेलवाल	सहा0समीक्षा अधिकारी	कौलागढ़, देहरादून	2669221	9760819003
24	श्री दिनेश सेमल्टी	अपर निजी सचिव		2669221	
24	श्री पंकज भण्डारी	चालक	शास्त्रीनगर, दे0दून	2669221	
25	श्री अन्सी लाल	चालक	रेसकोर्स कालोनी, देहरादून	2669221	9411170417
26	श्री संजय कुमार	चालक	डोईवाला, देहरादून	2669221	
27	श्री संजय मलिक	चालक	सर्किट कोर्ट, नैनीताल	05942–232734	
28	श्री जबर सिंह	अनुसेवक	अपर राजीव नगर, देहरादून।	2669221	
29	श्री जयवीर सिंह नेगी	अनुसेवक	सरस्वती विहार, देहरादून	2669221	
30	श्री सूरज पाल सिंह	अनुसेवक	सीमाद्वार, देहरादून	2669221	9897967562
31	श्री रमेश सिंह	अनुसेवक	रायपुर, देहरादून	2669221	
32	श्री केशर सिंह	अनुसेवक	सम्बद्ध जिला चम्पावत	2669221	
33	श्री भगवती प्रसाद	अनुसेवक	नेहरू कालोनी, देहरादून	2669221	9897810844
33	श्री दिनेश चन्द्र	अनुसेवक	अम्बीवाला गुरूद्वारा, देहरादून	2669221	

(ब) कृषि गणना/सांख्यिकीय अनुभाग

क0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	आवास का पता	दूरभाष संख्या	
				कार्यालय	आवास
1	श्री अजय कुमार शर्मा	संयुक्त निदेशक	नं0–16 टाईप–4 न्यू सचिवालय कालोनी, केदारपुरम, देहरादून	2669548	9410595424
2	श्री बच्चन सिंह नेगी	सहायक निदेशक	शास्त्रीपुरम आमवाला तरला	2669548	2789278
3	श्री राजेश्वर प्रसाद गैरोला	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	अजबपुर खुर्द, देहरादून	2669548	
4	श्री भरत सिंह भण्डारी	क0 सं0 अधिकारी	दिव्या विहार, राजीवनगर, दे0दून	2669548	9412115578
5	श्री हिमान्शु कुमार	कनिष्ठ लिपिक	सहस्त्रधारा रोड, देहरादून	2669548	9997331912
6	श्री अरविन्द कुमार पंत	कनिष्ठ लिपिक	मातामंदिर धर्मपुर, देहरादून	2669548	9997503533
7	श्री गोपाल सिंह कठैत	अनुसेवक	85 राजपुर रोड, देहरादून	2669548	
8	श्री अजय कुमार	अनुसेवक	अजबपुर कलॉ, देहरादून	2669548	9634787819

गढ़वाल मण्डल

क्रम सं0	नाम अधिकारी	पदनाम	दूरभाष संख्या	मोबाई संख्या
	श्री अजय सिंह नबियाल	आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	01368—222564 222563	9456797970
	श्रीमती सौजन्या	अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	01368—222564 222563	9411103535
	श्री दिलीप जावलकर	जिलाधिकारी, पौड़ी	01368—222250 222202	9411110033
	श्री कुर्वे सचिन शरदचन्द्रा	जिलाधिकारी, टिहरी	01376—232092 232040	9412078555
	श्री डी0सेंथिल पांडियन	जिलाधिकारी, देहरादून	0135—2623503 2659975 2622389	9410347666
	श्री आर0मीनाक्षी सुन्दरम्	जिलाधिकारी, हरिद्वार	01334—239440 239645	9412056780
	श्री सौरभ जैन	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी	01374—22280 222101	9412077501
	श्री नीरज सेमवाल	जिलाधिकारी, चमोली	01372—252102 252101	9412177733
	श्री रम रविनाथ	जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग	01364—233300 233376	9410392901

कुमॉऊ मण्डल

क्रम सं0	नाम अधिकारी	पदनाम	दूरभाष संख्या	मोबाई संख्या
	श्री कुणाल शर्मा	आयुक्त, कुमॉऊ मण्डल	05942—235750 233775	9917492601
2	श्री हरिचन्द्र सेमवाल	अपर आयुक्त, कुमॉऊ मण्डल	05942—235750 233775	9412980100
3	श्री शैलेश बगोली	जिलाधिकारी, नैनीताल	05942—235684 235265	9412999066
4	श्री एम0सी0उप्रेती	जिलाधिकारी, उधमसिहनगर	05944—242344 242345	9410393966
5	श्री सुवर्द्धन	जिलाधिकारी, अल्मोडा	05962—230170	9410392399
6	श्री एन0एस0नेगी	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़	05964—225301 225001	9410392121
7	श्री अवनेन्द्र सिंह नयाल	जिलाधिकारी, चम्पावत	05965—230285 230275	9412085922
8	श्री डी0एस0गर्ब्याल	जिलाधिकारी, बागेश्वर	05963—220763 220330	9412094506

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

कार्यालय

मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

(मैनुअल संख्या–10)

मैनुअल संख्या–10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक के रूप में वेतन का निर्धारण शासन की वेतन नीति द्वारा निर्धारित किया जाता है। मासिक पारिश्रमिक/वेतन का विवरण निम्न प्रकार है :–

(अ) मुख्य राजस्व आयुक्त अधिष्ठान

मांक	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धि
	श्री सुभाष कुमार	मुख्य राजस्व आयुक्त	——	——	अपर मुख्य सचिव, पदैन मुख्य राजस्व आयुक्त का वेतन आहरण शासन से होता है।
	श्री कुँवर राजकुमार	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त	37400–67000	8700	85503.00
	श्री कैलाश चन्द्र नौटियाल	वित्त अधिकारी आडिट	15600–39100	5400	36886.00
	श्री अशोक भदोला	सहायक राजस्व आयुक्त	15600–39100	5400	31980.00
	श्री गोपीकृष्ण मैठानी	संयुक्त निबन्धक	9300–34800	4800	28528.00
	श्री राजेन्द्र प्रसाद	अनुभाग अधिकारी	9300–34800	4800	28756.00
	श्री बीरेन्द्र सिंह नेगी	अनुभाग अधिकारी	9300–34800	4800	26848.00
	श्री कमल किशोर डिमरी	अनुभाग अधिकारी	9300–34800	4800	25937.00
	श्री डी0पी0पालीवाल	निजी सचिव ग्रेड–2	9300–34800	4800	30833.00
	श्री दिनेश सेमल्टी	अपर निजी सचिव	9300–34800	4200	20373.00
	श्री नीरज पाण्डे	आशुलिपिक ग्रेड–2	5200–20200	2400	16950.00
	श्री टी0एस0राना	लेखाकार	9300–34800	4800	31938.00
	श्री अरूण चन्द्र कोटनाला	लेखाकार	9300–34800	4200	26303.00
	श्री आर0एस0पंवार	लेखाकार	9300–34800	4200	25338.00
	श्री खीम सिंह नेगी	लेखाकार	9300–34800	4200	23340.00
	श्री शेखरचन्द्र सिंह रौतेला	लेखाकार	9300–34800	4200	19847.00
	श्री गोपालनाथ गोस्वामी	समीक्षा अधिकारी	9300–34800	4200	20106.00
	श्री पूरनचन्द्र पुरोहित	समीक्षा अधिकारी	9300–34800	4200	20106.00
	श्री बीसू लाल कोहली	समीक्षा अधिकारी	9300–34800	4200	19906.00
	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	समीक्षा अधिकारी	9300–34800	4200	19360.00

1	श्री गौतमलाल मुयाल	समीक्षा अधिकारी	9300—34800	4200	17874.00
2	श्री राजेश बेलवाल	सहायक समीक्षा अधिकारी	5200—20200	2800	16782.00
3	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	5200—20200	1900	11046.00
4	श्री पंकज भण्डारी	वाहन चालक	5200—20200	2400	18463.00
5	श्री अन्सी लाल	वाहन चालक	5200—20200	1900	11371.00
6	श्री संजय	वाहन चालक	5200—20200	1900	12796.00
7	श्री संजय मलिक	वाहन चालक	5200—20200	1900	12796.00
8	श्री जयवीर सिंह नेगी	परिचारक	4440—7440	1650	13463.00
9	श्री जबर सिंह	परिचारक	4440—7440	1650	13463.00
0	श्री केशर सिंह	परिचारक	4440—7440	1300	6333.00
1	श्री सूरजपाल सिंह	परिचारक	4440—7440	1300	10581.00
2	श्री रमेश सिंह	परिचारक	4440—7440	1400	12066.00
3	श्री दिनेश	परिचारक	4440—7440	1300	10122.00
4	श्री भगवती प्रसाद	परिचारक	4440—7440	1300	9912.00

(ब) कृषि सांख्यिकी अनुभाग

सं0 क्र0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धि
	श्री अजय कुमार शर्मा	संयुक्त निदेशक	15600—39100	7600	44309.00
	श्री बचन सिंह नेगी	सहायक निदेशक	15600—39100	6600	46664.00
	श्री राजेश्वर प्रसाद गैरोला	अपर सांख्यिकी अधिकारी	15600—39100	5400	41525.00
	श्री भरत सिंह भण्डारी	क0 सांख्यिकी निरीक्षक	9300—34800	4200	31083.00
	श्री हिमान्शु कुमार सिंह	कनिष्ठ सहायक	5200—20200	1900	14983.00
	श्री अरविन्द कुमार पंत	कनिष्ठ सहायक	5200—20200	1900	15682.00
	श्री गोपाल सिंह कठैत	अनुसेवक	5200—20200	1900	14377.00
	श्री अजय कुमार	अनुसेवक	5200—20200	1900	15466.00

नोट— श्री अजय कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक का वेतन कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड से आहरित होता है।